लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

Parliament Library
19-6-92
26-11-83

सत्यमेव जयते

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15—बुधवार, 24 नवम्बर, 1965/3 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 15—*Wednesday, November* 24, 1965/*Agrahayana* 3, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
416	महात्मा गांधी के स्मारक	Memorials to Mahatma Gandhi	1303–06
417	हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Refinery .	1307–09
418	हिन्दी का प्रचार	Propagation of Hindi . .	1309–13
419	संघ राज्य क्षेत्रों में प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली	Democratic set up in Union Territories	1313–16
420	इंडिया आफिस लाइब्रेरी	Indian Office Library . .	1316–17
421	पेट्रो-कैमिकल के जापानी विशेषज्ञ	Japanese Petro-Chemical Experts	1317–18
422	नागरिकों को सामूहिक तौर पर राइफल का प्रशिक्षण	Mass Civilian Rifle Training .	1318–20
423	संविधान के अनुच्छेदों का जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होना	Application of Articles of Constitution to J.&K.	1320–22

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
424	अन्दमान द्वीपसमूह विकास संबंधी दल का प्रतिवेदन	Report of Team on Development of Andamans . .	1322–23
425	दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का डिग्री कोर्स	Four year Degree Course in Delhi University	1323
426	हिन्दी का प्रचार	Propagation of Hindi .	1324
427	समाचारपत्रों में अश्लील चित्र	Obscene Pictures in Newspapers .	1324
428	उर्वरकों के बारे में चौथी योजना के लक्ष्य	Fourth Plan Targets for Fertilizers	1324–25
430	सशस्त्र पुलिस के कर्मचारी	Armed Police Personnel	1325
31	जासूस	Spies . .	1325–26
432	प्रति व्यक्ति (कैपीटेशन) फीस	Capitation Fee . .	1326
433	नागरिक सुरक्षा	Civil Defence	1326–27
434	प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी बर्न उपसन्धि	Berne Convention of Copyrights .	1327

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on floor of the House by that Member.

1— 5 Lok Sabha/65.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
435	नरतत्वीय विभाग के मानचित्र	Maps of Anthropological Department	1327
436	संतानम समिति की सिफारिशें	Santhanam Committee's Recommendations . . .	1327–28
437	जांच करने से संबंधित नियम पुस्तिका	Manual on Conducting Enquiries	1329
438	काश्मीर में पाकिस्तानी विध्वंसक गिरोह	Pak Sabotage Cell in Kashmir .	1329
439	विशेष पुलिस संस्थान के अधिकारी	S.P.E. Officers . . .	1330
440	विश्वविद्यालयों द्वारा गांवों का अपनाया जाना	Adoption of Villages by Universities	1330–31
441	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	Inter-University Youth Festival .	1331
442	सीमाओं को सुदृढ़ बनाना	Strengthening the Borders .	1331
443	फलित ज्योतिष सम्बन्धी अनुसन्धान	Research in Astrology . .	1331–32
444	बम्बई में श्री नम्बूद्रीपाद का भाषण	Speech by Shri Namboodripad in Bombay	1332
445	केरल में परिचालित रहस्यमय दस्तावेज	Mystery document circulated in Kerala	1332
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1170	गैर-सरकारी कम्पनियों में लगे सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी	Retired Govt. Servants Employed in Private Companies . .	1332–33
1171	सेवाओं में सैनिक कर्मचारियों के लिए स्थान सुरक्षित करना	Reservation in Services, for Military Personnel	1333
1172	शिक्षा में विविधता लाना	Diversification of Studies . .	1333–34
1173	माही प्रशासन के कर्मचारी	Employees of Mahi Administration	1334
1174	नागाओं से मुठभेड़	Naga Clash . .	1334–35
1175	बोलघाटी महल, एर्नाकुलम	Bolghaty Palace, Ernakulam	1335
1176	कृत्रिम वर्षा	Artificial Rain	1335
1177	अमरीकी "ग्राफिक आर्टस्" प्रदर्शनी	U.S. Graphic Arts Exhibition .	1336
1178	विदेशियों की गिरफ्तारी	Arrests of Foreigners	1336
1179	नागरिकों को पुरस्कार	Awards to Civilians . .	1336–37
1180	इण्डियन आइल कम्पनी में रिक्त स्थानों का भरा जाना	Filling up of Vacancies in I.O.C.	1337
1181	पुरातत्वीय स्कूल	Archaeological School . .	1337–38
1182	नई दिल्ली में संग्रहालय "गाइड"	Museum Guides in New Delhi	1338
1183	गवेषणा-छात्र	Research Scholars . . .	1338–39
1185	गाजीपुर में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Spy at Ghazipur .	1339
1186	केरल में डिप्टी तहसीलदार	Deputy Tehsildars in Kerala	1339
1187	केरल में तहसीलदार	Tehsildars in Kerala .	1340

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1188	दिल्ली में भौतिक संस्कृति केन्द्र	Physical Culture Centres in Delhi .	1340
1189	राजस्थान में मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप पत्र	Charges-Sheet Against Rajasthan Chief Minister . . .	1340–41
1191	जनसंख्या वृद्धि	Increase in Population . .	1341
1192	उर्वरक कारखाना, पंजाब	Fertilizer Factory, Punjab .	1341
1193	तकनीकी संस्थाओं के लिये अमरीकी ऋण	U.S.A. Loan for Technical Institutions	1341
1194	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिकायें	Petitions filed in Allahabad High Court	1341–42
1195	भारत-तिब्बत सीमा के पास पुरातत्वीय सर्वेक्षण	Archaeological Survey near Indo-Tibetan Border . . .	1342
1196	ब्रिटेन में कला प्रदर्शनी	Arts Exhibition in Britain .	1342
1197	राष्ट्रीय परिषद् का कार्यकरण	Working of National Council	1342–43
1198	दिल्ली पुलिस अधिकारी की मृत्यु	Death of a Delhi Police Official .	1343
1199	दिल्ली के कालिजों में दोहरी पारी प्रणाली	Double Shift System in Delhi Colleges . .	1343
1200	पूर्वी पाकिस्तान द्वारा प्रदान किये गये डिप्लोमाओं को मान्यता	Recognition of Diplomas Issue in East Pakistan . .	1344
1201	राष्ट्रीय खेल कूद संस्था का विलय	Merger of National Institute of Sports	1344
1202	सरकार के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये टाइप की परीक्षा	Typing test for Confirmation of Government Employees .	1345
1203	लोअर डिवीजन क्लर्कों की अग्रिम वेतन-वृद्धि	Advance Increments to L.D.Cs .	1345
1204	शेख अब्दुल्ला पर व्यय	Expenditure on Sheikh Abdullah .	1346
1205	गृह कल्याण केन्द्र	Grih Kalyan Kendras . .	1346
1206	पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें	Writ petitions in Punjab High Court . . .	1346
1207	व्यापारियों की रिहाई	Release of Traders arrested under the D.I.R. . . .	1347
1208	दिल्ली की तिहाड़ जेल	Tihar Jail, Delhi . .	1347
1209	पर्यटन महानिदेशक के विरुद्ध जांच	Inquiry Against D.G., Tourism .	1347
1210	अन्दमान में न्यायपालिका	Judiciary in Andamans	1347–48
1211	नागाओं से मुठभेड़	Clash with Nagas . .	1348
1212	गोआ में विस्फोट	Explosions in Goa . .	1348
1213	पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Pakistanis	1349
1214	1968 के ओलम्पिक खेलों के लिये तैयारी	Preparation for Olympic Games, 1968	1349

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1215	ब्रह्मपुत्र की घाटी में तेल	Oil in Brahmputra Valley . .	1349–50
1216	शिक्षा के लिये राज्यों को नियतन	Allocation to States for Education	1350
1217	मद्रास तेल शोधक कारखाना	Madras Refinery . . .	1350
1218	केरल की राज भाषा	Kerala Official Language . .	1350–51
1220	एक वर्ष का अध्यापन पाठ्यक्रम	One Year Teaching Course .	1351
1221	भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर	National Register of Indian Citizens	1351
1222	उर्वरक, संयंत्र, कोटा के लिये नेप्था	Naptha for fertilizer plant Kota .	1351
1223	आसाम में सुरक्षात्मक कार्यवाहियां	Security Measures in Assam. .	1352
1224	पुनर्वास उद्योग निगम	Rehabilitation Industries Corporation	1352
1225	उड़ीसा उच्च-न्यायालय में लेख याचिकायें	Writ Petitions in Orissa High Court	1352
1226	मद्रास राज्य में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene in Madras State	1353
1227	गोआ, दमण और दीव के लिये अनुदान	Grants to Goa, Daman and Diu .	1353
1228	उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा	Secondary Education in Orissa .	1353–54
1229	उड़ीसा में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Officials in Orissa	1354
1230	अफसरों का दुर्व्यवहार	Misbehaviour of Officers . .	1354–55
1231	गोआ में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	S.C. & S.T. in Goa . .	1355
1232	मद्रास राज्य में हिन्दी पढ़ाना	Teaching of Hindi in Madras State	1355
1233	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory .	1356
1234	स्कूलों के अध्यापकों के लिये चिकित्सा की सुविधायें	Medical Facilities for School Teachers	1356
1235	विज्ञान के विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाना	Teaching of Hindi to Science Students	1356
1236	भाषा-अध्यापकों का वेतन-क्रम	Pay Scale of Language Teachers .	1356–57
1237	दिल्ली में जीव-विज्ञान के अध्यापक	Biology Teachers in Delhi . .	1357
1238	टीपू सुल्तान का स्मारक	Memorial for Tippu Sultan .	1357
1239	कर्मचारियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठकें	Joint Meetings of Staff and Administration . . .	1357–58
1240	अपर डिवीजन क्लर्कों के मुकाबले में लोअर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता	Seniority of L.D.C's. *vis a vis* U.D.C's	1358
1241	लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of the Lower Division Clerks	1358

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1242	केरल के किसान	Kerala Cultivators . .	1359
1243	सरकारी अधिकारियों के लिये अध्ययन अवकाश	Study Leave to Government Officers	1359
1244	काश्मीर में साम्यवादियों की गतिविधियां	Communist Activity in Kashmir .	1359
1245	नज़रबन्द संसद् सदस्यों की बीमारी	Ailment of M.P. Detenus	1360
1246	त्रिपुरा में अभियोगाधीन व्यक्ति	Under Trials in Tripura .	1360
1247	केरल में मिट्टी के तेल का अभ्यंश	Kerosene Kota in Kerala . .	1360–61
1248	नेफा प्रशासन में रिक्त पद	Vacancies in NEFA Administration	1361
1249	नेफा सचिवालय भवन	NEFA Secretariat Building .	1361–62
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of urgent Public Importance—	
	(एक) चीन द्वारा अतिक्रमण—	(i) Intrusions by China— .	
	श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	1362
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	1362–64
	(दो) महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों में कच्चे तेल और तीव्र गति डीजल तेल की अप्राप्यता—	(ii) Non-availability of Crude Oil and High Speed Deisel Oil in Maharashtra and some other States—	
	श्री जेधे	Shri Jedhe. . .	1383
	श्री हुमायून कबिर	Shri Humayan Kabir . .	1383–85
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	1364
	अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence . . .	1365–66
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Member's Bill's and Resolutions—	
	चौहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-fourth Report . .	1366
	अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	All India Services (Amendment) Bill—Introduced . .	1366
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—	Banaras Hindu University (Amendment) Bill—	
	राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
	श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla . .	1366–68
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	1368–69
	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	1369
	श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh .	1369–71
	डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das . .	1371

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	1371-72
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheshwar Prasad .	1372-74
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey .	1374-75
श्री बृजराज सिंह	Shri Braj Raj Singh . .	1375
श्री अन्सार हरवानी	Shri Ansar Harvani .	1375-76
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit . .	1376
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua . . .	1376-77
महाराज कुमार विजय आनन्द	Maharajkumar Vijaya Ananda	1377-78
डा० चन्द्र भान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh .	1378-79
श्री जी० भ० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani . .	1379-80
श्रीमती कमला चौधरी	Shrimati Kamala Chaudharui	1380-81
श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	1381-82
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	1382
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . . .	1385-86
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti .	1386
कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re : Indian High Commissioner in Karachi—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	1387-88
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	Shrimati Laxmi Menon .	1388-90

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 24 नवम्बर, 1965/3 अग्रहायण, 1887 (शक)
Wednesday, November 24, 1965/Agrahayana 3, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Memorials to Mahatma Gandhi

***416. Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a scheme to erect memorials of Mahatma Gandhi at certain places of pilgrimage has been formulated; and

(b) if so, whether his important teachings will also be inscribed thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Government of India is not aware of any such scheme.

(b) Does not arise.

Shri Madhu Limaye : May I know whether keeping in view the two aspects of Mahatma Gandhi's philosophy and action, *i.e.* the raising of voice against injustice and evil things and having constructive outlook, the Government will formulate any scheme for constructing such memorials wherein these two aspects will be retained and that emphasis will not be laid on one aspect only *i.e.* the constructive outlook and that his philosophy will not be meaningless by twisting his actions?

Shri Bhakt Darshan : So far as the Government are concerned, the work is being done on a large scale through Gandhi Smarak Nidhi. Last time when this question was raised the Government had decided to appoint a committee to celebrate on a big scale the birth centenary of Mahatma Gandhi. It is a matter of pleasure that the President of India has accepted to be the chairman of the Committee. Preparations on a large scale are being made in this connection by that Committee.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Government are aware of the fact that Mahatma Gandhi breathed his last in Birla Bhavan and that a proposal was made by the Sanuyakta Socialist Party regarding taking over the Birla Bhavan and constructing Gandhiji's memorial there and whether an hon. Member of this House was arrested because he had started an agitation in this connection?

Shri Bhakt Darshan : I am not aware of any such suggestion having been received by the Government.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I wrote a letter to you that there had been some correspondence between our former Prime Minister and Shri Birla and Shri Bagri. Keeping in view this fact I have sought your permission and requested that this correspondence might be placed on the Table of the House. It will bring out the true picture of Shri Birla that whereas he wants to win favour with the Government but he has no love for Mahatma Gandhi.....

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों तथा कार्य को अमर बनाने के लिये उन के स्मारकों को पत्थर और संगमरमर से बनाया जाना आवश्यक नहीं है ? वह स्वयं चाहते थे कि उन के स्मारक पत्थर से न बनाये जायें, परन्तु उन के सिद्धान्तों को लोगों के हृदयों में प्रतिष्ठित कर दिया जाये । यदि हां, तो न केवल भारत के, अपितु सारे विश्व के लोगों के हृदयों में महात्मा गांधी के उपदेशों को जमाने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिये एक समिति स्थापित की गई है, जिस में इन सब बातों पर विचार किया जायेगा । हम इस समारोह को इस प्रकार मनाना चाहते हैं जो भारत के महान सुपुत्र, श्री गांधी के अनुरूप हों । जहां तक उन के लेखों का सम्बन्ध है, हम ऐसी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं, जिन में इन का उल्लेख किया जायेगा । हम महात्मा गांधी की याद को जीवित रखने के लिये सब कुछ कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रथम प्रश्न कुछ भिन्न था । पत्थर तथा संगमरमर से बने हुए स्मारक उन की याद को जीवित रखने के लिये आवश्यक नहीं हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस तथ्य के ध्यान में रखते हुए कि महात्मा गांधी की स्मृति को मनाने के लिये राजकोट और पोरबन्दर में उन के मकानों को राष्ट्रीय महत्व के स्थान घोषित कर दिया गया है, क्या सरकार का उस स्थान को, जहां उन की हत्या की गई थी, स्मारक बनाने के लिये लेने का विचार है ?

श्री भक्त दर्शन : जहाँ तक मुझे जानकारी है राजकोट में महात्मा गांधी के मकान को गांधी स्मारक निधि ने ले लिया है न कि सरकार ने ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार का इस को लेने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : नहीं श्रीमन् । मैं उस स्थान के बारे में ....

अध्यक्ष महोदय : श्री वारियर ।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस स्थान को लेने का विचार है या नहीं । सरकार 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस को दोहराता हूं कि इस का कई बार उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री भागवत झा आजाद : यदि सरकार एक बार एक प्रश्न का उत्तर दे देती है तो क्या उस प्रश्न पर पुर्नविचार नहीं कर सकती? इसी लिये हम बार बार पूछ रहे हैं कि सरकार इस स्थान को क्यों नहीं ले सकती ?

अध्यक्ष महोदय : पुर्नविचार के लिये नहीं पूछा जा रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिये ।

श्री वारियर : क्या यह सच है कि श्री बिड़ला ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री को लिखा था कि वह यह स्थानविशेष उन को निवास के लिये दे सकते हैं, परन्तु महात्मा गांधी के स्मारक बनाने के लिये नहीं ?

श्री भक्त दर्शन : अभी मेरे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : That is why I wanted that it should be placed on the Table of the House.

Mr. Speaker : How can I permit that every communication should be placed on the Table of the House. The Table cannot bear so much burden.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much amount is being spent for constructing memorials of Mahatma Gandhi and whether amount has been received for this purpose? Is there any suggestion to reduce the amount likely to be spent on it, in view of the present emergency?

Mr. Speaker : It has nothing to do with that.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much money will be spent?

Mr. Speaker : Please see the original question.

श्री दे० जी० नायक : महात्मा गांधी ने अपना जीवन अस्पृश्यता को दूर करने तथा रचनात्मक कार्यों के लिये समर्पित कर दिया था । सरकार महात्मा गांधी के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये क्या करना चाहती है ?

श्री भक्त दर्शन : हमारे सब विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी की शिक्षा पर आधारित हैं ।

श्री दे० जी० नायक : सब राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है ।

श्रीमती लक्ष्मी मान्नम्मा : क्या यह सच है कि कुछ मास पूर्व हमारे प्रधान मन्त्री ने विजयवाड़ा में महात्मा गांधी के 'स्तूप' की नींव रखी थी और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इस को प्रोत्साहन मिले और इस बात का भी ध्यान रखेगी कि प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के 'स्तूप' स्थापित किये जायें ?

श्री भक्त दर्शन : जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह सब कार्य गांधी स्मारक निधि द्वारा किया जा रहा है ।

Shri U. M. Trivedi : Will the hon. Minister state that Mahatma Gandhi's statues, wherever they have been established in small villages or towns are so hopelessly built that the people mock at us and these statues also do not inculcate those feelings in the hearts of people which are worthy of Mahatmaji. In the circumstances will the Government take a decision that such statues are not set up in new places, at least in villages where people have great regard for Mahatma Gandhi and that same places are selected for inscribing the teachings of Mahatma Gandhi?

Mr. Speaker : It is a suggestion.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी के व्यक्तित्व या नाम को किसी रूप में भारत के पुनीत धार्मिक ज्ञान में शामिल करने का है ?

श्री भक्त दर्शन : नहीं । वह इस अर्थ में धार्मिक नेता नहीं थे ।

श्री कपूर सिंह : मैं उत्तर को समझ नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri Bagri : My name was also included in that.

Mr. Speaker : You can ask the question.

Shri Bagri : The late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru had written a letter to me in which he had stated that Shri Birla was prepared to give that house to him for his residence and that he had not considered it proper to accept that house for residence purposes and that he did not intend to take that house forcibly from Shri Birla. Shri Birla has also accepted this thing in his letter which he has written to me. If so, may I know whether this Birla House had not been taken over simply to please Shri Birla and that the person who was father of the Nation......

Mr. Speaker : Whether the question of the hon. Member will end or not?

Shri Bagri : What is there if it took me one minute to ask the question?

Mr. Speaker : But it should end some time.

Shri Bagri : Regarding the construction of memorial of Mahatma Gandhi....

Shri M. L. Dwivedi : According to your ruling an hon. Member can take one minute for asking his question.

Mr. Speaker : You please take your seat. I shall see.

Shri Bagri : Mahatma Gandhi has sacrificed his life like Shri Guru Teg Bahadur had sacrificed. But a Gurudwara was built at that place during the foreign rule.

I would like to know why no memorial has been built on the place where Father of the Nation, Mahatma Gandhi sacrificed his life where memorials for Guru Teg Bahadur, Lord Krishna and Lord Ram have been built to commemorate their memory on the particular places where they sacrificed their lives. These were erected even during the foreign rule.

Shri Bhakt Darshan : As the hon. Member has referred to the Prime Minister in his question, maximum which I can do is that I shall refer this question to him.

हल्दिया तेल शोधक कारखाना

+
*417. श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेडा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री दीनेश भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 18 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच हल्दिया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में विदेशी फर्मों के साथ बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) : जी नहीं, बातचीत अभी जारी है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : By what time the negotiations will be completed?

श्री हुमायून कबिर : कोई निश्चित तिथि बताना तो बहुत कठिन है परन्तु शायद 31 जानवरी 1966 तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

Shri Vishwa Nath Pandey : What will be the estimated cost for the completion of this Haldia oil refinery?

श्री हुमायून कबिर : जब तक बातचीत समाप्त नहीं हो जाती और विशिष्ट प्रस्ताव हमारे पास नहीं आ जाते लागत के बारे में आंकड़े बताना सम्भव नहीं हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : किन फर्मों ने इस परियोजना को बनाने की पेशकश की है ?

श्री हुमायून कबिर : इस के लिये हमारे पास तीन ओर से पेशकश आई है । एक पेशकश अमरीकन तथा जर्मन फर्मों की ओर से संयुक्त रूप में है ? एक दूसरी रूमानिया संगठन की ओर से और तीसरी एक फ्रांस की फर्म की ओर से प्राप्त हुई है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस तेल शोधक कारखाने को उत्तरपूर्वी असम में प्राप्त होने वाला कच्चा तेल दिया जायेगा ? यदि हां तो इस प्रयोजन के लिये कितनी लम्बी पाइपलाइन बिछाई जायेगी ?

श्री हुमायून कबिर : अभी बातचीत इस विचार से की जा रही है कि इस कारखाने में आमतौर पर आयातित तेल साफ किया जायगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि इन तीन प्रस्तावों में दो गैर-सरकारी विदेशी फर्मों से हैं और तीसरा एक सरकारी संगठन की ओर से, मेरी धारणा है कि एक सरकार का दूसरी सरकार को प्रस्ताव है तो क्या सरकार ने इस प्रश्न पर निश्चय किया है, कम से कम सिद्धान्त रूप में कि यह तेल शोधक कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाया जायेगा या अंशतः सरकारी क्षेत्र में और अंशतः गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

श्री हुमायून् कबिर : यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा । यह निश्चय किया गया है कि कोई भी कारखाना जिसमें सरकार के 51 प्रतिशत या इस से अधिक अंश होंगे वह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे टैक्नीकल उत्तर नहीं चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा या नहीं । उन्होंने बताया है कि यदि 51 प्रतिशत अंश सरकार के होंगे तो यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा और ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने उत्तर के दूसरे भाग में कहा था । प्रथम भाग में उन्होंने बताया था कि यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा ।

श्री हेम बरुआ : उसी समय उन्होंने यह बताया है कि यदि 51 प्रतिशत अंश सरकार लेती है तो यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में हो जाता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस प्रकार के तेल शोधक कारखाने को जब यह बन कर तैयार हो जायेगा, भविष्य में पाकिस्तान की ओर से बम इत्यादि से बचाने के लिये क्या प्रयास किये जायेंगे ?

श्री हुमायून कबिर : यह प्रश्न आम सुरक्षा से सम्बन्धित है । देश की सुरक्षा के लिये जो कदम उठायें जायेंगे वह इस कारखाने के लिये भी होंगे ।

श्री कपूर सिंह : एक बार गलत अंग्रेजी का सभा में प्रयोग किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां अंग्रेजी ठीक करने के लिये नहीं हूं ।

श्री हेम बरुआ : विश्वविद्यालय में प्रो० कबिर मेरे प्रोफेसर थे और वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रोफेसरों और दूसरे पढ़े लिखे लोगों से कहूंगा कि वे इकट्ठे बैठ कर फैसला करें कि इस मामले में क्या करना चाहिये ।

Shri Yashpal Singh : English men have gone but the language is still here. Therefore they who speak English also serving the nation.

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं किसी सदस्य को न कहूं उस को खड़ा नहीं होना चाहिये, चाहे वह कोई भी क्यों हो ।

Shri Yashpal Singh : Gen. Saradanand has stated that this work can be done without foreign collaboration if the Indians are encouraged to do so. May I know till what time we will have to depend on the foreign collaboration?

श्री हुमायून कबिर : जनरल शारदा नन्द स्वयं अधिकतर विदेशी सहयोग पर निर्भर करते हैं । फिर भी हमें आशा है कि लगभग 7 वर्षों में हम इस मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि देश में तेल की उपभोक्ता की आवश्यकता या तेल साफ करने की प्रत्यांशसा को देखते हुए, यह कारखाना बरोनी तेल शोधक कारखाने के लिये और देश के विकास के लिये घातक सिद्ध होगा ? क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है या नहीं ?

श्री हुमायून कबिर : माननीय सदस्य का विचार गलत है । वास्तव में, अनुमान लगाया है और हल्दिया का कारखाना देश के लिये बहुत ही आवश्यक है ।

श्री भागवत झा आजाद : बिल्कुल गलत ।

श्री काशीराम गुप्त : तेल शोधक कारखानों की वर्तमान स्थिति यह है कि वहां पर 20–25 प्रतिशत तक अतिरिक्त पैट्रोल का उत्पादन होता है । क्या सरकार भविष्य में तेल शोधक कारखानों को इस प्रकार बनायेगी कि इस उत्पादन को कम किया जा सके ताकि आपत कालीन स्थिति की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ?

श्री हुमायून कबिर : माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बहुत हद तक सरकार के ध्यान में है । हम कार्यवाही कर रहे हैं कि नये तेल शोधक कारखानों में मोटर-स्पिरिट का कम से कम उत्पादन हो ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

श्री अ० प्र० शर्मा : प्रश्न संख्या 426 भी लिया जाना चाहिये ।

Propagation of Hindi

+
***418. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of Government and private Organisations set up by Government for propagating Hindi;

(b) the difference in the work done by the Hindi Salahkar Samiti appointed by the Ministry of Home Affairs and that done by the Committees working under the Ministry of Education;

(c) whether there is any co-ordination in their work; and

(d) if not, the reasons for setting-up various Committees for similar types of work?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha. [**Placed in library. See LT-5229/65.**]

Sir, with your permission, I want to rectify a mistake which has occurred in the statement to be laid on the Table of the House in reply to Question No. 418. In part (b) of the statement 1951 should be there at the place where 1959 has been printed.

Shri M. L. Dwivedi : Which particular Ministry has been entrusted with the job of standardisation of the style language which is being used in various Ministries of the Government as also of compilation of technical and scientific terminology and do various Ministries follow the same or not?

Shri Bhakt Darshan : The Ministry of Education is responsible for maintaining coordination. For that purpose a permanent commission has been appointed which is known as Terminology Commission and under that Commission the Central Hindi Directorate prepares glossaries. So far as I am aware all the Ministries extend their cooperation in that.

Shri M. L. Dwivedi : Is the hon. Minister aware of the fact that in the Ministry of Information and particularly in A.I.R. the language fixed for them by the Ministry of Education is not being used and if so, the measures being adopted to bring about coordination in that respect?

Shri Bhakt Darshan : This question is not related to my Ministry because the Ministry of Information and Broadcasting have compiled their own glossary which is easily intelligible for the general public.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह बात सही नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय की हिन्दी शिक्षा समिति और गृह-कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का काम एक जैसा ही है और यदि हां, तो वे दो अलग अलग समितियां किस कारणवश बनाई गई हैं ?

श्री भक्त दर्शन : प्रश्न संख्या 418 के खण्ड (ख) के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में मने स्पष्ट कर दिया है, अर्थात्

"गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी सलाहकार समिति की स्थापना विशेष रूप से संघ के सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग तथा हिन्दी भाषी राज्यों में सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए की गई है। यह समिति हिन्दी के विकास तथा प्रचार सम्बन्धी सामान्य विषयों पर भी सरकार को सलाह देती है। 1951 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित की गयी हिन्दी शिक्षा समिति हिन्दी के विकास तथा प्रचार सम्बन्धी विशेष समस्याओं के बारे में शिक्षा मंत्रालय को सलाह देती है ....।"

Shri Yashpal Singh : May I know the percentage of amount speent out of budgetary allocation of the Ministry of Education on propagation of Hindi?

Shri Bhakt Darshan : Sir, I am not in a position to state the percentage but the hon. Member would be glad to know that a provision of about Rs. 2.25 crores was made in the Third Five Year Plan for propagation of Hindi.

But we hope that about 2·25 crores of rupees would be spent by the end of Third Five Year Plan and more provision would be made in Fourth Five Year Plan.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। इस का संकेत मुझे उस दिन मिला था। इस बात पर आग्रह किया गया कि जब कोई प्रश्न किसी दूसरे प्रश्न से सम्बद्ध हो तो सदस्य को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने चाहिए।

श्री हेम बरुआ : उस दिन आपने दो की स्वीकृति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा विशेष कारणों से किया। बाहर से एक विशेष शिष्ट-मण्डल आया हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि यहां पर झड़प हो। नहीं तो, मेरा इस समय अनादर किया गया था। मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई प्रश्न किसी सदस्य के अनुरोध पर या सभा की इच्छा से किसी दूसरे प्रश्न के साथ सम्बद्ध किया जाये तो दूसरे प्रश्न का करने वाला केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछे।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker! I would like to get one thing clear. If that Member does not want to get his question linked with another, what will you do?

Mr. Speaker : Then I would not link it, but if the House so desire, it would be linked.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को विदित है कि हिन्दी सलाहकार समिति और शिक्षा समिति दोनों के सदस्यों का दृढ़ विचार यह रहा है कि हिन्दी प्रसार तथा विभिन्न कामों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के मामले में उनका काम उत्साह क्षीण करने वाला है और यदि हां, तो क्या उनकी ऐसी सिफारिशों के क्रियान्वयन के कार्यक्रम को तेज करने और अपना काम पूरा करने का सरकार का विचार है जिससे हिन्दी प्रचार के मामले में सरकार की नीयत के बारे में देश में लोग अधिकाधिक संतुष्ट तथा आश्वस्त हों ?

श्री भक्त दर्शन : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इन दोनो समितियों की सिफारिशों पर उपयुक्त ध्यान दिया जाता है और उनमें से अधिकांश यथासम्भव शीघ्र क्रियान्वित की जाती हैं।

श्री हनुमन्तैया : क्या माननीय मंत्री सभा को कृपया यह बतायेंगे कि शिक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति में कोई सुझाव दिया गया था कि इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारत में एक केन्द्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये और यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : विश्वविद्यालयों के स्थापित करने के बारे में इस समय हमारा विचार यह कि चौथी योजना में कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहिए .....।

श्री रंगा : क्या जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के अतिरिक्त ?

श्री मु० क० चागला : वह तीसरी योजना में था।

श्री रंगा : उसी तरह यह भी खोला जा सकता है।

श्री मु० क० चागला : क्या मेरे माननीय मित्र पूरा उत्तर देने देंगे जिससे हिन्दी के लिए हम सहायता कर सकें जिसके लिए हमें विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस समय विचार है कि बजाए इसके कि विश्वविद्यालय, उप-कुलपति, रजिस्ट्रार तथा भवन सब का बड़ा प्रबन्ध करें कालिजों या स्कूलों का पर्याप्त प्रबन्ध करें और जैसा कि मेरे माननीय मित्र का विचार है विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करें। अवश्य ही हम यह देखेंगे कि यह बात कहां तक की जा सकती हैं।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : हिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दीतर भाषाओं के प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है और इस प्रसार के लिए अब तक कितना धन खर्च या निर्धारित किया गया और कोई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं और क्या सरकार ने उत्तर भारत के लोगों किसी एक हिन्दीतर भाषा के सीखने का कोई सुझाव पाया है ?

श्री भक्त दर्शन : हिन्दी तथा संस्कृत को छोड़कर आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय में अलग से एक स्वतंत्र अनुभाग है।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : कितना धन खर्च किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने निर्धारित धनराशि, प्राप्त परिणाम तथा ये सब बातें पूछी हैं।

श्री भक्त दर्शन : मेरे पास ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल एक विवरण रखा जाये।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या आगरे का केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण पूरी तरह अहिन्दी भाषी राज्यों की अध्यापकों की मांग पूरा कर रहा है और क्या इस पद्धति के विस्तार करने का और उसी तरह की अन्य संस्थाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री भक्त दर्शन : हमारे आगरे के केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का क्रमशः विस्तार किया जा रहा है ; वह हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण की, जो पहले ही विभिन्न राज्यों में चल रही है, अनुपूर्ति करता है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : दोनों प्रकार की सरकारी तथा गैर-सरकारी अनेकों समितियां हिन्दी के प्रसार के लिए बनी हुई हैं ; वह ठीक प्रकार कार्य कर रही हैं या नहीं यह दूसरा मामला है। यह बात पता लगाने के लिए क्या कोई संगठन है कि अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रसार में प्रत्येक वर्ष कितनी प्रगति हुई है ?

श्री भक्त दर्शन : जी हां। परिणाम पर्याप्त उत्साहवर्धक रहे हैं और हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में यह अधिक, जोर पकड़ेगा ।

श्री वासुदेवन नायर : वक्तव्य में यह बताया गया है कि चौथी योजना की अवधि तक अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम के कुछ स्कूलों तथा कालिजों के स्थापित करने का विचार है । क्या यह विचार उच्च स्तर पर पहले ही लिए गये उस निर्णय की भावना के विरुद्ध नहीं है कि विभिन्न प्रदेशों में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी और जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यह बात उस निर्णय से जो पहले लिखित रुप में लिया जा चुका है, कहां तक मेल खाती है ?

श्री मु० क० चागला : इसमें कोई असंगति नहीं हुई है। यद्यपि विभिन्न विश्वविद्यालयों में अन्त में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं ही होंगी परन्तु मुझे आशा है कि दक्षिण भारत में हिन्दी का और उत्तर भारत में अहिन्दी भाषाओं का अध्ययन जारी रहेगा । ऐसे स्कूलों तथा कालिजों के रहने में, जिनमें हिन्दी का अध्ययन किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं हो सकती और मुझे आशा है कि शीघ्र ही ऐसे स्कूल तथा कालिज हो जायेंगे जहां पर अहिन्दी-भाषाओं का अध्ययन किया जायेगा। इन दोनों बातों में कोई असंगति नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी माध्यम वाले कोई सार्वजनिक स्कूल हैं और यदि नहीं, तो अहिन्दीभाषी राज्यों के लिए हिन्दी माध्यम वाले अधिक स्कूलों के खोले जाने का क्या सरकार का विचार है ?

श्री भक्त दर्शन : ऐसे कुछ स्कूल है जो गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। उन्हें हम कुछ सहायता देते हैं । अब चौथी योजना में हमारा विचार है कि यदि राज्य सरकार चाहें तो हम उन्हें ऐसे कालिजों के खोलने के लिए शतप्रतिशत सहायता देंगे ।

Shri Rameshwaranand : The Gurukuls run by Arya Samaj all over India have been doing so much propagation of Hindi since British regime that even organisations established by Government have not done it to that extent. May I know the amount per annum granted to those Gurukuls which have done a lot of work all over India for the propagation of Hindi?

Shri Bhakt Darshan : The question of Gurukuls is not involved therein...

Shri Rameshwaranand : Whether they are not engaged in propagation of Hindi?

Shri Bhakt Darshan : But I would like to inform the hon. Member for his information that the aid is given to the Gurukuls through our Sanskrit Unit and during the Third Five Year Plan we have already given aid of Rs. 6·50 laks.

Shri Rameshwaranand : What amount is given to them per annum?

श्री प्र० चं० बरुआ : विभिन्न हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अलग-अलग तरह से बोली जाती है और इससे अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों के मन में कठिनाई होती है । अतएव मैं जानना चाहता हूं कि अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में कौनसी हिन्दी का प्रसार किया जाना है ?

श्री भक्त दर्शन : यह आगरे के केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का दृष्टिकोण है जहां कि अहिन्दीभाषी सब राज्यों से अध्यापकों को आमंत्रित करते रहे हैं जिससे वे हिन्दी के मानक रूप को सीखें ।

Shri Bhagwat Zha Azad : May I know whether with a view to propagate and expand Hindi the Ministry of Education do not consider it necessary to remove the fear of the non-Hindi speaking States that their Hindi letters sent to the Centre would not be translated properly there and that proper arrangements for translation of Hindi letters should be made there?

Shri Bhakt Darshan : I am sorry that the question of official language is not concerned with the Ministry of Education It is concerned with the Ministry of Home Affairs and I hope that the Minister of Home Affairs will enlighten in this matter.

श्री कपूर सिंह : भारत की हिन्दीतर भाषाओं के उचित रुप से उदय तथा विकास में सरकार के उच्च स्तर पर हिन्दी के ऐसे प्रसार के कारण बाधा न पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गये हैं तो वे क्या हैं ?

श्री भक्त दर्शन : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यह आशंका पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए । हम भारतीय भाषाओं को पूरी शक्ति के साथ बराबर प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

श्री हम बरुआ : मैं मानक भाषा के सम्बन्ध में नहीं समझ पाया हूं । पटना के कुछ लोक मुझसे कहते हैं कि पटना में बोली जाने वाली हिन्दी सर्वोत्तम है ; कुछ कहते हैं कि बनारस में बोली जाने वाली हिन्दी, कुछ लोग कहते है कि इलाहाबाद में बोली जानी वाली हिन्दी और कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में बोली जाने वाली हिन्दी सर्वोत्तम है । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी मानक हिन्दी है ।

श्री भक्त दर्शन : संविधान के अनुवाद में प्रयुक्त की गई हिन्दी मानक है ।

Democratic Set-up in Union Territories

\+
*419. **Shri S. C. Samanta :**

Shri M. L. Dwivedi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Union Territories where democratic set-up is functioning successfully and in respect of which Government have received reports to that effect as also the shortcomings noticed in respect of the remaining Territories on that score;

(b) whether any temporary or permanent machinery has been set-up to study and advise the Ministry about the administrative difficulties of these territories as democratic units and the economic viability and resources thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the steps being taken to acquaint the Parliament about the progress made in making the administrative set-up a success?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Legislative Assemblies and Councils of Ministers have been constituted under the Government of Union Territories Act, 1963, in five Union territories, namely, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Pondicherry and Goa, Daman and Diu. No report regarding any shortcoming in the working of the existing set-up has been received from the Government of any of these territories and Governments are functioning in accordance with the scheme embodied in that Act.

(b) to (c). There have been no administrative difficulties to necessitate the setting up of any machinery in that behalf. The additional resources needed by these territories to meet their administrative and developmental expenditure are being made available to them through grants and loans from the Conselidated Fund of India.

(d) A resume of the major achievements and activities of these territories is included in the Annual Administration Report cf the Ministry of Home Affairs. These reports are circulated to the Members of Parliament during the budget session every year.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपों की जनता उस राज्य क्षेत्र में विधान-सभा की बराबर मांग कर रही है ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वह उसके बजाय यह भी मांग कर रहे हैं कि वहां की सलाहकार समिति को अधिक सुविधाएं तथा शक्तियां दी जानी चाहिए ?

श्री हाथी : उन्होंने मांग की है कि संसद में उनके प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाने चाहिए न कि नाम-निर्देशित । उन्होंने यह भी कहा है कि वहां पर विधान-सभा हो सकती है परन्तु उसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन संघ राज्यक्षेत्रों में विधान-सभाएं हैं उन से संबंधित प्रतिवेदनों पर क्या इस सभा में अलग से चर्चा की जायेगी और स्वयं मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पेश किया जायगा ?

श्री हाथी : जब गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो तब इन बातों पर भी चर्चा की जा सकती है ।

Shri M. L. Dwivedi : In the statement laid on the Table it has been stated that the Report on achievements is brought before the House every year. In the Question it was asked that :—

"प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को सफल बनाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति से संसद् को अवगत कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? "

and it has not been replied to. May I know how the Ministry ensure that the administrative set up in Part C States might be successful and when and how the Parliament is apprised of position in this regard?

श्री हाथी : संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित प्राशासनिक ढांचा दो प्रकार का है । एक तो संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत है । इस अनुच्छेद के अन्तर्गत इन सब संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त किये गये एक अधिकारी द्वारा चलाते हैं । परन्तु अनुच्छेद 239 क के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि संसद विधि द्वारा हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी और गोवा, दमण तथा दीव के पांच राज्यों में विधान मंडलों का गठन कर सकती है । अतएव इन पांच राज्यों में विधान सभाएं हैं । यह बात वहां की विधान सभाएं देख सकती हैं कि क्या वहां प्राशासनिक ढांचा ठीक प्रकार कार्य करता है या नहीं । जहां तक उन संघ राज्य-क्षेत्रों का सम्बन्ध है जिन पर सीधे शासन किया जाता है इस संसद को उनके बारे में शक्ति है और उनके विकास का विवरण हमने वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन में दिया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : केवल बड़े-बड़े राज्य रहें सरकार का इस स्वीकृत नीति को ध्यान में रखते हुए इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है कि ये राज्य अपने पास के क्षेत्रों में धीरे-धीरे मिला दिये जायें ?

श्री हाथी : इस समय तो गोवा, दमण और दीव के विलय के अतिरिक्त जिस पर विचार किया जा रहा है कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : तो क्या मैं यह मान लूं कि सरकार की नीति इन राज्यों को सीधे नियन्त्रण में रखने तथा पास के क्षेत्रों के साथ इनके विलय न करने की है । यदि यह नीति नहीं है तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : किसी नई नीति का जिसका प्रतिपादन यहां वहां किया जा रहा है प्रश्न नहीं है । अब तक यही नीति चलती रही है और मेरे विचार से अब भी यह प्रश्न विचारणीय है । यह बात हर समय नहीं है कि यही ढांचा वहां होगा ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र द्वारा प्रशासित विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राशासनिक-ढांचे के बारे में घोषणा की जा चुकी है और यदि हां, तो किन आधार पर ऐसे ढांचे से सहमति व्यक्त की गयी है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है ढांचा के बारे में कोई सहमति का प्रश्न नहीं है । संविधान में इस बात का उपबन्ध है कि संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा । अनुच्छेद 239(क) में यह उपबन्ध है कि संसद् विधि द्वारा एक विधान-सभा तथा मंत्री परिषद गठित करे । यही ढांचा है और इन दोनों में से कोई एक रूप संघ राज्यक्षेत्रों में चल रहा है ।

श्री शिंकरे : क्या अब सरकार ने अनुभव कर लिया है कि संघराज्य क्षेत्रों का यह रूप प्रजातंत्र के विरुद्ध है क्योंकि संघ नौकरशाही अत्यधिक हस्तक्षेप रहता है और यदि हां तो इन संघ राज्य-क्षेत्रों में ठीक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए वे क्या कदम उठाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री नन्दा : मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर दूं । इसमें हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु यह तो उनको केवल सहायता ही दी जाती है ।

श्री शिंकरे : आप उसको सहायता कह सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : Whether Government is going to take any action with a view to implement fully the principle of responsible Government in Manipur, Tripura and Himachal Pradesh and to mitigate the difference between these and other states?

Shri Hathi : By now there is no question of taking such action. Himachal, Goa, Pondichery, Manipur, Tripura. ....

Shri Madhu Limaye : The question was not in regard to Goa and Pondicherry. The question regarding these five and two territories is separate.

Mr. Speaker : Your question is that whether it is now being proposed to bring the Union Territories at par with other states.

Shri Madhu Limaye : I did not ask the question regarding Goa and Pondicherry since I want that Goa be merged with Maharashtra and Pondicherry with Tamilanad.

Mr. Speaker : The supplementary may be answered.

Shri Hathi : I have already answered it.

Shri A. S. Saigal : Just now you told that in five union territories you have been functioning as provided under article 239A. But as regards other union territories till what date you propose to continue to function not in accordance with the Constitution? When you would try to function there in accordance with article 239A?

Shri Hathi : As there is no such proposal.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सभा यह बात समझती है कि पिछले जुलाई-अगस्त में गोवा के मुख्य मंत्री श्री बन्दोरकर के पास प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव को जो गोवा के भविष्य के निर्णय हेतु निकट भविष्य में सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में था और जिसने बंगलौर में कांच के बनाये गये भवन के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, अन्तिम रूप से छोड़ा नहीं गया है क्योंकि आपातकाल स्थिति, पाकिस्तान के संघर्ष अथवा अन्य कारण है और क्या यह प्रस्ताव पांडिचेरी के लिए भी है ?

श्री शिकरे : अथवा क्या इस से बंगलौर में बहुत से कांच टूट गये ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : तो भी वास्तव में न तो इन निर्णयों का कांच के चटकने अथवा टटने के कारण रूपान्तर किया गया है न ही इनमें परिवर्तन किया गया है । मैं इसके बारे में माननीय मंत्री को अश्वासन देता हूं । शायद गोवा के माननीय सदस्य को हमसे भी अधिक भय है । परन्तु यह सच है कुछ समय के लिए अपात कालीन स्थिति के कारण यह मामला स्थिगित करने का हमने विचार किया ।

श्री हरि विष्णु कामत : पांडिचेरी के सम्बन्ध में क्या है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह प्रश्न बिल्कुल नहीं उठा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री यशपाल सिंह ।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

*420. **श्री यशपाल सिंह :** +
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री म० ला० व्दिवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया आफिस लाइब्रेरी को लन्दन से स्थानान्तरित करवाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उसे भारत में लाने में क्या कठिनाइयां है; और

(ख) उसके कब तक भारत में स्थानान्तरित हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान 25 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 203 के मेरे उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है । तब से इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) इस परिस्थिति में कोई अनुमान लगाना असम्भव है ।

Shri Yashpal Singh : I want to know the delay that is being caused in this direction is due to Britan or Pakistan ?

श्री मु० क० चागला : मुझे यह बात कहने में बड़ा हर्ष होता है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर भारत और पाकिस्तान का मत एक है : इंग्लैंड की ओर से एक प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई प्रस्तुत की गयी है । मैं तब से ही इस मामले पर विचार कर रहा हूं जब कि मैं लंदन में उच्चायुक्त था । इस दिशा में मैंने यहां भी कुछ किया है । काफी देरी हो गयी है, मेरा विचार था कि प्रशासनिक देरी केवल भारतमें ही होती है, इग्लैंड में नहीं, परन्तु यहां तो ब्रिटेन की हालत इससे भी बहुत खराब हो रही है ।

Shri Yashpal Singh : When this proposal has come that Pakistan may either keep films or the original books, why then delay ?

Shri M. C. Chagla : The delay is due to Britain.

Shri Yashpal Singh : I want to knwo whether delay is due to some mischief on the part of Britain or some administrative delay ?

Shri M.C. Cbagla : No question of mischief The Great Britain has accepted the principle, and there are some procedural difficulties.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह मामला 1957 से चल रहा है, यह प्रक्रिया की क्या कठिनाइयां है, जिनके कारण देरी हो रही है, और जिनकी ओर ब्रिटेन ने हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे सदन के समक्ष सारी स्थिति बड़े स्पष्ट रूप में रखनी चाहिए। पहले तो ब्रिटेन ने ऐसी बातें की जो कि असंभव थीं, बाद में जब भारत और पाकिस्तान दोनों ओर से विरोध व्यक्त किया गया तो काफी बातचीत करने के बाद मामला न्यायाधिकरण को सौंपा गया। उस न्याया-धिकरण के बारे में निर्णय हुआ कि उसमें दो तीन सदस्य प्रिवी कौंसिल से लिए जायेंगे। फिर प्रश्न यह पदा हुआ कि कि उनका चुनाव कौन करे। इस पर भी कोई विशेष कठिनाई सामने नहीं आई। फिर प्रश्न यह था कि इस न्यायाधिकरण के निदेश पद क्या होंगे। फिर यह मामला भी किसी तरह हल हुआ। फिर इंडिया आफिस लाइब्रेरी के चुनने का प्रश्न था जिसमें नेपाल और बर्मा की पुस्तकें थीं। ब्रिटेन की सरकार इसे इस के अन्तर्गत नहीं लाना चाहती थीं। हम तों इसके लिए भी तैयार थे, परन्तु पाकिस्तान का विचार था कि सारे मामलों पर विचार हो। हम भी पाकिस्तान से सहमत थे। अब प्रश्न था कि न्यायाधिकरण किस कानून को लागू करेगा। हमारा सुझाव था कि इसे न्यायाधिकरण पर ही छोड़ दिया जाय। परन्तु ब्रिटेन ने इसे स्वीकार नहीं किया। हमने पाकिस्तान को अपना फार्मूला 22 जुलाई को भेजा और 26 जुलाई को उत्तर आया है कि वह मामले पर विचार कर रहे है। परन्तु अब नवम्बर गुजर रहा है हमे कोई उत्तर मिला नहीं। हमने अपने लंदन के उच्चायुक्त को लिखा है कि वह राष्ट्र मंडलीय सचिव से इस बारे में बात करे। और उनसे यह पता करे कि वे हमारे सूत्र से सहमत हैं अथवा नहीं। हमें कोई उत्तर अभी आया नहीं। वैसे हम इस मामलें के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं।

श्री वी०चं० शर्मा : माननीय मंत्री का सूत्र क्या है, पाकिस्तान और ब्रिटेन की कठिनाई उसके कार्यान्वित किये जाने के बारे में क्या है ?

श्री मु० क० चागला : क्यों की मामलें पर बात चीत हो रही है, अत: मेरे विचार में इस बारे में कोई बात बनाना ठीक नहीं होगा। इतना ही कि अभी पाकिस्तान और ब्रिटेन से उत्तर आया नहीं कि उन्होंने हमारा सूत्र स्वीकार किया है अथवा नहीं।

पेट्रो-कैमिकल के जापानी विशेषज्ञ

+

*421. **श्री सं० चं० सामन्त :**	**श्री बृजराज सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :	**श्री गोकरन प्रसाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :	**श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह :	**श्री दे० द० पुरी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :	

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रो-कैलि म के छः सदस्यीय जापानी विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) : मैं 8 सितम्बर 1965 के प्रश्न संख्या 493 के उत्तर की और ध्यान दिलाता हूं जिसमें यह बताया गया था कि भारत में पेट्रो-कैमिकल उद्योगों के विकास के अध्ययन के लिए 1964 में जापान कन्सल्टिंग इन्स्टिटयूट द्वारा संगठित किये गये सर्वेक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट इण्डियन इन्वैस्टमैण्ट सैन्टर को भेज दी थी ।

श्री सं० चं० सामन्त : क्या सर्वेक्षण दल भारत के सभी तेल उत्पादन क्षेत्रों में गया था, जहां कि इस दिशा में उद्योगों के लाभदायक होने की सम्भावनायें हैं ?

श्री अलगेसन : वह बहुधा ऐसे स्थानों पर गये। गुजरात में कोयाली, बम्बई, कोचीन और मद्रास में गये ।

श्री सं० चं० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में किसी भारतीय विशेषज्ञ का मत लिया गया था ?

श्री अलगेसन : उन्होंने हमारे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों से परामर्श किया था और अन्य लोगों से भी सलाह ली थी ।

Shri Yashpal Singh : Whether the Government will decide now to have talks with those persons only who would take the responsibility of this work, as previously nobody took the reponsibility of exploration. The situation is that after wasting 4 crores of rupees, it is stated that the experiment has failed. I want to know the ways and means adopted by the Government in this direction ?

श्री अलगेसन : तेल का यह कार्य रुस की सहायता से किया जा रहा है। उत्तरदायित्व लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो भी खुदाई होगी अथवा परिणाम निकलेंगे, उसके लिए दोनों का उत्तरदायित्व होगा।

Shri Madhu Limaye : Whether the Japanese experts have been asked to give their suggestions for setting up chemical Fertilizers and Petro-chemical Industries ?

श्री अलगेसन : वह इन सब स्थानों पर गये हैं। सारी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, परन्तु बरौनी में कुछ योजनाओं की छानबीन हो रही है। एक गैरसरकारी निकाय को भी पैट्रो रसायन योजना को चालू करने का लाइसैन्स दिया गया है ।

नागरिकों को सामूहिक तौर पर राइफल का प्रशिक्षण

*422. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिकों को सामूहिक तौर पर राइफल का प्रशिक्षण देने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा तयार की गई योजना को कार्यान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद से अब तक इस प्रयोजन के लिये कितनी राइफ ों का आयात किया गया है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) (1) राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों में नागरिकों को राइफल का प्रशिक्षण देने की योजना के अधीन स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या 673 है, और

(2) जिन लोगों को अब तक इन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया उनकी संख्या 95,470 है।

(ख) इस उद्देश्य के लिये आयात की जाने वाली 22 बोर की 20,000 राइफलों में से 5,000 पहले ही भारत में पहुंच चुकी हैं।

(ग) किस किस कार्य में कितने कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

श्री कर्णीसिंहजी : क्या यह सत्य है कि चीनी हमले के समय सरकार ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 20 लाख लोगो को राइफल का प्रशिक्षण दिया जाय, यदि हां, तो उस योजना का क्या बना ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमने कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, परन्तु यह ठीक है कि 1962 में हमने इस उद्दश्य से एक व्यापक योजना सामने रखी थी और लगभग 700 केन्द्र भी खोले थे। एक तो राइफलों की कमी थी दूसरे कुछ काम गैरसरकारी संस्थाओं के हाथ में था। अतः इस दिशा में विशेष प्रगति न हो सकी। परन्तु हम अब हम इस दिशा में काम को तेज करना चाहते है।

श्री कर्णीसिंहजी : क्योंकि राइफल प्रशिक्षण बहुत खर्चीला है, क्या सरकार इस प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिय राइफलों की कीमत नीचे लाने का प्रयास करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक राइफलों का सम्बन्ध है कि हम राइफल क्लबों को राइफलें दे रहे है। गोलियों के लिये तो केवल एक आना दिया जाता है, प्रवेश फी 3 रुपये है। अतः सामान्य लोगों के लिये तो यह मंहगी नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जैसा कि अभी हाल में प्रधान मंत्री ने कहा था कि शस्त्रास्त्र अधिक लोगों को बिना मूल्य दिये जाय, विशेष रूप में सीमा पर रहने वाले लोगों को, ताकि वें रक्षा कार्य को ठीक तरह किया जा सके। तो क्या प्रधान मंत्री के आश्वासन के अनुसार पश्चिमी सीमा राज्यों को मुफ्त अथवा रियायती मूल्यों पर शस्त्र दिये जा रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे पता नहीं कि प्रधान मंत्री ने कब यह घोषणा की थी। मैं अनुपस्थित था। वैसे मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि मामले पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और हमने 'होमगार्ड' बनाने का निर्णय किया था और उनके प्रशिक्षण के लिये शस्त्र देने का फैसला किया हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा प्रश्न 'होम गार्ड' के साथ सम्बन्धित नहीं, मुफ्त शस्त्र देने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इसी मामले पर चर्चा हुई थी। निर्णय यह हुआ था कि सब को राइफलें नहीं दी जायेंगी। परन्तु सीमावर्ती राज्यों में नियमित रूप में 'होम गार्ड' को प्रशिक्षित किया जायेगा, उन्हें ही राइफलें दी जायेंगी।

श्री नाथ पाई : लोगों को राइफल प्रशिक्षण देने के महत्व को कम नहीं किया जा सकता जब कि खतरा हमारी सीमाओं पर हमारे सामने है। सरकार महसूस नहीं कर रही और कागज़ी योजनायें बन रही हैं। क्या मंत्री महोदय को यह पता नहीं कि जो प्रशिक्षण लोगों को दिया जा रहा है, वह ठीक नहीं है, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या पग उठा रही है ताकि राइफल प्रशिक्षण को गम्भीरता से लिया जाय और गम्भीरता से ही प्रशिक्षण दिया जाय ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : महसूस न करने का कोई प्रश्न नहीं है। लोगों को, विशेषकर सीमावर्ती लोगोंको प्रशिक्षण देना ही चाहिये। 'होम गार्ड' जैसी संस्था की भी बहुत आवश्यता है। इस दिशा में यदि कोई कमियां हो तो उन्हें सुलझाया जाय और यहां तक सम्भव हो इस कार्य को बढ़ाया जाय।

श्री मानसिंह पू० पटेल : क्या राइफल प्रशिक्षण का कार्य राज्य सरकारों के जिला प्राधिकारियों पर छोड़ दी गयी है, यदि हां, तो नागरिकों की राइफल क्लबों को क्या सहाय्यता दी जाती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रत्येक राज्य में नागरिक राइफल क्लबें भी हैं और जिलों के प्रशिक्षण मुख्यालय भी हैं। पुलिस केन्द्रों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान योजना के अनुसार सभी राइफलों को की सहायता दी जाती है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Although we agree that realization is there as the Home Minister has conferred, but it is only on paper. The Government have agreed to import only five thousand Rifles after reqeated requests were made by the National Rifles Association and other bodies. Only 95 thousand people out of total population of 45 crores have been given the training. I want to know whether any thing else has been done in this direction and if so, what ?

Shri L. N. Misra : It is not the position that nothing has been done. The scheme could not be completed. Non-officials organisations have not come in the field. Training has been given not only to 95 thousand people. In addition to that people have been trained in N.C.C. and A.C.C., about 25 lakhs of people have been given Rifle training in all. The scheme which has been lately formulated includes the details as to have this work is being expanded in future.

संविधान के अनुच्छेदों का जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होना

\+

*423. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या गृहकार्य मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के कुछ अनुच्छेदों के जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू होने के संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श तथा परामर्श किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सहमति से राष्ट्रपति जी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत शीघ्र ही एक आदेश जारी किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सदरे-रियासत के पदनाम को राज्यपाल के नाम में परिवर्तित करने के लिये भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को संशोधित रूप में राज्य पर लागू करना है :—

अनुच्छेद 222
अनुच्छेद 361
अनुच्छेद 367(4)

संविधान के निम्नलिखित अन्य अनुच्छेदों को राज्य पर लागू करने के प्रस्तावों पर राज्य सरकार के साथ परामर्श किया जा रहा है :—

अनुच्छेद 81
अनुच्छेद 325
अनुच्छेद 326
अनुच्छेद 327
अनुच्छेद 328

श्री हरि विष्णु कामत : क्या संविधान के अन्तर्गत जिन अनुच्छेदों को जम्मू और काश्मीर पर लागू किया गया है उन्हें तथा कथित आजाद काश्मीर के आजाद करवाय गये भागों पर भी लागू किया गया है, और इन क्षेत्रों पर संघ सरकार और राज्य सरकार के अधिकार का कार्य पूरा हो गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह प्रश्न ही ऐसा है कि इसे समझने में समय लगता है। हमारे कानून आजाद कराये हुए काश्मीर के क्षेत्रों में लागू होते हैं कि नहीं, इस बारे में मेरा निवेदन है कि हमने इन कानूनों का विस्तार उन क्षेत्रों पर किया है, जिन्हें हमने आजाद करवाया है। वहां प्रशासन चल रहा है, सब कार्य दिशा में पूर्ण है। जो कुछ करना होगा उसे देश के कानून के अनुसार किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मै इस प्रकार के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार और विशेष मशीनरी द्वारा इसे प्रशासित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में जम्मू और काश्मीर राज्य के कानून लागू किये जा रहे हैं।

श्री नन्दा : जी, ठीक यही बात है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बात सरकारी तौर पर प्रकट हो चुकी है कि प्रधान मंत्री ताशकंद और वाशिंगटन जा रहे हैं। क्या प्रधान मंत्री यह स्पष्ट बता सकते हैं कि क्या वह इन भेंटों में भारत के आन्तरिक मामलों की चर्चा की अनुमति देंगे, और विशेष रूप में काश्मीर पर चर्चा होगी, और क्या निकट भविष्य में राज्य पर अनुच्छेद 370 लागू कर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जो उत्तर दिया है, वह भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे समझा है।

Shri Parkash Vir Shastri : The late Dr. Shyam Parshad Mukherjee had urged upon the Government to have one President, one Constitution, and one flag in India and Kashmir both. The Government have not done anything in this direction during the last 17 years. When our Prime Minister is saying again and again that Kashmir is an integral part of India, why do you not do away with the article 370 ?

Mr. Speaker : Honorable Members should know that I cannot give more than a minute for a question.

Shri Nanda : Article 370 enables us to enforce any article there without changing the constitution.

Shri Parkash Vir Shastry : Honorable Minister

Shri Nanda : This question has been answered here several times. It may be stated that the importance of this article is less in the present situation. We do every thing with the cooperation of the State Government of Jammu and Kashmir. That policy has stood in good stead. I should not say anything more in this connection.

Shri Parkash Vir Shastri : Sir I seek your protection.

Mr. Speaker : I have given you sufficient time.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether the Government has an intention of rehabilitating the people in those areas of the so called Azad Kashmir, which have been liberated by our soldiers, irrespective of removing this article 370 or not ?

Shri Nanda : This question does not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, I want your verdict on this issue. How can the Honorable Minister say that I cannot raise this issue ? Whey Can I not raise this question ?

श्री हम बरुआ : कल राज्य सभा में माननीय प्रधान मंत्री ने बताया था कि ताशकंद में काश्मीर पर चर्चा नहीं होगी, और केवल भारत-पाक प्रश्नों पर चर्चा की जायेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में प्रधान मंत्री का क्या रुख है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है ।

श्री हेम बरुआ : कल राज्य सभा में उन्होंने ऐसी बात कही है । इसे मने आज के अखबारों में पढ़ा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : ठीक यही मेरा प्रश्न था ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने ऐसी बात क्या कल राज्य सभा में कही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के लिये और बहुत से उपाय है, इसे प्रश्नों के समय नहीं उठाया जा सकता ।

Yesterday the chairman of the Bihar council had told me that no point of order would be raised during buestion hour. I am very happy over that, and I with that our Hou e shou d also consider this matter.

श्री हेम बरुआ : यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, और इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई निर्णय नहीं दिया . . . .

श्री हम बरुआ : प्रधान मंत्री ने एक बात यहां कही और इससे भिन्न बात दूसरे सदन में कही है ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने का यह अवसर नहीं है, इसे वह किसी और समय और दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं । प्रश्नकाल में नहीं ।

श्री रंगा : कई माननीय सदस्य प्रश्न काल में औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करते हैं । ठीक समय पर माननीय सदस्यों को औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करने से नहीं रोका जाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : निदेशों के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री रंगा : यह नहीं हो सकता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अन्दमान द्वीपसमूह विकास संबंधी दल का प्रतिवेदन

*424. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के उस दल ने जो पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास की गुंजाइश का पता लगाने के लिये अन्दमान द्वीप समूह में गया था, अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने उस क्षेत्र का समूचा सर्वेक्षण किया है ;

(ग) सम्यक् रूप से वित्त पोषित तथा विकसित कृषि औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में शरणार्थी परिवारों को बसाने की सम्भावना के बारे में भारत सरकार का क्या अनुमान है; और

(घ) वहां पर कितने शरणार्थी परिवारों को बसाया जा चुका है तथा मार्च, 1966 तक कितने परिवारों को वहां पर भेजने का विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) द्वीपसमूह के समैकित साधन विकास योजना के लिये बनाई गई अन्तर्विभागीय टीम ने मसौदे की रिपोर्ट तयार कर ली है। आशा है शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

(ख) टीम के प्रवीण सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विकास संभाव्य के बारे में एक व्यापक मूल्यांकन कर लिया गया है।

(ग) त्वरित विकास जिसके लिये वहां गुंजाईश है और जिससे अतिरिक्त रोजगार सुविधायें उत्पन्न होंगी जिन्हें पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों, बर्मा तथा लंका से लौटने वालों तथा अन्य के लाभ के लिये उपयोग किया जा सकता है। तथापि विकास कार्यक्रम का आकार उपलब्ध साधनों पर निर्भर होगा।

(घ) 1949 तथा 1963 के बीच में 2,861 शरणार्थी परिवार द्वीप समूह में बसाये गये थे। 1964 के बीच लगभग 200 सहकारी तथा उनके परिवार मध्य अन्दमान में भेजे गये थे। उसी क्षेत्र में लगभग 400 सहकारियों को शीघ्र ही भेजने का प्रस्ताव है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्ष का डिग्री कोर्स

***425. श्री क० ना० तिवारी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए चार वर्ष का डिग्री कोर्स आरम्भ करने के प्रस्ताव का परीक्षण करन के लिए एक समिति बनाई है;

(ख) क्या आनर्स तथा पास कोर्सों का पुनरनुस्थापन करने का सुझाव दिया गया है जिससे कि स्नातक लोग उच्च अध्ययन करने के लिये अधिक योग्य हो सकें और विकासशील औद्योगिक तथा सरकारी उपक्रमों की जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकता भी पूरी हो सके; और

(ग) क्या शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसा कोर्स आरम्भ किया जा रहा है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख): जी, हां। समिति प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी।

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आरम्भ किए गए इस प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है। फिर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्चतर-शिक्षा के स्तरों संबंधी समस्याओं की बाकायदा छानबीन की है।

हिन्दी का प्रचार

*426. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 10 अक्तूबर, 1965 के 'टाइम्स आफ़ इंडिया' में प्रकाशित ये समाचार पढ़े हैं कि पिछले दस वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी का प्रचार करने के लिये किये गये उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दी को देश में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दी के प्रसार के लिये जो कार्रवाई की जा रही है अथवा करने का विचार है, उसका ब्यौरा सभापटल पर रख दीया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5223/65।]**

Obscene Pictures in Newspapers

*427. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the obscene matter and nude pictures being published by many newspapers in the Capital;

(b) if so, the steps taken by Government against the publication of such obscene matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). Appropriate action is taken whenever any obscene matter, actionable in law comes to the notice of the Government.

उर्वरकों के बारे में चौथी योजना के लक्ष्य

*428. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० सरोजिनी महिषी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों के उत्पादन के बारे में चौथी योजना के लक्ष्य को कम करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस का मुख्य कारण यह है कि अमरीकी पार्टियों की ओर से सहायता की निश्चित पेशकश नहीं मिली है; और

(ग) दुर्गापुर, कोचीन, मद्रास, हल्दिया, मंगलौर तथा कानपुर की प्रस्तावित उर्वरक-परी-योजनाओं की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) **दुर्गापुर :** असैनिक निर्माण कार्य प्रगति पर है और मशीन एवं उपकरणों के लिए टैण्डर तैयार हैं तथा विदेशी मुद्रा का नियतन होते ही टैण्डर जारी किये जायेंगे।

कोचीन : परियोजना अध्ययन हो चुका है और विदेशी मुद्रा अमरीकी सहायता (U.S. Aid) से उपलब्ध की जा रही है।

कानपुर : एक आशय पत्र जारी किया गया है और फरवरी 1966 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मिलने की आशा है ।

मद्रास : अमोको (Amoco) के साथ विस्तृत बातचीत प्रगति पर है।

मंगलौर और हल्दिया : योजनाएं अभी बातचीत की प्रारम्भिक स्थिति में हैं।

सशस्त्र पुलिस के कर्मचारी

*430. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में पाकिस्तान द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के दौरान सशस्त्र पुलिस के कितने कर्मचारी मारे गये, अपाहित हुए अथवा घायल हुए ;

(ख) क्या उनके निकटतम सम्बन्धियों को पेंशन दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को क्या सहायता देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हाल के आक्रमण में मारे गये और अपाहिज अथवा घायल होने वाले सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

मृत	99
अपाहिज अथवा घायल	159

(ख) उन व्यक्तियों को अथवा उनके निकटतम सम्बन्धियों को अपाहिज होने की असाधारण पेंशन, उन पर लागू राज्य अथवा केन्द्रीय नियमों के अनुसार, दी जायगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार सशस्त्र पुलिस के उन सभी कर्मचारियों की पूरी जिम्मेवारी उठायेगी जिनके बारे में उसने खर्च करना स्वीकार किया था।

जासूस

431. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी आक्रमण होने के समय से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार निम्नलिखित व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है :

(1) पाकिस्तान हेतु जासूसी करने के आरोप में अथवा जनता के मनोबल को गिराने के लिए झूठी अफवाहें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति;

(2) वैध वीसा लेकर भारत आये हुए पाकिस्तानी नागरिक जो अवांछित कार्यवाहियां करते हुए गिरफ्तार किये गये अथवा नज़रबन्द किए गए;

(3) वैध वीसा बिना भारत आए पाकिस्तानी नागरिक, जो युद्ध आरम्भ होने के बाद गिरफ्तार किए गए; और

(4) वीसा की अवधि समाप्त हो जाने पर भारत में रहे हुए तथा गिरफ्तार किये गए पाकिस्तानी नागरिक ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (1) जासूसी करने के आरोप में 12 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं—पंजाब और पश्चिमी बंगाल दोनों में छः छः। अफवाहें फैलाने के कारण गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं हैं।

(2), (3) और (4) सदन के सभा-पटल पर दो विवरण रख दिये गए हैं। **[पुस्तकालय में रख गये। देखिये संख्या एल० टी०–5224/65।]**

प्रति व्यक्ति (कैपीटेशन) फीस

*432. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री काजरोलकर :**
श्री लिंग रेड्डी : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **शिक्षा** मंत्री तकनीकी कालेजों में प्रवेश शुल्क के बारे में 18 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तथ्य-निर्धारण समिति ने मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं तथा उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

समिति का मुख्य निष्कर्ष यह था कि इन कालेजों में अनुदेश की सुविधायें बहुत कम थी।

2. समिति ने ये सिफारिशें की हैं :—

(एक) कालेजों को वार्षिक आधार पर सम्बद्ध किया जाना चाहिये। और प्रत्येक वर्ष यह देखने के लिय उनका निरीक्षण किया जाना चाहिय कि क्या आवश्यक अनुदेश सुविधाये प्रदान की गई हैं। यदि कोई कालेज आवश्यक सुविधायें प्रदान करने में असफल रहे तो उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाना चाहिये और विद्यार्थियों को दूसरे कालेजों में प्रवेश दे दिया जाना चाहिये।

(दो) केन्द्रीय सरकार इन कालेजों को सहायता देने के प्रश्न को "निर्बाध नीति" के अन्तर्गत विचार कर सकती है।

3. समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही राज्य सरकार तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की सलाह से की जाती हैं। इस लिये समिति का प्रतिवेदन सम्बद्ध विश्वविद्यालयों और मैसूर राज्य को उनकी राय जानने के लिये भेज दिया गया था। विश्वविद्यालयों ने अपनी राय व्यक्त कर दी है। राज्य सरकार की राय की प्रतीक्षा की जा रही है।

नागरिक सुरक्षा

*433. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान यह बात मालूम हुई है कि नागरिक सुरक्षा के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले हवाई हमलों से बचाव के उपकरण स्थिति का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त नहीं थे; और

(ख) क्या इन त्रुटियों को दूर करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी हाल के युद्ध के दौरान नागरिक सुरक्षा के उपकरण कुछ दृष्टियों से अपर्याप्त पाये गए। इस स्थिति का सामना करने के लिये एकदम खास तौर पर प्रबन्ध किये गए और कुल मिला कर किसी भी काम में हर्ज नहीं पढ़ने दिया गया।

(ख) प्राथमिकता के आधार पर उपकरण प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि कमियों को शीघ्र ही दूर कर लिया जायगा।

प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी बर्न उपसन्धि

*434. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी बर्न उपसन्धि से बाहर निकल आने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) बर्न सम्मेलन का संशोधित रूपांतर मिलने पर अगस्त 1967 के आसपास ही निर्णय लिया जा सकता है।

नरतत्वीय विभाग के मानचित्र

*435. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरतत्वीय विभाग के कुछ महत्वपूर्ण मानचित्र गुम हो गये हैं;

(ख) क्या इन में से कुछ मानचित्र पाकिस्तान ले जाए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारतीय नरतत्वीय सर्वेक्षण के पुस्तकालय से कुछ मानचित्रों के गुम होने की रिपोर्ट की गई है।

(ख) और (ग) : मामले की छानबीन की जा रही है।

संतानम समिति की सिफारिशें

*436. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री लिंग रेड्डी : **श्री ओंकारलाल बेरवा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 25 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संतानम समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गई है।

विवरण

सन्थानम समिति द्वारा की गई कुल 137 सिफारिशों (सिफारिशें के भागों सहित) में से, 113 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, 7 स्वीकार नहीं की गई हैं और शेष 17 विचाराधीन है, जिन सबका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. निम्नलिखित 106 सिफारिशें संशोधित रूप में अथवा बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर ली गई हैं और क्रियान्वित कर दी गई हैं :

(1) सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों से सम्बन्धित सिफारिशें	6
(2) कानूनों में संशोधनों से सम्बन्धित सिफारिशें	15
(3) राजनैतिक दलों आदि से सम्बन्धित सिफारिश . .	1
(4) विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित सिफारिश	1
(5) अन्य .	83
योग	106

2. निम्नलिखित 7 सिफारिशें पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई है और उनको लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है :

(1) सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन नियमों से सम्बन्धित सिफारिश .	1
(2) कानूनों में संशोधनों से सम्बन्धित सिफारिशें . .	5
(3) अन्य .	1
योग .	7

3. अस्वीकृत सिफारिशें . . .	7
4. निम्नलिखित 17 सिफारिशें विचाराधीन हैं :	
(1) संवैधानिक परिवर्तनों से सम्बन्धित सिफारिशें .	5
(2) राजनैतिक दलों आदि से सम्बन्धित सिफारिशें . .	4
(3) न्यायपालिका से सम्बन्धित सिफारिशें . . .	1
(4) अन्य	7
योग	17
कुल योग	137

जांच करने से संबंधित नियम पुस्तिका

*437. **श्री बूटा सिंह :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक अधिकारी, जिनसे असैनिक सेवा वर्गीकरण तथा नियंत्रण एवं अपील नियमों के अन्तर्गत जांच करने के लिए कहा जाता है, जांच करने तथा साक्ष्य लेने के मामले में निश्चित प्रक्रिया अपनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं;

(ख) क्या बहुत से अधिकारियों को विषय सम्बन्धी अद्यतन आदेशों की जानकारी न होने के कारण ही, अनुशासन सम्बन्धी मामलों के बहुत से निर्णय विधि न्यायालयों द्वारा रद्द किय जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या एक ऐसी विस्तृत नियम पुस्तिका बनाने का सरकार का विचार हैं, जिसमें ऐसी जांच करने के विषय में स्पष्ट निदेश दिए हुए हों ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह सत्य नहीं है कि बहुत से अधिकारी विभागीय जांच करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

(ख) यह सत्य नहीं है कि अनुशासन सम्बन्धी मामलों में बहुत से फैसले प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटियों के कारण न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिये जाते हैं।

(ग) जांच अधिकारियों की सुविधा और निदेश की सरलता के लिये केन्द्रीय जांच आयोग का एक ऐसी पुस्तिका बनाने का विचार है ।

काश्मीर में पाकिस्तानी विध्वंसक गिरोह

*438. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में एक पाकिस्तानी गिरोह सक्रिय रूप सें काम कर रहा है जो काश्मीर घाटी में अगज़नी तथा विध्वंसक कार्यवाहियों समेत अनेक राष्ट्र-विरोधी कार्यों के लिए जिम्मेदार है;

(ख) क्या हमारी सुरक्षा सेनायें इसको नष्ट करने में सफल हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) क्या उन से कोई कागज़ात भी पकड़े गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : यह ठीक है कि हाल ही में जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने एक पाकिस्तानी गिरोह नष्ट किया है जिस पर आगज़नी और विध्वंसक साहित्य बांटने तथा अन्य ऐसी ही गतिविधियों के कुछ मामलों के लिये उत्तरदायी होने का यकीन था। इस बारे में अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं। इस मामले की सक्रिय रूप से जांच चल रही है। इस स्तर पर विस्तार से कुछ बताना जनहित के विरुद्ध होगा।

3—5 Lok Sabha/66

विशेष पुलिस संस्थान के अधिकारी

***439. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस संस्थान के कितने अधिकारी अपने अपने पदों पर तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन्हें उन पदों से, विशेषत: इस कारण कि विशेष पुलिस संस्थान के अधिकतर अधिकारियों का संबंध औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की अनियमितताओं और कदाचारण संबंधी मामलों की जांच से होता है, स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विशेष पुलिस संस्थान के बढ़े हुए काम-काज को देखते हुए, जिस के कारण इस संस्थान के लिये बहुत से पदाधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता है तथा औद्योगिक और व्यापारिक सार्थों से उनका सम्पर्क में आना आवश्यक होता है, सरकार ने सन्थानम समिति की सिफारिशों के अनुसार इन अधिकारियों का समय-समय पर स्थानान्तरण करने की वांछनीयता के बारे में विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) (एक) पुलिस सुपरिन्टैंडेंट और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों की कुल संख्या 58 हैं। उनमें से 6 अधिकारी 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही शाखा।यूनिट में उसी पद पर काम करते रहेहैं।

(दो) डिप्टी पुलिस सुपरिन्टैंडेंटों की कुल संख्या 121 है। उनमें से 7 अधिकारी 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही शाखा।यूनिट में उसी पद पर काम करते रहे हैं।

(तीन) इन्सपेक्टरों और सब-इन्सपेक्टरों की कुल संख्या क्रमश: 389 और 174 है। उनमें से 48 इन्सपेक्टर और 14 सब-इन्सपेक्टर 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही शाखा।यूनिट में उसी पद पर काम करते रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय जांच विभाग के अधिकांश अधिकारी राज्यों से प्रतिनियुक्त किये गये हैं। प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 5 वर्ष है। इन अधिकारियों (भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर) की सेवायें साधारणतया किसी विशेष शाखा के लिए प्राप्त की जाती हैं। इस लिए ये अधिकारी साधारणतया एक शाखा में 5 वर्ष तक रहते हैं।

(ग) अधिकारियों पर निगरानी रखी जाती है और जब भी आवश्यकता होता है, तबादले किये जाते हैं। केन्द्रीय जांच विभाग में अधिकांश अधिकारी राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्त किये गये हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर वे वापस भेज दिये जाते हैं और इस तरह केन्द्रीय जांच विभाग में अधिकारियों का धीरे धीरे स्थानान्तरण होता रहता है।

विश्वविद्यालय द्वारा गांवों का अपनाया जाना

***440. श्री मुथिया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देते समय उन्होंने यह सिफारिश की थी कि भारत के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अपने आस-पास के कुछ गावों को अपनाना चाहिए तथा उन में रहन-सहन की दशा में सुधार करना चाहिए और वहां से निरक्षरता, गन्दगी तथा गरीबी को दूर करना चाहिए,

(ख) क्या उन्होंने विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को, अपना यह सुझाव भेज दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव के सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : जी, हां। पहली नवम्बर 1965 के एक पत्र में इस विषय पर उपकुलपतियों का ध्यान दिलाया गया था।

(ग) अब तक नौ विश्वविद्यालयों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और उनकी प्रतिक्रियायें अनुकूल हैं।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

*441. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह आयोजित न करने का निर्णय किया है,

(ख) क्या सरकार ने नवें अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए इस सुझाव पर विचार किया है कि ये समारोह भारत की राजधानी के बजाये गांव में आयोजित किये जाने चाहिए, और

(ग) क्या इन समारोहों में कार्यक्रमों का स्तर गिर जाने के कारण ही सरकार को इस समारोह को बन्द करना पड़ा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) जी, नहीं। इस वर्ष समारोह न होने के निर्णय का कार्यक्रमों के स्तर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सीमाओं को सुदृढ़ बनाना

*442. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाले भारतीय सीमा क्षेत्रों तथा उन के आस-पास के क्षेत्रों में उन भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य लोगों को, जिन को चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमण से क्षति पहुंची है, बसाने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री० ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ घने खण्डों में जहां भूमि उपलब्ध हो भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के सुझाव पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार विचार कर रही है। त्रिपुरा के लिये एक योजना हाल ही में मंजूर की गई है। अन्य मदों के अन्तर्गत सूचना एकत्रित की जा रही है !

फलित ज्योतिष सम्बन्धी अनुसन्धान

*443. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फलित ज्योतिष सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसंधान करवाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर "नहीं" है तो क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : इस मंत्रालय का ऐसा कोई विचार नहीं है कि वह फलित ज्योतिष सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसंधान कराए। फिर भी वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय जैसी कुछ संस्थाएं फलित ज्योतिष विषय का अध्ययन करा रही है। किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से फलित ज्योतिष को अभी तक पूर्णरूप से एक विज्ञान नहीं माना जा सकता है। इस लिए सरकारी स्तर पर फलित ज्योतिष सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसंधान करना इस समय असामयिक होगा।

स्वच्छिक संस्कृत संस्थाएं जो अन्य बातों के साथ साथ फलित ज्योतिष के पठन-पाठन में लगी हुई है, वे इस मंत्रालय की "स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं आदि को वित्तीय सहायता की योजना" के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने की पात्र है ।

Speech by Shri Namboodripad in Bombay

***444. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Jagdev Singh Siddhanti : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Vishram Prasad : Shri Yudhir Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Leftist Communist Leader, Shri E. M. S. Namboodripad, has said in some speech delivered by him in Bombay that Indian territory should not be taken back from both Pakistan and China; and

(b) if so, the steps taken by Government in this connection?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) In a speech delivered at Bombay on 9-11-65, Shri E. M. S. Namboodripad is reported to have said that his party could not support the Government if its objective was to recapture Azad Kashmir from Pakistan and Aksai Chin from China and mount an offensive to liberate Tibet.

(b) The Government will take at the appropriate time such action as is necessary.

केरल में परिचालित रहस्यमय दस्तावेज

***445. श्री हरि विष्णु कामत : श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में परिचालित किये गए रहस्यमय दस्तावेज़ की जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ौर प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इस दस्तावेज़ को जारी करने वालों का पता नहीं चल सका ।

गर-सरकारी कम्पनियों में लगे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी

1170. श्री मधु लिमये : श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में प्रबन्धकों अथवा निदेशकों के अथवा ऐसे हो उच्च पदों पर काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरियां स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) इस बारे में सदन में 4 मार्च, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 428, 25 अगस्त 1965 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 189 और 10 नवम्बर, 1965 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । मामला विचाराधीन है ।

सेवाओं में सैनिक कर्मचारियों के लिए स्थान सुरक्षित करना

1171. श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि 1967 से 1970 तक भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के लिए कर्मचारियों के चुनाव तथा भर्ती में 33 से 20 प्रतिशत पद पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने वाले सशस्त्र कर्मचारियों के लिए सुरक्षित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : जी नहीं । किन्तु सरकार ने सेना से सेवा-निवृत्त कमीशन्ड अफसरों की पुनर्नियुक्ति के उपायों में से एक के रूप में अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं/पदों के श्रेणी I तथा II (गैर तकनीकी) पदों की स्थायी नियुक्तियों की निम्नलिखित प्रतिशत को सेवा निवृत्त एमर्जेंसी कमीशन के अधिकारियों के लिये सुरक्षित रखने का निश्चय किया है :—

भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय परराष्ट्र सेवा	20%
भारतीय पुलिस सेवा	$33\frac{1}{3}$%
श्रेणी I (गैर तकनीकी) सेवा/पद	25%
श्रेणी II (गैर तकनीकी) सेवा/पद	$33\frac{1}{3}$%

सरकार इस योजना पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर रही थी और पंजाब सरकार ने पदों के प्रस्तावित आरक्षण के लिये अपनी सहमति जाहिर कर दी थी ।

शिक्षा में विविधता लाना

1172. श्री अ० क० गोपालन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक स्कूल स्तर पर शिक्षा में विविधता लाने तथा सत्रीकरण करने का प्रयोग सफल सिद्ध नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रयोग कब और कितने स्कूलों में आरम्भ किया गया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विविधता बहु प्रयोजनीय स्कूलों की योजना के जरिये लाई गई है। तथापि, उनकी कार्यप्रणाली से कुछ कमियों का पता चला है और उन्हें दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। ये कमियां अधिकतर अच्छे अध्यापकों और निधि के सम्बन्ध में रही हैं।

(ग) 1955 में; 250 स्कूलों में।

माही प्रशासन के कर्मचारी

1173. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माही में भूतपूर्व फ्रांसीसी प्रशासन से नोकरी पर रखे गये कर्मचारियों ने वेतन पुनरीक्षण और अन्तरिम सहायता की मांग की है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि उनकी और वैसे ही पदों पर काम कर रहे हमारे सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में कोई अन्तर है तो क्या अन्तर है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें दूसरों के जैसे स्तर पर रखने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) (क) जी हां।

(ख) से (ग) : विलय-पूर्व स्थायी भूतपूर्व फ्रांसीसी कर्मचारियों के वेतन क्रम सामान्यत: अपने समान भारतीय पदों के वेतन-क्रमों से ऊंचे थे। ये वेतन क्रम फ्रांस तथा भारत के मध्य हस्तांतरण-संधि द्वारा रक्षित थे। अत: विलय-पूर्व स्थायी भूतपूर्व फ्रांसीसी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में वृद्धि के लिये संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। अस्थायी विलय-पूर्व कर्मचारियों को विकल्प दिया गया था कि वे चाहें तो पुरानी फ्रांसीसी वेतन-क्रम पर काम करते रहें और चाहें तो मद्रास राज्य में लागू वेतन-क्रमों तथा भत्तों पर आ जायं। ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के बारे में जिन्होंने 1960 मे मद्रास के वेतन-क्रमों पर आना स्वीकार कर लिया था, उनके वेतन इस प्रकार निश्चित किये गए थे कि उनमें से किसी को भी मिलने वाली कुल उपलब्धियों में कमी नहीं हुई। ऐसे कर्मचारियों को मद्रास राज्य में होने वाले किसी भी संशोधन के लाभों का हक़दार माना जाता है।

भूतपूर्व स्थायी फ्रांसीसी कर्मचारी, हक के तौर पर, किसी प्रतिकारात्मक भत्ते के अधिकारी नहीं थे। फिर भी 1960 में उन्हें खासतौर पर कम से कम 15 रु० और अधिक से अधिक 35 रु० प्रतिमास की दर से प्रतिकर भत्ता दिया गया। इस प्रतिकर भत्ते की दर पहले मार्च 1965 में और फिर अक्तूबर 1965 में बढ़ाई गई। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अब कम से कम 25 रु० और अधिक से अधिक 55 रु० प्रति मास की दर से प्रतिकर भत्ता दिया जाता है।

ऐसे भूतपूर्व फ्रांसीसी कर्मचारियों को जिन्होंने मद्रास के वेतन-क्रम मंजूर नहीं किये है, उन वेतन क्रमों पर आने के लिये एक और मौका देने का फैसला किया गया है। जो कर्मचारी मद्रास के वेतन-क्रमों पर आना चाहेंगे उनका वेतन इस तरह निश्चित किया जायगा कि उनकी कुल उपलब्धियों में कोई कमी न पड़े। उसके बाद वे मद्रास के वेतन क्रमों तथा मंहगाई भत्ते की दरों में समय-समय पर संशोधन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ के हक़दार होंगे।

Naga Clash

1174. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on or about the 31st October, 1965 a policeman was killed in an attack by the armed Naga rebels on the police guarding a civilian bus near Saney on Imphal-Moreh road;

(b) if so, the details of the incident; and

(c) the steps being taken to strengthen the existing arrangements for the security of civilians against the rebels?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c). On receipt of information that a group of armed anal hostiles had stopped a private jeep between Pallel-Moreh Section of Imphal-Moreh road on the morning of 30th October, 1965 and snatch away Rs. 40 from the occupants, seven Andhra Pradesh Special Police personnel escorted the mail bus for its protection from their post at Lokchao. At about 12 miles from Pallel towards Moreh, they were ambushed at village Senam by an armed gang of about 35 anal hostiles. They opened fire causing serious injuries to two constables. The fire was returned. After the encounter, the gang ran way. One of the two injured constables died in Civil hospital, Imphal. The other constable is out of danger. Two casualties are reported in the gang. A case has been registered and investigation is being pursued. Police has been strengthened in the area to maintain law and order.

बोलघाटी महल, एर्नाकुलम

1175. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एर्नाकुलम स्थित बोलघाटी महल को गैर-सरकारी व्यक्तियों को पट्टे पर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इसे पर्यटक केन्द्र बनाने का था; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का परित्याग करने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) यह पर्यटन व्यवसाय के विकास के हित में किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) मूल योजना का परित्याग कर दिया गया क्योंकि उसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। किन्तु इसके स्थान पर 30 लाख रुपये की लागत से 5 मंजिल के एक 100 कमरों वाले होटल को बनाने के एक कार्यक्रम पर अस्थायी रूप से विचार किया जा रहा है।

कृत्रिम वर्षा

1176. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम वर्षा करने के बारे में अब भी अनुसन्धान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली, आगरा और जयपुर में अब तक किये गये 112 परीक्षण प्रयोगों में से 60 से ठोस परिणाम निकले हैं।

अमरीकी "ग्राफिक आर्टस्" प्रदर्शनी

1177. **श्री राम हरख यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी संघ ने भारत के प्रमुख नगरों में ले जाई जाने वाली अमरीकी 'ग्राफिक आर्टस' प्रदर्शनों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा किन नगरों में प्रदर्शनी ले जाने की अनुमति दी गई है; और

(ग) इनमें किस प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : 1. दो प्रदर्शनियां हैं।

2. एशिया सोसाइटी, न्यूयार्क द्वारा आयोजित अमरीकी ग्राफिक आर्टस् प्रदर्शनी नवम्बर, 1963 में भारत पहुंची। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, नई दिल्ली, द्वारा यह परिचालित की जा रही है और इसकी मार्ग-सूची में दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और बम्बई शामिल हैं। प्रदर्शनी में प्रमुख अमरीकी कलाकारों के 55 अम्ललेखन (ठप्पे) शामिल हैं।

3. नेशनल एसोसिएशन आफ वीमन आर्टिस्टस, न्यूयार्क, द्वारा अमरीकी 'ग्राफिक्स' की अन्य प्रदर्शनी सितम्बर, 1965 में भारत पहुंची। यह अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली, द्वारा परिचालित की जा रही है और इसकी मार्ग-सूची में कलकत्ता, दिल्ली, चन्डीगढ़, अहमदाबाद, बडौदा, हैदराबाद, मद्रास और बम्बई शामिल हैं। प्रदर्शनी में अमरीका की 40 महिला कलाकारों के 50 चित्र हैं।

विदेशियों की गिरफ्तारी

1178. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कुछ विदेशी नागरिकों ने भारत विरोधी गति-विधियों में भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है और वे किस-किस देश के नागरिक हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नागरिकों को पुरस्कार

1179. **श्री राम हरख यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागरिकों द्वारा किये गये अदम्य साहस तथा समर्पित सेवा के कार्यों के लिये मान्यता तथा पुरस्कार देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से उन व्यक्तियों की सूची भेजने के लिए कहा है, जिन्होंने हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सराहनीय सेवा की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : वीरता के कार्यों के लिये असैनिक व्यक्ति पहले ही 1952 में स्थापित अशोक चक्र (श्रेणी I, श्रेणी II और श्रेणी III) को प्राप्त करने के हक़दार हैं।

(ग) जिन असैनिक व्यक्तियों ने अभी हाल के भारत-पाकिस्तानी संघर्ष में विशिष्ट सेवा की है उनको आगामी गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कार देने के लिये विचार किया जायेगा।

Filling up of vacancies in I.O.C.

1180. Shri Ram Sewak Yadav :

Shri Utiya :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the total amount received on account of the application fees for posts advertised by the Indian Oil Company during the period from July, 1963 to August, 1965;

(b) whether all the applicants are called for interview; and

(c) if not, whether those who are not called for interview are given an intimation to that effect and the amount of fee refunded to them?

Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) Rs. 49382·50.

(b) No, Sir.

(c) Intimation to this effect is given to candidates not called for interview, but the application fees are not refunded to them.

Archaeological School

1181. Shri Ram Sewak Yadav :

Shri Utiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the existing lodging arrangements for the students of Archaeological School functioning under the Indian Archaeological Survey;

(b) the nature of transport facilities provided by Government to the students;

(c) the arrangement for teachers in the School; and

(d) the authority by whom and the basis on which the selection of teachers is made?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Archaeological Survey of India has made no lodging arrangements for the students of the School.

(b) For visits to monuments and sites in Delhi, vehicles of the Archaeological Survey of India are made available to the students. For tours outside Delhi, single III class railway fare or bus fare, as the case may be, is paid to them.

(c) Officers of the Archaeological Survey deliver lectures in branches of their specialisation. Wherever necessary, help is obtained from sister organisations like the Anthropological Survey of India, the Zoological Survey of India and Universities.

(d) The Director, School of Archaeology, in consultation with the Director General of the Survey, selects the lecturers. The principle is to request specialists to deliver lectures in their respective fields.

Museum Guides in New Delhi

1182. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Utiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of full-time Guides posted in the National Museum, New Delhi, and the Nehru Memorial Museum, respectively;

(b) whether there is any disparity between the qualifications and pay-scales prescribed for the Guides in the two Museums; and

(c) if so, the reasons therefor?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

(a)

	Senior Guide Lecturers	Guide Lecturers
National Museum	One	Two
Nehru Memorial Museum and Library	Nil	Six

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Research Scholars

1183. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that whereas the number of research scholars in Universities is dwindling, it is increasing in National Laboratories;

(b) if so, the reasons therefor, and the comparative figures from April, 1960 to March, 1965 in this regard; and

(c) the details of higher and applied research works in the National Laboratories during the said period and the number out of these which have been exploited commercially?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati S. Soundaram Ramachandran) : (a) No, Sir; the number of research scholars has been increasing both in Universities and in National Laboratories.

(b) Does not arise.

(c) The information is published from time to time in the annual reports of the Council of Scientific and Industrial Research and National Research Development Corporation, copies of which are available in the Library of the Parliament.

Arrest of Pak spy at Ghazipur

1185. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any Pakistani spy was arrested at the time of Pakistani attack at Ghazipur (U. P.) aerodrome;

(b) whether it is also a fact that he has not made any statement before the authorities; and

(c) the details of this incident?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishr) : (a) to (c). One person, who was found loitering in the vicinity of the landing strip at Ghazipur, was arrested by the local police on the 8th September, 1965 under section 54 Cr. P. C. and Section 14 Foreigners' Act. He was interrogated and nothing incriminating was found against him. The man appeared to be of unsound mind.

केरल में डिप्टी तहसीलदार

1186. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1960, 1961 और 1962 में कण्णनूर, कालीकट और पालघाट ज़िलों के लिए डिप्टी तहसीलदारों की कोई नियमित सूचियां तैयार की गई थीं;

(ख) क्या इन सूचियों के आधार पर कोई नियुक्तियां की गई थीं;

(ग) क्या इन सूचियों को स्थगित कर दिया गया है और पुनरीक्षित सूचियां तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो मूल सूचियों को रद्द किये बिना पुनरीक्षित सूचियां तैयार करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रति-रक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : मद्रास के नियमों के अधीन, जो मलाबार क्षेत्र में लागू थे, डिपुटी तहसीलदारों के संवर्ग में पदोन्नतियां कुशलता तथा योग्यता के आधार पर की जाती थीं। 1959 में सरकार ने आदेश दिया कि इन पदों पर पदोन्नतियां वरिष्ठता तथा योग्यता के सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिये। ये आदेश 19 अक्तूबर 1959 से लागू होते थे किन्तु इन आदेशों के लागू किये जा सकने से पहले, चयन के आधार पर सूचियां तैयार करके 24 सितम्बर 1962 तक उन पर अमल किया गया। सरकार को 19 अक्तूबर 1959 से 24 सितम्बर 1962 तक की गई नियुक्तियों के पुनर्वलोकन की जरूरत पड़ी। तदनुसार बोर्ड आफ़ रेवेन्यू ने प्रवरता तथा उपयुक्तता के आधार पर संशोधित सूचियां तैयार की हैं और दावे तथा एतराज़ मांगें हैं। प्राप्त दावों और एतराज़ों को निपटाने के बाद सूची को अंतिम रूप दे दिया जायेगा। सूचियां स्वतः ही समाप्त हो जायंगी।

केरल में तहसीलदार

1187. **श्री पोट्टेकाटेट :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मलाबार जिलों के लिये तहसीलदारों के केडर में तैयार की गई खण्ड प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी गई है;

(ख) इस क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का हक छीन कर जूनियर डिप्टी तहसीलदारों को पदोन्नति करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस केडर में खण्ड योजना लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रति-रक्षा मत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं ।

(ख) उत्तरी क्षेत्र--जिसमें कन्नानूर, काज़ी कोड़े और पालघाट जिले आते हैं--के डिपुटी तहसीलदारों की संयुक्त प्रवरता सूची के अंतिम रूप से तैयार न होने के कारण प्रत्येक जिले में बनने वाले पदों को पूर्णतः अस्थायी आधार पर वहीं के वरिष्ठ डिपुटी तहसीलदारों की पदोन्नति द्वारा भर लिया गया ।

(ग) इन जिलों के डिपुटी तहसीलदारों की 1957-58 के लिये संयुक्त प्रवरता सूचियां अन्तिम रूप से प्रकाशित करके दावे और एतराज़ मांगे गए। इन एतराज़ों की जांच की जा रही है। 1959 से 1962 तक की ऐसी सूचियां प्रवरता तथा उपयुक्तता के आधार पर की गई नियुक्तियों का पुनर्वलोकन कर लेने के बाद तैयार करके प्रकाशित की जानी है। बोर्ड आफ़ रेवेन्यू ने पहले ही संशोधित सूची को अस्थायी रूप से प्रकाशित करके दावे और एतराज़ मांग लिये हैं। बोर्ड संशोधित सूची को अंतिम रूप देने के लिये दावों और एतराज़ों की जांच कर रहा है।

Physical Culture Centres in Delhi

1188. **Shri Rananjai Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of physical culture centres in Delhi which get Government aid at present;

(b) the total amount being given as aid; and

(c) the exercises being taught at these Centres?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Charge-Sheet against Rajasthan Chief Minister

1189. **Shri Madhu Limaye :**

Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some legislators of Rajasthan have submitted to the Centre a charge-sheet against the Chief Minister of Rajasthan ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) & (b). A memorandum dated 22nd April, 1965 signed by a few persons and enclosing a list of charges against the Chief Minister, Rajasthan, was received and is under consideration of Government.

जनसंख्या वृद्धि

1191. **श्री कर्णी सिंहजी : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दस वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी शुद्ध वार्षिक वृद्धि होने की आशा है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में कितनी शुद्ध वार्षिक वृद्धि होने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) योजना प्रयोजनों के लिये जनसंख्या बहिर्वेशन (पापूलेशन प्रोजेक्शन) की तैयारी करने हेतु भारत के महापंजीयक की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति के अनुसार आगामी दस वर्षों में अर्थात् 1966-75 तक औसतन प्रति वर्ष 1 करोड़ 35 लाख के करीब जनसंख्या बढ़ने की आशा है।

(ख) चौथी योजना अवधि में अर्थात् 1966-71 तक जनसंख्या में शुद्ध वार्षिक वृद्धि लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब होने की सम्भावना है।

Fertilizer Factory, Punjab

1192. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a fertilizer factory in Punjab in the public sector : and

(b) if so, the location thereof and the expenditure to be involved ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) and (b). There is already a fertilizer factory in the public sector in the Punjab.

तकनीकी संस्थाओं के लिये अमरीकी ऋण

1193. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1772 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार तकनीकी संस्थाओं की अमरीका में बने साज-सामान प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अमरीकी सरकार से ऋण के बारे में जो बातचीत कर रही थी उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : अभी बातचीत हो रही है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिकायें

1194. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1965 से 31 अक्तूबर, 1965 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितनी याचिकायें दायर की गईं;

(ख) उनमें से कितनों पर निर्णय किया गया; और

(ग) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कितने मामलों में निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिर ा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत-तिब्बत सीमा के पास पुरातत्वीय सर्वेक्षण

1195. श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री भारत-तिब्बत सीमा के पास पुरातत्वीय सर्वेक्षण के बारे में 22 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2591 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षक ने, जिन्होंने सर्वेक्षण किया था, अपना प्रतिवेदन पुरातत्वीय विभाग के महानिदेशक को प्रस्तुत कर दिया था जो इसकी अब जांच कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Arts Exhibition in Britain

1196. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any Arts Exhibition of Commonwealth Countries was held in Britain recently ;

(b) whether art pieces from India were exhibited in that exhibition ;

(c) if so, the agency which made the selection of such pieces ; and

(d) the total amount spent by the Government of India on this exhibition ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b). Yes, Sir.

(c) A collection of paintings was sponsored and approved by the Lalit Kala Akademi.

(d) An approximate amount of Rs. 43.680/- is expected to be spent by Government.

राष्ट्रीय परिषद् का कार्यकरण

1197. श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच राष्ट्रीय परिषद के कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रारूप हिदायतों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघों/संस्थानों में से कुछ ने इस योजना को जैसे का तैसा स्वीकार नहीं किया है। सरकार इस योजना पर, जहां तक व्यावहारिक हो, सभी को एकमत करना चाहती है। ज्यों ही संघ/संस्थायें स्वीकार कर लेंगी, त्योंही राष्ट्रीय परिषद् के कार्य-संचालन के लिये प्रारूप हिदायतों को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

दिल्ली पुलिस अधिकारी की मृत्यु

1198. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में एक पुलिस अधिकारी जल जाने के कारण मर गया;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली पुलिस के एक उप निरीक्षक ने, जो नई दिल्ली के अशोक होटल के सिक्योरिटी पुलिस क्वार्टरों में रहता था, आग लगा कर आत्महत्या कर ली।

(ख) जी, हां।

(ग) 29 जुलाई 1965 की सुबह के लगभग पौने पांच पर उक्त उप-निरीक्षक ने अपने कपड़ों पर मिट्टी का तेल डालने के बाद आग लगा ली। उसे फायर ब्रिगेड की मदद से उसके घर की रसोई से निकाला गया जो अन्दर से बन्द थी। उसे एकदम विलिंगडन हस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत पाया। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन एक मरणान्वेषण प्रतिवेदन तैयार किया गया और लाश को शव परीक्षा के लिये भेज दिया गया। डाक्टरों के मतानुसार मृत्यु का कारण जलने से लगी चोटें थीं। मृतक ने चार पत्र छोड़े थे जिनमें उसने घरेलू झगडों और आर्थिक कठिनाइयों आदि के कारण आत्म-हत्या करने का अपना इरादा जाहिर किया था।

दिल्ली के कालिजों में दोहरी पारी प्रणाली

1199. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कालिजों में दोहरी पारी प्रणाली लागू करने से जो धन बचने की आशा है क्या उसका कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : इस बारे में कोई विशिष्ट अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि यह आशा की जाती है कि प्रत्येक कालेज के अनावर्तक व्यय में 10 से 15 लाख रुपये की बचत होगी।

पूर्वी पाकिस्तान द्वारा प्रदान किये गये डिप्लोमाओं को मान्यता

1200. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के तकनीकी शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तथा पावर इंजीनियरिंग के "एसोशिएट" डिप्लोमाओं को मान्यता देने का निश्चय किया है;

(ख) क्या ऐसे डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में भर्ती होने के पात्र होंगे; और

(ग) क्या उन्हे, बिना कोई और परीक्षा लिये, सेवाओं में उच्चतर श्रेणियों में पदोन्नति के लिये सभी सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) अधीन पदों तथा सेवाओं की नियुक्ति के लिये मान्य ऐसे डिप्लोमाओं एवं अन्य डिप्लोमाओं को प्राप्त करने वाली व्यक्ति उच्चतर पदों में पदोन्नति के लिये पात्र होंगे बशर्ते कि रोजगार देने वाले विभागों/मंत्रालयों के नियमों तथा विनियमों में ऐसी पदोन्नति का उपबन्ध हो।

राष्ट्रीय खेल कूद संस्था का विलय

1201. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खेल कूद संस्था, पटियाला तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी लक्ष्मी बाई कालेज, ग्वालियर के प्रस्तावित विलय के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय खेल कूद संस्था ने इस कारण से कि दोनों संगठनों के कार्यकलापों में बहुत वैभिन्नय है, कोई आपत्ति उठाई है; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस विलय से एक स्थान के कार्य कलाप दूसरे स्थान पर भी होने लगेंगे तथा देश में खेल कूद का स्तर ऊंचा होगा।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां। सरकार का विचार है कि दोनों संस्थाओं के बीच और अच्छे समन्वय के लिए इन दोनों का संचालन एक सोसाइटी द्वारा किया जाना चाहिए।

(ख) जी नहीं, जहां तक सरकार को जानकारी है राष्ट्रीय खेल संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स (शासी मंडल) द्वारा मामले पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि दोनों संस्थाओं के प्रस्तावित विलय से उनके कार्यकलापों में उपयुक्त समन्वय होगा और यह देश के खेलों के हित में होगा।

सरकार के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये टाइप की परीक्षा

1202. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में केन्द्रीय सचिवालय के क्लर्कों को स्थायी बनाने की पहिली शर्त के रूप में "टाइपिंग टैस्ट" की शर्त को उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और शर्त किस प्रकार उदार की गई है; और

(ग) उदार बनाने के क्या कारण है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां, किन्तु केवल ऐसे अस्थायी अवर श्रेणी लिपिकों के बारे में (1) जिनकी आयु 45 वर्ष हो गई है या हो जायगी (2) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक वर्ग में 10 वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि पूरी कर ली है, बशर्ते कि उन्होंने कम-से-कम दो बार टाइप की परीक्षा पास करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया हो और जो स्थायी किये जाने के योग्य समझे जाये।

(ग) यह छूट इस बात को देखते हुए दी गई थी कि अपनी आयु के कारण इस वर्ग के कर्मचारियों के 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप परीक्षा पास करने की कोई सम्भावना नहीं और इस प्रकार की उदारता के अभाव में वे स्थायी होने तथा पेंशनका लाभ पाने से रह जाते।

लोअर डिवीजन क्लर्कों को अग्रिम वेतन-वृद्धि

1203. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्कों को चार अग्रिम वेतन वृद्धि देना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या वेतन वृद्धि बन्द कर देने के बाद भी कुछ विशेष क्लर्कों की वेतन वृद्धि की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि न करने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, 28-9-1960 से।

(ख) कुछ लोअर डिवीजन क्लर्क 28-9-1960 से पूर्व की किसी तिथि पर अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार हो गए थे, किन्तु प्रशासकीय विलम्ब के कारण उन्हें यह लाभ उस तिथि से पूर्व नहीं दिया जा सका। बाद में ऐसे लोगों को भी इस रियायत के लिये हकदार मान लिया गया बशर्ते कि उन्हें 28-9-60 से पहले की किसी तिथि से लोअर डिवीज़न क्लर्क के पद पर स्थायी किये जाने योग्य माना गया हो।

(ग) द्वितीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को मानते हुए वेतन वृद्धियां बन्द कर दी गई क्योंकि अधीनस्थ कार्यालयों के लोअर डिवीज़न क्लर्कों को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता और दोनों श्रेणियों में भेदभाव रखने के कोई खास कारण विद्यमान नहीं है। इस लिये 28-9-1960 के बाद केन्द्रीय सचिवालय के सभी क्लर्कों को ये वेतन वृद्धियां देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

4—5 Lok Sabha/66

शेख अब्दुल्ला पर व्यय

1204. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री बड़े :
श्री यद्धवीर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1722 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला पर होने वाला व्यय घटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी पत्नी समय समय पर उन से मिलती रहती है तथा उनके और उनके समर्थकों और उनके पुत्र के, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य हैं, बीच दूत का कार्य करती है; और

(ग) यदि हां, तो उन की मुलाकातें बन्द करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) शेख अब्दुल्ला पर किये गए व्यय का विवरण लोक सभा में 10 नवम्बर 1965 को दिये गए अतारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर में दे दिया गया था। मामले की परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए इस खर्च को अधिक नहीं समझा गया।

(ख) और (ग) : सरकार द्वारा बेगम अब्दुल्ला को अपने पति से मिलने की इजाज़त दी गई है और इस समय भी वे उनके साथ ही रह रही है। सरकार सतर्क है और यदि ऐसा दिखाई दिया कि बेगम अब्दुल्ला शेख के अन्य लोगों के साथ राजनीतिक सम्पर्क का माध्यम बन रही है तो उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

गृह कल्याण केन्द्र

1205. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गृह कल्याण केन्द्र के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : गृह कल्याण केन्द्र बोर्ड, जो अब रजिस्टर्ड हो गया है, ऐसे उपायों और साधनों का निर्माण कर रहा है जिनसे उसके कर्मचारियों को नियमित वेतन तथा काम करने की अच्छी अवस्थाएं प्राप्त कराने के लिये धन एकत्रित किया जा सके।

पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

1206. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी से 30 सितम्बर, 1965 तक पंजाब उच्च न्यायालय में कितनी लेख याचिकायें दायर की गयीं;

(ख) उक्त अवधि में इन में कितनी याचिकाओं पर निर्णय किया गया ; और

(ग) कितने मामलों में राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध निर्णय किया गया ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Release of Traders arrested under the D.I.R.

1207. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to release the innocent Traders who were arrested under the Defence of India Rules keeping in view the present Emergency as also to maintain unity in the country ; and

(b) if not, the reasons therefor, especially when no charges have been levelled against those traders?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) The Central Government are not concerned with the arrests made by the State Governments under the Defence of India Rules. Moreover the question does not refer to any specific case on which information could be sought from the State Governments concerned.

(b) Does not arise.

Tihar Jail, Delhi

***1208. Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the past few days, there has been mis-management in the Tihar Jail, Delhi and innocent women are being kept along with the prostitutes and bad characters there ; and

(b) if so, the action taken by Government to keep them separately ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L, N. Mishra): (a) No. Sir

(b) Does not arise.

पर्यटन महानिदेशक के विरुद्ध जांच

1209. डा० सरोजिनी महिषी : क्या गृह-कार्य मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन महानिदेशक के विरूद्ध कब से जांच की जा रही है और यह कब पूरी होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : एक प्रारम्भिक जांच 22-1-1964 को दर्ज की गई। आशा है कि शीघ्र ही अंतिम निर्णय प्राप्त हो जायगा ।

Judiciary in Andamans

1210. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to further strengthen the judiciary in the Andaman and Nicobar Islands ; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) A post of District and Sessions Judge for the Andaman and Nicobar Islands has been created.

नागाओं से मुठभेड़

1211. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी कछार पहाड़ी में 8 अक्तूबर, 1965 को सशस्त्र नागा विद्रोहियों तथा पुलिस के बीच एक मुठभेड़ हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मुठभेड़ में विद्रोहियों के कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) एक सशस्त्र नागा मौके पर मारा गया और एक दुनाली बंदूक, एक हाथ की बनी राइफ़ल, एक स्टेन गन कुछ कार्तूस और कुछ जैतूनी हरे रंग की वर्दीयां कब्जा की गई ।

Explosions in Goa

1212. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Basumatari :
Shri Mohsin :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the investigations into the bomb explosions that took place in Goa in June, 1964 have since been completed ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) whether a copy of the report would be laid on the Table ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the results of the investigation, the bomb explosions had been caused in pursuance of an organised conspiracy aimed at the subversion of the law fully constituted Government in the territory. After completing investigations, a case under sections 121, 121(A), 122, 123, 304 and 436 Indian Penal Code and under rules 36, 41 and 144 of the Defence of India Rules was filed against 17 persons. Ten of the accused had been placed under arrest. The Sessions Judge at Panjim on 15th October, 1965 convicted one of the accused *viz.* Olav Fernandes under section 121, 121A, 122, 123 and 436 of the Indian Penal Code and under rules 36 and 41 read with 144 of the Defence of India Rules and sentenced him to 3 years' simple imprisonment. All the remaining accused were acquitted. The question of filing an appeal against the acquittal of 9 accused and for enhancement of the sentence awarded to accused Olav Fernandes is under consideration of the Government of Goa.

(c) No, Sir.

Kidnapping by Pakistanis

1213. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that in the last week of September the Mohammedans of Pir Pagra beat some Harijans of Mithron village situated in Rajasthan and carried away their women and cattle to Pakistan ;

(b) whether they also carried away 8 camels and two men from a village Tanot situated on Jaisalmer border ; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) There is no place on our side of the border in Rajasthan known as Pir Pagra. However, on 21st September 1965, 20 armed Pak personnel entered village Mithron, killed two meghwals, looted the village and burnt some houses.

(b) On 24th September, 1965 the Pak patrolling party entered the village Tanot, lifted 10 camels and 30 cows and kidnapped four Indian nationals, all meghwals, two of whom however were released two days later. 3 camels and thirty cows have been recovered.

(c) Necessary cases have been registered in the respective police stations and and the matters are under investigation.

1968 के ओलम्पिक खेलों के लिये तैयारी

1214. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से देश अपने खिलाड़ियों का प्रशिक्षण ऊंचाई पर करा रहे है तथा क्या अखिल भारतीय खेल कूद परिषद का विचार 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलम्पिक खेलों के लिये 'उटी' जैसे स्थान पर एक शिबिर आरंभ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) और (ख) : सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अन्य देश ऊंचाई पर अपने खिलाडियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है कि 'उटी' जैसे स्थान पर अपने खिलाडियों को प्रशिक्षित करें। परन्तु यह समझा जाता है कि भारतीय खेलकूद संस्था आगामी ओलम्पिक खेलों के लिए खिलाडियों को तैयार कर रही है। सरकार संस्था के प्रस्ताओं पर विचार करेगी तथा ऊंचाई पर प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता देगी।

Oil in Brahmputra Valley

1215. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri P. C. Borooah :
Shri Subodh Hansda :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of the survey conducted with the co-operation of Russian experts, a new oil belt has been explored in the Brahmputra valley ; and

(b) f so, the particulars thereof ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) & (b). Yes, Sir. Oil was discovered in 1964 near Lakwa. The data obtained so far is inadequate for making an accurate assessment of the size of the reserves.

Allocation to States for Education

1216. **Shri Yogender Jha :**
Shri T. Ram :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total amounts allocated under the head "Education" during the Third Plan period State-wise ;

(b) the actual expenditure incurred during the plan period so far State-wise ; and

(c) the average per capita expenditure on "Education" in each State separately?

The Minister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) At Statement giving the available information is placed on the table of the Sabha. [**Placed in the Library See No. L. T. 5225/65.**]

मद्रास तेल शोधक कारखाना

1217. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में शोधन शाला उर्वरक एकक तथा पैट्रो-रसायन उद्योग समूह बनाने का पैकेज डील को पुरा करने के सम्बन्ध में सरकार और नेशनल इरेनियन आयल कम्पनी तथा अमरीकन इंटरनैशनल आयल कम्पनी के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मतभेद क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी नहीं, 18 नवम्बर, 1965 को शोधनशाला के लिए करार पर हस्ताक्षर हुए थे और दो-तीन महीनों के अन्दर अन्य करारों पर हस्ताक्षर होने की आशा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

केरल की राज भाषा

1218. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1 नवम्बर, 1965 से मलयालम को राज भाषा के रूप में प्रयोग करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की क्रियान्विति की योजना का क्या ब्यौरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने 1 नवम्बर, 1965 से पंचायतों और ग्राम अधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार के लिए मलयालम के प्रयोग की व्यवस्था के बारे में आदेश जारी किये हैं। राज्य सरकार का शनैः शनैः अन्य सरकारी कामों के लिये भी मलयालम के प्रयोग को लागू करने का विचार है।

एक वर्ष का अध्यापन पाठ्यक्रम

1220. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर के सम्बन्धी में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष के अध्यापन के एक नये पाठ्यक्रम को आरंभ करने के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की सिफारिश पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ख) इसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है और उसे चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने का विचार है। तब तक विज्ञान के बहुत से प्राध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए चार स्थानिक शिक्षा कालेजों का विस्तार करने का निश्चय किया गया है।

भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर

1221. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम सरकार को निदेश दिए है कि आसाम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों को रोकने की दृष्टि से राज्य में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर पूरा करने में शीघ्रता करें;

(ख) यदि हां, तो इसको पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है; और

(ग) इस मामले में विलम्ब होने के बारे में राज्य सरकार ने क्या कारण बताये है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : आसाम सरकार से केवल यह अनुरोध किया गया था कि वे 1951 के राष्ट्रीय रजिस्टर से जिले, सब-डिवीजन, थाने, गांव और मकान नम्बर के हिसाब से 1951 के अनुसार नाम तथा अन्य विवरण की नकल कर लें ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर पाकिस्तानी घुसपैठिया होने का संदेह हो, 1951 की जनगणना के समय भारत का निवासी तो नहीं था। कुछ इलाकों के अलावा, जिनके बारे में सम्बन्धित रजिस्टर अब राज्य सरकार को उपलब्ध कराये जा रहे हैं, यह काम कर लिया गया है।

उर्वरक संयंत्र, कोटा के लिये नेप्था

1222. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा के लिए मंजूर किए गए उर्वरक के दूसरे संयंत्र के लिए नेप्था की सप्लाई की क्या व्यवस्था की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : कोटा में दूसरे उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के लिए इस शर्त पर बातचीत चल रही है कि पार्टी नेप्था को यथासम्भव स्वदेशी संसाधनों से प्राप्त करेगी।

आसाम में सुरक्षात्मक कार्यवाहियां

1223. श्री जो० ना० हजारिका :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति ने प्रधान मंत्री को, उनके आसाम के दौरे के समय एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें सरकार का ध्यान उस राज्य की सुरक्षा तथा परिवहन सम्बन्धी कुछ जरूरी समस्याओं की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें थी; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : जब 29 अक्तूबर, 1965 को प्रधान मंत्री ने गोहाटी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने भाषण दिया तब उनके स्वागतार्थ एक अभिनन्दन पत्र दिया गया था। उक्त अभिनन्दन पत्र में अन्य बातों के साथ साथ पाकिस्तानियों की घुसपैठ तथा सीमा सुरक्षा के प्रबन्धों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया था और कुछ सुझाव दिये गये थे। इन सुझावों की जांच की जा रही है।

Rehabilitation Industries Corporation

1224. Shri Sidheshwar Prasad :

Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have suggested to the Rehabilitation Industries Corporation to set up 31 industries at the earliest date ; and

(b) if so, their probable location, time schedule and other details ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Mahavir Tyagi) : (a) The thirtyone industries mentioned presumably refer to thirtyone industrial concerns granted loans by the Rehabilitation Industries Corporation and which are already functioning or are at various stages of implementation. A list of the concerns and the loans granted is attached. [**Placed in the Library. See No. L. T. 5227/65.**]

(b) Does not arise.

उड़ीसा उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

1225. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में अब तक उड़ीसा उच्चन्यायालय, कटक में कितनी लेख याचिकायें दाखिल की गई हैं; और

(ख) इनमें से कितनी लेख याचिकाओं पर फैसला दिया जा चुका है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

मद्रास राज्य में मिट्टी के तेल की कमी

1226. श्री धर्मलिंगम : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के गांवों में मिट्टी के तेल की बहुत कमी है जिसके कारण मकानों में रोशनी करने में भी बहुत कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : जुलाई 1965 से मद्रास राज्य में मिट्टी के तेल की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

गोआ, दमण और दीव के लिये अनुदान

1227. श्री धर्मलिंगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1964–65 तथा 1965–66 में अब तक गोआ, दमण और दीव की सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) उस सरकार ने कितना धन छोड़ दिया है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गोआ, दमण और दीव की सरकार को विभिन्न योजनाओं (योजना तथा योजना से अलग दोनों) पर अगम व्यय में साहाय्य अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशियां दी गई :–

1964–65 .	413.16 लाख रुपये
1965–66 . (18-11-65 तक)	117.70 लाख रुपये

(ख) उस सरकार द्वारा भारत सरकार को कोई राशि नहीं लौटाई गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा

1228. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में अब तक माध्यमिक शिक्षा के लिए उड़ीसा सरकार के लिए कोई धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) उड़ीसा सरकार को 1965–66 के लिए 11,96,309.00 रुपये की राशि नियुक्त की गई है।

(ख) उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1965-66 में नियत की गई राशि (रुपयों में)	कार्यक्रम
5,00,000	अध्यापकों का प्रशिक्षण
1,00,000	लड़कियों की शिक्षा का विस्तार
20,000	लाइब्रेरियनों का प्रशिक्षण
21,000	शिक्षा प्रशासन को मजबूत करना
75,000	प्रौढ़ शिक्षा के लिये प्रायोगिक परियोजना
40,000	शिक्षा सर्वेक्षण
59,309	शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन का सरकारी विभाग
3,66,000	विज्ञान प्रयोगशालाओं को मज़बूत करना
15,000	बहुप्रयोजनिक माध्यमिक स्कूलों में "कृषि स्तरीय" को मज़बूत करना ।

उड़ीसा में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

1229. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस संस्थान, पुरी शाखा (उड़ीसा) ने गत छः महीनों में उड़ीसा में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कितनी जांच की है ; और

(ख) इस अवधि कितने मामलों में जांच पूरी हुई है तथा कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1965 में मई से अक्तूबर तक के छः महीनों में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा उड़ीसा में राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई जांच नहीं चलाई गई। उसी अवधि में उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध 31 मामले दायर किए गए और उन में जांच/अनुसंधान कार्य शुरू किया गया।

(ख) 5 मामलों में जांचे पूरी करके सम्बन्धित विभागों को प्रतिवेदन भेज दिये गए हैं ताकि जरूरी कार्यवाही शुरू की जा सके।

अफसरों का दुर्व्यवहार

1230. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के किसी मामले की सूचना गत छः महीनों में सरकार को मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गोआ में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

1231. **श्री काजरोलकर :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोवा, दमण और दीव की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सरकारी सेवा में पदों के आरक्षण की सुविधा तथा अन्य ऐसी सुविधायें प्रदान नहीं की जाती, जो उन्हें अन्य राज्यों में दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : गोआ, दमण और दीव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रूप में मानी जाने वाली जातियों को अभी तक उल्लिखित नहीं किया गया है। इस मामले की अभी तक जांच की जा रही है। पदों के आरक्षण तथा सुविधाएं प्रदान करने का प्रश्न क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिसूचित किये जाने के बाद ही उठेगा।

मद्रास राज्य में हिन्दी पढ़ाना

1232. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री किन्दर लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में हिन्दी पढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाला सारा व्यय केन्द्र ने देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता के लिये कुल कितनी धनराशि दी जायेगी तथा वह किस प्रकार व्यय की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) और (ख) : केन्द्र अहिन्दी भाषी राज्यों की सभी सरकारों को (जिन में मद्रास सरकार भी सम्मिलित है) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित निम्न योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता देता है :

(एक) अहिन्दी-भाषी राज्यों में प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति।

(दो) हिन्दी अध्यापकों के लिये शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना।

इन के अतिरिक्त, अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिये स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को (जिनमें मद्रास राज्य में स्थित संगठन भी सम्मिलित है) 75 प्रतिशत के आधार पर अनुदान दिये जाते है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य को 1964–65 तक 66 लाख 42 हजार रुपये के अनुदान (अर्थात् 64 लाख 65 हजार रुपये हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिये और 1 लाख 77 हजार रुपये हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षक प्रशिक्षण कालेजों के लिये) दिये गये हैं। 1965–66 में मद्रास राज्य को 26,00,000 रुपये के अनुदान (हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिये 25 लाख रुपये और हिन्दी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कालेज के लिये 1 लाख रुपये) दिये जाने की संभावना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अबतक हिन्दी के प्रचार के लिये मद्रास राज्य में स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को 1 लाख 77 हजार रुपये की कुल राशि दी गई है।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

1233. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरूग्रा :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्राम्बे उर्वरक कारखाने की उत्पादन-क्षमता को तिगुना करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी अतिरिक्त लागत आयेगी ; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वित हो जाने पर कितना उत्पादन बढ़ जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) से (ग) : ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में नाइट्रोजन के लगभग 110,000 मीटरी टन विस्तार के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है; जिस पर लगभग 27 करोड़ रुपये लागत आयेगी।

Medical Facilities for School Teachers

1234. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Education** be pleased to state whether it is proposed to provide the same medical facilities to the teachers of aided Higher Secondary Schools of Delhi as are available to the teachers of Government Schools and the Central Government employees ?

Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : No such decision has been taken.

Teaching of Hindi to Science Students

1235. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether science students in Higher Secondary Schools in Delhi are not taught Hindi beyond ninth class as a result of which their knolwledge of Hindi remains inadequate; and

(b) if so, the reasons therefor, when English is taught up to the eleventh class?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Science students in Higher Secondary Schools in Delhi can take their Hindi examination at the end of the IX class or X class. Their knowledge of Hindi is not inadequate on this account.

(b) The knowledge of Hindi acquired through this syllabus is considered adequate. Study of English is continued up to the XI class because the teaching of English starts later in the school courses.

Pay Scale of Language Teachers

1236. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some Higher Secondary Schools of Delhi, language teachers with intermediate, Prabhakar and 'Sahitya Ratan' qualifications are given a pay scale of Rs. 160 p.m. while in some other schools, teachers with similar qualifications are given a pay scale of Rs. 170 p.m. ;

(b) if so, the reasons for this disparity; and

(c) the pay scale to which the language teachers with qualifications mentioned above are entitled ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

दिल्ली में जीव-विज्ञान के अध्यापक

1237. **श्री अ० सिं० सिहगल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956 से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जीव-विज्ञान के अध्यापन के लिये जीव-विज्ञान की स्नातकोत्तर अर्हता वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित किसी भी अध्यापक को 1957 से होने वाले रिक्त पदों पर ऊंचे वेतन-क्रम में पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) 1957 से प्रत्येक वर्ष में दिल्ली राज्य ने संघ लोक सेवा आयेग के माध्यम से प्रधानाचार्य (प्रिंसिपलों) के कितने रिक्त पदों को भरा है और (एक) प्रत्येक जाति तथा (दो) प्रत्येक राज्य के कितने प्रतिशत प्रत्याशी भर्ती किये गये ; और

(घ) दिल्ली राज्य द्वारा 1957 से अब तक प्रत्येक वर्ष में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के कितने प्रत्याशी रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टीपू सुल्तान का स्मारक

1238. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने "शेरे मैसूर" टीपू सुल्तान का उपयुक्त स्मारक मैसूर राज्य में उनके जन्मस्थान देवनाबल्ली में बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उनकी स्मृति में एक उपयुक्त स्मारक बनाने का निश्चय केन्द्रीय सरकार ने कर लिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

कर्मचारियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठकें

1239. **श्री दाजी :**

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की संस्थाओं तथा संघों द्वारा अधिकारियों तथा मंत्री के साथ मासिक अथवा पाक्षिक बैठकें करने की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है जैसा कि रेलवे, प्रतिरक्षा, डाक और तार विभाग तथा असैनिक उड्डयन जैसे भारत सरकार के अन्य नियोजक मंत्रालयों में किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सचिवालय में भी इस प्रणाली के न अपनाये जाने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) जब कभी कोई महत्वपूर्ण विषय बातचीत के लिये हों, तब कर्मचारियों की संस्थाएं तथा संघ व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श की मांग कर सकती है और इस प्रकार के विचार-विनिमय की मांग पर सदा ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। सेवा की शर्तों पर प्रभाव डालने वाले प्रश्न सदा ही विभिन्न मंत्रालयों की कर्मचारी परिषदों में प्रस्तुत होते हैं और उन पर विचार किया जाता है। इन परिषदों की नियमित समय पर बैठकें होती है। इन तथ्यों को देखते हुए यह जरूरी नहीं समझा जाता कि कर्मचारियों की संस्थाओं या संघों के साथ नियमित समय पर बैठकें की जायं।

अपर डिवीजन क्लर्कों के मुकाबले में लोअर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता

1240. **श्री दाजी :**

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन को पता है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भागीदार कार्यालयों में अपर डिवीजन क्लर्कों की तुलना में लोअर डिवीजन क्लर्क वरिष्ठ हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात साम्य (इक्विटी) तथा न्याय के सिद्धान्तो से मेल खाती है और क्या यह सचिवालय में कार्य-कुशलता कायम रखने के लिये उचित है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 5728/65।]

लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति

1241. **श्री दाजी :**

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग की उपपत्तियों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्कों को पदोन्नति के अवसर अन्य विभागों के लोअर डिवीजन क्लर्कों की अपेक्षा कम है; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिये, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उन्हें अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर भरती किया जाता है, जिसके द्वारा उनका चयन बड़ा कठिन हो जाता है और सरकार को केन्द्रीय सचिवालय क्लर्की सेवा में देश के सर्वोत्तम उपलब्ध व्यक्ति मिलते हैं, क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग ने यह विचार व्यक्त किया था कि कुल मिलाकर सचिवालय के लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा अन्य कार्यालयों में उसके समान पद वाले लोगों के लिये पदोन्नति के अवसरों में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के किसान

1242. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में मंजा मारा में पुनर्वासित कि कीसानों की कठिनाइयों से सरकार अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाई उठाये बिना बसने में उनकी सहायता करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को बसने वालों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अपनी कठिनाइयां बताते हुए और अधिक रियायतें मांगी है।

(ख) और अधिक बांस तथा कदजन की पत्तियां देने, मुफ्त केले के पौधे, सब्जियों के बीज आदि देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सरकारी अधिकारियों के लिये अध्ययन अवकाश

1243. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों पर लगाई गई यह पाबन्दी, कि वे छः महीने से अधिक अवधि तक अपने सरकारी क्वार्टर नहीं रख सकते; दूसरे वेतन आयोग की मंशा के विरुद्ध है, जिसने यह सिफारिश की थी कि भारत अथवा विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये जाने की इच्छा रखने वाले सरकारी अधिकारियों को उदारतापूर्वक अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) उच्च शिक्षा आरम्भ करने वाले अधिकारियों को अवकाश की सुविधा के अतिरिक्त और क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

काश्मीर में साम्यवादियों की गतिविधियां

1244. **श्री हरि विष्णु कामथ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के बहुत से चीन समर्थक साम्यवादी काश्मीर में प्रविष्ट हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नजरबन्द संसद् सदस्यों की बीमारी

1245. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमका जेल में नजरबन्द संसद् सदस्य श्री दशरथ देव, क्षय रोग से पीड़ित हैं;

(ख) क्या उन्हें रांची में राजेन्द्र प्रसाद अस्पताल में रखा गया है ; और

(ग) क्या इलाज के लिये उन्हें पैरोल पर रिहा करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : श्री दशरथ देव रीढ़ की हड्डी के अन्दर से गल कर बहने से पीड़ित हैं और रांची के राजेन्द्र मैडिकल कालिज में उनका इलाज चल रहा है ।

(ग) त्रिपुरा सरकार उन्हें पैरोल पर छोड़ने की जरूरत नहीं समझती क्योंकि उनकी पहले से ही विशेषज्ञों के हाथों चिकित्सा हो रही है ।

त्रिपुरा में अभियोगाधीन व्यक्ति

1246. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में बड़ी संख्या में अभियोगाधीन व्यक्तियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जाता, हालांकि उन्हें जमानत योग्य धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या सभी अभियोगाधीन व्यक्तियों को, जिनमें विधान सभा के सदस्य भी शामिल हैं, प्रथम श्रेणी नहीं दी जाती ;

(ग) क्या न्यायालय में ले जाते समय सभी व्यक्तियों को हथकड़ी लगाई जाती है और उन्हें बांध कर ले जाया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) किसी भी ऐसे अभियोगाधीन व्यक्ति की जमानत नामंजूर नहीं की जाती जिसे ज़मानत के योग्य अपराध में गिरफ्तार किया जाता हो ।

(ख) श्रेणी का निर्धारण व्यक्ति की हैसियत, शिक्षा, जीवन के तरीके और अपराध की प्रकृति का ध्यान रखते हुए किया जाता है । विधान सभा के एक ऐसे सदस्य को प्रथम श्रेणी नहीं दी गई थी जिसे एक राजनितिक हत्या के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था । बाद में न्यायालय ने उसे जमानत पर छोड़ दिया ।

(ग) और (घ) : जब तक अपराध बहुत ही संगीन न हो और अपराधी के भागने या हिंसा पर उतारू हो जाने की आशंका न हो तब तक न तो अभियोगाधीन व्यक्तियों को हथकड़ी लगाई जाती है और न ही उन्हें बांधा जाता है ।

केरल में मिट्टी के तेल का अभ्यंश

1247. **श्री पोट्टेकाट्ट :**

श्री अ० ब० राघवन :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रति मास प्रति परिवार मिट्टी के तेल का अभ्यंश कितना है ; और

(ख) क्या इस अभ्यंश को बढ़ाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :

(क)	जिन घरों में बिजली नहीं है . .	3 लिटर प्रतिमास
	जिन घरों में बिजली है . . .	1 लिटर प्रतिमास

इन अभ्यंशों के अतिरिक्त म्युनिसिपल क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए विशेष परमिट दिये जाते हैं ।

(ख) जी नहीं, लेकिन मामले की लगातार निगरानी रखी जाती है और यदि प्रदाय परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अभ्यंश को बढ़ाया जायगा।

नेफा प्रशासन में रिक्त पद

1248. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में 1962 से बेस सुपरिन्टेन्डेन्टों अथवा सर्किल अधिकारियों के कितने पद रिक्त हुए हैं तथा नये पद मंजूर किये गए हैं ;

(ख) इन पदों पर कितने स्थानीय अथवा राज्य से बाहर के व्यक्ति नियुक्त किए गए ; और

(ग) इस विशिष्ट संवर्ग के पदों पर स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये क्या विशेष प्रयास किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सालाना आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

नवनिर्मित पदों को मिला कर उन पदों की संख्या जो नेफा में 1962, 1963, 1964 और 1965 में रिक्त हुए क्रमशः 15, 22, 16, और 28 हैं। नेफा में 1962, 1963, 1964 और 1965 में निर्मित पदों की संख्या क्रमशः 6, 3, 14 और 1 है।

(ख) इन पदों पर नियुक्त स्थानीय लोगों की संख्या नीचे दी गई है :—

1962–5, 1963–2, 1964–कोई नहीं, 1965–7 ।

अन्य पद गैर स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरे गए हैं।

(ग) स्थानीय लोगों को इस सेवा की ओर आकर्षित करने के लिये शैक्षणिक योग्यताओं में छूट दी गई है। सामान्यतः बेस सुपरिटेन्डेन्ट या सर्किल अधिकारी बनने के लिये न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय का स्नातक होना है। किन्तु नेफा के ऐसे युवक भी जिन्होंने इंटरमिजिएट अथवा प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स पास किया हो इन पदों के लिये योग्य माने जाते हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये अंकों में भी छूट दी गई है और उनके लिये आयु सीमा 32 निर्धारित की गई है। खासतौर पर इस संवर्ग में नेफा के नवयुवकों को भर्ती करने के लिये 1965 में दो विशेष परीक्षाएं ली गई।

नेफा सचिवालय भवन

1249. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा सचिवालय भवन के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ख) इस निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

5—5 Lok Sabha/66

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) नेफा प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुमानित : लागत लगभग 20,10,000 रु० (बीस लाख दस हजार रुपये) हैं।

(ख) कंकरीट के मजबूत ढांचे का काम शुरू कर दिया गया है और चल रहा है।

आविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(एक) चीनद्वारा अतिक्रमण

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of Urgent Public Importance and request him to make a statement in regard thereto :

"Reported intrusion by Chinese in Sikkim on 19th and 20th November, 1965."

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 19 नवम्बर, 1965 को रातको 12.00 बजे 50 चीनी सैनिकों का एक दल सिक्किम-तिब्बत सीमा पर बोमचोला दर्रे के पार उत्तरी सिक्किम में लगभग एक मील तक घुस आया। एक भारतीय गस्ती दल उस क्षेत्र में आ गया जिसके पश्चात् चीनी घुसपैठियें वापस चले गये।

20 नवम्बर को रात को 10.00 बजे 40 सशस्त्र चीनी सैनिकों ने कोंगराला स्थान से सिक्किम की सीमा को पार किया और उत्तरी सिक्किम में डागकुंग के उत्तर-पूर्व में लगभग तीन मील गयम छीना झील के आसपास लगभग 2½ मील तक घुस आये। एक भारतीय गश्ती दल भेजा गया। जब वह चीनियों से लगभग 500 गज़ दूर था तो चीनियों ने तिब्बत में हटना आरम्भ कर दिया और 18.00 बजे तक वे पूरी तरह हट गये।

21 नवम्बर को सबेरे चार बजे 30 से अधिक सशस्त्र चीनी सैनिक सिक्किम में बाम चो छो के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 1500 गज़ तक घुस आये। हमारे गश्ती दलों को देखकर वह तिब्बत क्षेत्र में लौट गये।

उपर्युक्त अवैध घुसपैठ के सम्बन्ध में चीनी सरकार को विरोध-पत्र दिया गया था। सरकार चीनी सेनाओं की बिना उत्तेजना के लगातार कार्यवाहियों को गम्भीर रूप से देखती है। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये तैयार हैं।

लद्दाख में 19 नवम्बर प्रातः 9 बजे दो भारी गाड़ियों में लगभग 60 चीनी सैनिक "वास्तविक नियंत्रण रेखा" के काफी अन्दर पश्चिम में दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में पथ चौक के निकट भारतीय राज्यक्षेत्र में घुस आये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know the number of intrusions that have taken place since 1st October, and the reasons why Government detects them after the Chinese have intruded one or two miles inside our territory ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि सितम्बर से अब तक इन अतिक्रमणों के अतिरिक्त 25 और अतिक्रमण हुये हैं। यह पता लगाना कठिन है कि शत्रु किस स्थान से अतिक्रमण करेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह आक्रमण नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके इरादे आक्रमणकारी हैं। वे हमें उत्तेजित करते हैं। हमें सावधान रहना चाहिये कि हम इन बातों से उत्तेजित न हों।

श्री हेम बरुआ (गोहटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह कहते हैं कि हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिये। हमें उत्तेजित होना चाहिये और उन्हें खदड़ना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप नहीं समझते। हमारा यही रवैया है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं प्रश्न करने की अनुमति न दूं, माननीय मंत्री उत्तर न दें। इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या चीनियों द्वारा इन अतिक्रमणों के कारण सरकार ने उन्हें यह बताया है कि हम उन्हें केवल सीमा तक ही नहीं भगायेंगे अपितु उनकी सीमा में भी घुस जायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने उनसे इस बारे में गम्भीर विरोध प्रकट किया है। परन्तु हमने उनसे यह नहीं कहा है कि हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा कि वे कर रहे हैं ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether some steps would be taken to drive them out from Daulat Beg area and if they are adament, whether they would be chased into Tibet itself ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस बारे में माननीय सदस्य की बात समझ ली है। दौलत बेग ओल्डी के बारे में हम और ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। हम इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री दाजी (इन्दोर) : क्या उन्हें खदेड़ने के लिये कोई संघर्ष भी हुआ है अथवा वे अपनी इच्छानुसार आते और चले जाते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वहां आपस में मुठभेड़ हुई है और दोनों ओर के सैनिक हताहत हुये हैं। कई चीनी सैनिक मरे हैं।

Shri Vishva Nath Pandey : I would like to know whether the Chinese are intruding into 20 Kilometer Zone or beyond that on the border of Ladakh and Sikkim ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में सिक्किम में कोई असैनिक क्षेत्र नहीं है। असैनिक क्षेत्र केवल नेफा तथा लद्दाख के इलाके में है। इसलिये जहां तक सिक्किम का सम्बध है, वहां पूरी तरह निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और वे इस सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वे दिन प्रतिदिन हमारी सीमाओं में काफी दूरी तक घुसपैठ कर रहे हैं और केवल सिक्किम में ही नहीं परन्तु लद्दाख में भी घुस रहे हैं। क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाए हैं कि हमारी सेनायें उन्हें भगाने के लिये पर्याप्त हों ताकि वे फिर आक्रमण न कर सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने शायद अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया है। सम्भवतया वे यह देखना चाहते हैं कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी हमारी कितनी तैयारी है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि हम चीन को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने का प्रयन क्यों कर रहे हैं जब कि वह हम पर एक के बाद दूसरा आक्रमण कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस बारे में अब निर्णय किया जाये ?

Shri Gulshan (Bhatinda) : May I know whether the Chinese who had intruded into our area have gone back or are still occupying our territory ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे बहुत से स्थानों से वापस चले गये हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I would like to know the day when the Defence Minister would bring one Chinese soldier—dead or alive—here?

Mr. Speaker : Does the Hon. Member want that that Soldier should be exhibited. If they cannot bring him here, the Hon. Member can go and see him there.

Dr. Ram Manohar Lohia : Late me discharge the functions of the Prime Minister and you would find that not one but thousands of them would be brought here.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं का एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं.—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1555 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1556 में प्रकाशित हुए थ।

(तीन) भारतीय प्रशासन-सेवा (परिवीक्षा) संशोधन, नियम, 1965 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1560 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1561 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5222/65।]**

अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने पंद्रहवें प्रतिवदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे लिखीत अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

(1)	श्री कोल्ला वेंकैया	19 सितम्बर से 24 सितम्बर 1965 (बारहवां अधिवेशन) तथा 3 नवम्बर, से 10 दिसम्बर, 1965 (तेरहवां अधिवेशन)
(2)	श्री अ० क० गोपालन	16 अगस्त से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां अधिवेशन) तथा 3 से 21 नवम्बर, 1965 (तेरहवां अधिवेशन)
(3)	श्री आनन्द नम्बियार	8 से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां अधिवेशन)
(4)	श्री वि० तु० पाटिल	7 से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां अधिवेशन)
(5)	श्री बीरेन दत्त	16 अगस्त से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां अधिवेशन)
(6)	श्री उमानाथ	8 से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां अधिवेशन) तथा 3 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1965 (तेरहवां अधिवेशन)
(7)	श्री व० गो० नायडू	3 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1965 (तेरहवां अधिवेशन)
(8)	डा० सारादीश राय	3 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1965 (तेरहवां अधिवेशन)
(9)	श्री प० कुन्हन	3 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1965 (तेरहवां अधिवेशन)
(10)	श्री वि० भ० देव	3 से 25 नवम्बर, 1965 (तेरहवां अधिवेशन)
(11)	श्री कमलनयन बजाज	3 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1965 (तेरहवां अधिवेशन)

मैं यह समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं श्री आनन्द नम्बियार के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहता हूं। उन्होंने अपनी माता की बीमारी के कारण अनुपस्थिति की अनुमति मांगी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वामपन्थी साम्यवादियों की रिहाई के बारे में प्रयोग कर रही है.....

अध्यक्ष महोदय : वह फिर बन्द कर दिये गये हैं। उन्हें थोड़े समय के लिये पैरोल पर छोड़ा गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : दूसरी बात यह कि मैं श्री गोविन्दास्वामी नायडू के बारे में यह जानना चाहता हूं कि क्या वे बीमार हैं और क्या उनका उचित प्रकार इलाज चल रहा है ?

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुड़ा) : वास्तव में उन्हें अनुपस्थिति की अनुमति देने का कारण यह है कि वह नज़रबन्द थे। इस सम्बन्ध में यह कठिनाई है कि यदि वह पैरोल पर भी रिहा हों, तो भी वह सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या पैरोल पर रहते हुये वह सभा में उपस्थित हो सक हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं बता सकता। उन्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिये पैरोल पर छोड़ा गया है। वह सभा में कैसे उपस्थित हो सकते हैं ?

क्या अब मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य प्रतिवेदन से सहमत हैं ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : सम्बद्ध माननीय सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जायेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

चौहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव : (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether my resolution regarding textile mills would be discussed by the Business Advisory Committee ?

Mr. Speaker : This matter would be brought before that Committee.

अखिल-भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक

ALL INDIA SERVICES (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

श्री हाथी : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तब से संयुक्त समिति तथा राज्य-सभा दोनों ने इसमें काफी रूपभद किया है । इसमें अत्याधिक विवादास्पद मामला नाम के बारे में है । हमने सरकार के रूप में यह निर्णय किया है कि नाम के इस प्रश्न को सभा के निर्बाध मत के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये ।

जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तब इसमें मूल नाम ही रखा गया था। संयुक्त समिति बहुत थोड़े बहुमत से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वही नाम जारी रखा जाना चाहिये। परन्तु राज्य सभा ने काफी भारी बहुमत से निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के नाम को बदल कर "मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय" नाम रखा जाये। इसके विरूद्ध केवल दो मत थे।

संयुक्त समिति के निर्णय को स्वीकार न करने में, पहली और मुख्य बात, जिससे राज्य सभा प्रभावित हुई थी, यह है कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय संस्था है, एक अखिल भारतीय संस्था है और इसलिये इसका एक साम्प्रदायिक नाम नहीं होना चाहिये। दूसरी बात यह कि विश्वविद्यालय की नींव पण्डित मदन मोहन मालवीय ने रखी थी; तीसरी बात यह कि जिस सिद्धांत के लिये यह विश्वविद्यालय रहा है उस हिन्दू संस्कृति, हिन्दू दर्शन, हिन्दू साहित्य तथा हिन्दू पृष्ठभूमि पर जो इसमें बल दिया गया है, उसे बनाये रखा जाना चाहिये।

इस विश्वविद्यालय के नाम से 'हिन्दू' शब्द के हटाने के साथ साथ मालवीय जी, जो हिन्दू धर्म की सर्वोत्तम परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, का नाम इस विश्वविद्यालय के नाम से जोड़ा जा रहा है। फिर काशी का नाम भी हिन्दू दर्शनशास्त्र तथा संस्कृति के अनेक पहलुओं की याद दिलाता है।

इस परिवर्तन के विरुद्ध यह तर्क है कि यह समय विवाद उठाने का नहीं है। हम पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला कर रहे हैं। हमने और बहुत सी गम्भीर समस्याओं को हल करना है और हमें इस समय अनावश्यक विवाद उठाने के बजाये इन समस्याओं के हल के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभा गुणावगुण के आधार पर निर्णय करे और हम किसी प्रकार भी इससे प्रभावित न हों कि आज बनारस विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। हमें यह धारणा उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये कि हम विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के दबाव में आ गये हैं। यह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण होगा। संसद सर्वोच्च है और इसे अपनी सर्वोच्चता को कार्य रूप देना चाहिये। यह बात हमें सभा में इस विषय पर वाद-विवाद के दौरान विद्यार्थियों को स्पष्ट कर देनी चाहिये। हमें विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में उत्साहित नहीं करना चाहिये। हड़ताल तथा आन्दोलन करना गलत है। हमें बनारस में चल रहे आन्दोलन की निन्दा करनी चाहिये।

संयुक्त समिति ने "रैक्टर", जो कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, सह-कुलपति तथा सह-उप-कुलपति के पद समाप्त कर दिये हैं। कोषाध्यक्ष के पद को वित्त अधिकारी के पद में बदल दिया गया है। सह उप-कुलपति के पद के स्थान पर रैक्टर का नया पद रखा गया है और इन्हें वेतन भी दिया जायेगा। उप-कुलपति के चुनने के लिये गठित समिति के गठन में भी परिवर्तन किया गया है। उप-कुलपति पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता। संयुक्त समिति ने विद्या-सम्बन्धी परिषद की स्थायी समिति को भी पुनः स्थापित किया है।

इसके बाद कालेजों को सम्बद्ध किये जाने का प्रश्न आता है और यह प्रश्न भी विवादास्पद है। मूल विधेयक में यह प्रस्ताव था कि बनारस विश्वविद्यालय एक रिहायशी विश्वविद्यालय हो। इससे केवल दो या तीन कालेज सम्बद्ध हैं। जब हमने विधेयक प्रस्तुत किया था तो हमने कहा था कि इस विश्वविद्यालय से कोई अन्य कालेज सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिये। संयुक्त समिति का विचार भी भिन्न था और उसने कहा था कि पन्द्रह मील के क्षेत्र के अन्दर स्थापित कोई भी कालेज बनारस विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिये। जब यह विधेयक राज्य

[श्री मु० क० चागला]

सभा के सामने आया तो उन्होंने स्थिति बदल दी और अब उपबन्ध यह है कि अधिनियम बन जाने के बाद स्थापित हुये कालेज सम्बद्ध किये जाने चाहियें। 15 मील के क्षेत्र के अन्दर अब भी दो या तीन कालेज सम्बद्ध नहीं किये गये हैं। यदि वे सम्बद्ध होना चाहते हैं तो उन्हें सम्बद्ध किया जाना चाहिये परन्तु इसके बाद सम्बद्ध करने की प्रक्रिया समाप्त की जानी चाहिये। यह एक संतोषजनक उपबन्ध दिखाई देता है। मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विश्व-विद्यालय का रिहायशी रूप बनाये रखें। मालवीय जी की भी यही धारणा थी।

एक नई विधि के अन्तर्गत उप-कुलपति को विद्यार्थियों में अनुशासन सम्बन्धी पूर्ण शक्ति दी गई है। अब जो कुछ हो रहा है, उसे ध्यान में रखते हुये सभा सहमत होगी कि उप-कुलपति को अनुशासन स्थापित करने की पूर्ण शक्तियां होनी चाहियें।

संयुक्त समिति का यह विचार था कि वर्तमान उप-कुलपति तथा रजिस्ट्रार को अधिनियम के प्रवृत्त होने के तुरन्त बाद ही पद त्याग देना चाहिये। राज्य-सभा ने यह उपबन्ध बदल दिया है। यह अच्छा होगा कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा बनाये गये दृष्टिकोण को बनाये रखे। यह एक गलत पूर्व दृष्टांत तथा संविधान की भावना के विरुद्ध होगा कि किसी को अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिये बिना ही दण्ड दिया जाये। मुझे आशा है कि यह सभा ऐसा नहीं करेगी।

कोर्ट के गठन सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया ताकि स्नातकों तथा दान देने वालों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके और अधिकारियों की संख्या कम की जा सके। इसी प्रकार कार्यकारी परिषद् के गठन में परिवर्तन करके अधिकारियों को कम कर दिया गया है। सम्बद्ध कालेजों के प्रधानाचार्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब कार्यकारी परिषद् के लिये इनमें से पांच व्यक्ति निर्वाचित होंगे। विज़िटर द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों की संख्या कम करके चार से तीन कर दी गई है।

अध्यापकों को अधिक संरक्षण देने के लिए उप-कुलपति और कार्यकारी परिषद् की अध्यापकों को हटाने सम्बन्धी शक्तियों से सम्बन्धित परिनियम 30 और 31 में परिवर्तन कर दिया गया है। अब उपकुलपति को कार्यकारी परिषद् को वे परिस्थितियां बतानी पड़ती हैं जिनके अन्तर्गत मुअतल करने का आदेश दिया गया है और कार्यकारी परिषद् को वह आदेश वापिस लेने का अधिकार है।

एक नये परिनियम की व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी संगठन की सदस्यता अनिवार्य नहीं होगी। विवाद अधिकांश रूप से अनिवार्य सदस्यता के कारण उत्पन्न हुआ था। नये परिनियम के अन्तर्गत विद्यार्थियों के कल्याण का ध्यान रखने के हेतु विद्यार्थी परिषद् की स्थापना की जायेगी जिसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों के प्रतिनिधि होंगे और वे आपस में बैठकर एक दूसरे की समस्याओं पर चर्चा करेंगे।

अब मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये। जहां तक नाम का सम्बन्ध है, यह बात सभा पर छोड़ी जाये। सरकार का विचार इस मामले को संसद् पर छोड़ने का है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह विधेयक संयुक्त समिति को पुनः सौंपा जाये। मैं आप का ध्यान नियम 77(2) और नियम 126 और 127 की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन नियमों के अन्तर्गत यह संशोधन स्वीकार किया जा सकता है।

आरम्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा पर दबाव नहीं पड़ना चाहिये। इसलिये इस संशोधन से सभा को शान्त वातावरण में चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

नियम 127 उन विधेयकों पर लागू होता है जो राज्य-सभा द्वारा भेजे गये हैं और नियम 77 उन विधेयकों पर लागू होता है जो संयुक्त समिति प्रक्रम के बाद इस सभा में लिये जाते हैं। इन दोनों नियमों को इकट्ठा लिया जाये और उनका उदार निर्वचन किया जाये तो यह बात सभा की शक्ति के अन्तर्गत है कि इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : नियम 77 के अन्तर्गत केवल प्रभारी सदस्य ही यह प्रस्ताव कर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि लोक-मत को ठीक प्रकार जांच करने के लिए और स्थिति के सभी पहलुओं को देखने के लिए माननीय मंत्री को स्वयं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये कि यह विधेयक इस सभा की प्रवर समिति को अथवा दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

K. D. Malaviya : I support the point raised by Shri Kamath. The Government has not presented her point of view. It will give an opportunitoty the Government to take a decision on this matter and make some recommenda tion so that we could consider it.

अध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद कोई सदस्य विचार सम्बन्धी प्रस्ताव पर यह संशोधन प्रस्तुत कर सकता है। यदि राज्य-सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता तो वह उस प्रस्ताव का उचित समय होता परन्तु अब जबकि एक सदन ने इसे पारित कर दिया है और हमने इस पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करना है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। यदि कोई नियमित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये तो मैं उसे सभा के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा स्थगित की जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा स्थगित की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The motion was negatived.*

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपने विधेयक को संयुक्त समिति को पुनः सौंपने सम्बन्धी मेरा प्रस्ताव रद्द कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने इसे रद्द कर दिया है।

सामान्य चर्चा के लिए पांच घंटे रखे जायेंगे, खंडशः चर्चा के लिए एक घंटा और तृतीय पाठ के लिए एक घंटा।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : मैं श्री कामत और अन्य सदस्यों की इस इच्छा को भली प्रकार समझता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा बाद में की जाये। परन्तु राज्य-सभा के विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन करने के निर्णय में यह आवश्यक हो गया है कि इस पर शीघ्र विचार किया जाये।

[श्री कृष्णपाल सिंह]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के नाम में किसी प्रकार के परिवर्तन का घोर विरोध करता हूं। हमारा एक बहु-धर्म समाज है और देशवासी बहुत धार्मिक विचारों वाले हैं। हमारे देश में लोग मथुरा और इलाहाबाद जैसे स्थानों में धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद लोगों को किसी धर्म का अनुसरण करने से वर्जित नहीं करता। उन्हें अपनी संस्थाओं का नाम रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। एक ऐसे देश में, जहां कि बहु-धर्म हैं यह बात दुर्भाग्यपूर्ण होगी कि लोगों को अपनी संस्थाओं का नाम उस प्रकार रखने की अनुमति नहीं हो जिस प्रकार वह रखना चाहते हैं।

कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि हमारे देश में संस्थाओं के नामों में "हिन्दू" या "मुस्लिम" शब्द या ऐसे किसी अन्य नाम के होने से लोगों या इन संस्थाओं के विद्यार्थियों पर कुछ अवांछनीय प्रभाव पड़ेगा। परन्तु वास्तव में जो कुछ हो रहा है, यह बात उसके विपरीत है। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से कुछ ऐसे लोग तैयार किये हैं जो अपनी देश-भक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं के लिए विख्यात हैं। इसलिए, यह भय बिल्कुल निराधार है।

कोई भी धर्म झगड़ा करना नहीं सिखाता। इसलिए, धर्म के अध्ययन के सम्बन्ध में लोगों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिये बल्कि उन्हें उत्साहित करना चाहिये। धर्मनिरपेक्षता के प्रचार का हमारे नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अपमिश्रण और चोर बाजारी जैसे दुराचारों का यह भी एक कारण है कि हमने अपने जीवन में से धर्म हटा दिया है। इसलिए अब समय आ गया है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में प्रचार करने की बजाय हम यह प्रचार करें कि लोग अपने अपने धर्मों का अनुसरण करें।

कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे धार्मिक नाम पर किसी संस्था के नाम से लोकतंत्रात्मक प्रणाली को हानि पहुंचेगी। मुझे इस सन्देह का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि नाम से हमें अथवा हमारे किसी समुदाय को कोई हानि होगी।

हिन्दु धर्म के बारे में कुछ विशिष्ट बातें हैं। यह धर्म सहिष्णु धर्म रहा है। इस बात का श्रेय हिन्दु धर्म को ही रहा है कि इस ने सभी जातियों को मान्यता दी है और इनके सदस्यों को उच्चतम स्तर तक उन्नति करने का समान अवसर दिया गया है। मेरे विचार में यह बात हिन्दु धर्म के लिए गर्व की बात है और इसलिए, जो लोग यह समझते हैं कि विश्वविद्यालय में "हिन्दु" नाम से किसी अन्य जाति को हानि होगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपना रहे हैं।

इस विश्वविद्यालय की नींव डालने वाले स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी इस समय भारत में रह रहे किसी जीवित व्यक्ति की तुलना में कम देश-भक्त और राष्ट्रवादी नहीं थे। मैं तीन वर्ष तक विश्वविद्यालय के कोर्ट का सदस्य रहा हूं और मैं यह जानता हूं कि उन्हें विश्वविद्यालय से कितना लगाव था और उन्हें विश्वविद्यालय का यह नाम कितना प्रिय था। यदि इस पवित्र नाम में कोई परिवर्तन किया जायगा तो यह इस सभा की बहुत भारी गलती होगी।

जहां तक संयुक्त समिति द्वारा पुरःस्थापित अन्य परिवर्तनों का सम्बन्ध है, माननीय शिक्षा मंत्री ने उनके सम्बन्ध में सविस्तार बताया है। शिक्षा सम्बन्धी परिषद् की स्थायी समिति की पुरः स्थापना और कोर्ट के गठन और उसकी शक्तियों में वृद्धि से विधेयक में बहुत सुधार हुआ है।

एक और बात, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्ध कालिजों के साथ व्यवहार के बारे में है। परिनियम 36 के अनुसार किसी सम्बद्ध कालिज के प्रबन्धक बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का, जो कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार चाहता है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन किया

जाना आवश्यक है। मेरे विचार में यह उचित नहीं है। कालिज विश्वविद्यालय के क्षेत्र के 15 मील के अन्दर अन्दर स्थित हैं। वे हमारे अपने कालिज हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे उपबन्ध के होते हुय अधिकांश लोग सदस्य नहीं बनना चाहेंगे। परिनियम 36 के परन्तुक को हटाया जाना चाहिये। यह बात प्रबन्धक समिति पर छोड़ दी जानी चाहिये कि वे जिसे चाहें सदस्य चुन लें। समय समय पर विश्वविद्यालय निरीक्षक भेजता रहेगा और जब भी किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी, उस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा।

Dr. Govind Das (Jabbalpur) : It is unfortunate that a Bill to change the name of Banaras Hindu University has been brought forward. It would have been better if such a controversial matter was not brought up during the present emergency. The motion moved by Shri Kamath is against the rules and, therefore, you could not accept it but I feel that it would have been better to postpone the discussion.

I am strongly opposed to any change in the name of the university, which was motivated by communal considerations. I have been nearer to Pandit Madan Mohan Malviya. In spite of being a staunch Hindu he was a great nationalist. He always remained a Congressman.

The association of the word "Hindu" with the name of the University does not mean that it is a Communal institution. The University, has played a vital part in the freedom movement of the Country.

So far as the question of associating the name of Shri Malviya with the name of the University is concerned, there can be no objection to it. It can be done even by retaining the name "Hindu University". We should not, however, ignore this fact that Shri Malviya was above the desires of fame and glory. If we delete the word "Hindu" from the name of the University and add his name as part of the name of the University, his soul would be hurt.

I have nothing to say with regard to other provisions of the Bill but as an old Congressman, I am opposed to any change in the name of the University. It has been said that we should not be led away by the agitation going on in Banaras. We should remember that we have established democracy in this country. In a democracy , such an agitation is one of the ways to express opinion. The public opinion in this country is against changing the name of the University. Rajya Sabha has taken a wrong decision in favour of the change. We have to show that if Rajya Sabha does something wrong, Lok Sabha is not prepared to accept it. I am, therefore, of the opinion that there should be no change in the name.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मेरा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से इतना घनिष्ट सम्बन्ध तो नहीं रहा है परन्तु जब मैं विद्यार्थी ही था तो मुझे एक वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये बनारस जाना पड़ा था और मुझे एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था जिसपर "काशी विश्व-विद्यालय" शब्द खुदे हुए थे। मुझे प्रसन्नता है कि यही बात संयुक्त समिति में मेरे कई मित्रों के मस्तिष्क में थी जब उन्होंने यह बताया कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के प्रवर्तक का अभिप्राय बहुत अच्छी तरह से पूरा हो जायेगा यदि हम नाम को बदल कर काशी विश्वविद्यालय रख देंगे और इस से भी कोई हानि नहीं होगी यदि इस के साथ पंडित मालवीय जी का नाम सम्बद्ध कर दिया जायेगा क्योंकि वह इस विश्वविद्यालय की आत्मा थे। यद्यपि सामान्यता मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि विश्वविद्यालयों के नामों के साथ व्यक्तियों के नामों को जोड़ा जाये परन्तु पंडित मदन मोहन मालवीय जसी महान विभूतियों के

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे पूरा किया जाना चाहिये कि उनकी स्मृति को शाश्वत बनाया जाये। परन्तु यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया है और वह चाहती है कि इस प्रश्न पर निर्बाध रूप से मतविभाजन हो। मेरे विचार में यह उदारता सरकार की कमज़ोर नीति की द्योतक है क्योंकि इसे भय है कि उत्तर प्रदेश में इससे कहीं साम्प्रदायिक कठिनाइयां उत्पन्न न हो जायें। अतः सरकार एक एसे महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय करने से बचने के लिये उदारता का आश्रय ले रही है।

यह सही है कि किसी संस्था के नाम से "हिन्दु" अथवा "मुस्लिम" शब्द हटा देने मात्र से ही उसे असाम्प्रदायिक, धर्मरनिपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक नहीं बनाया जा सकता है परन्तु जब हम कुछ केन्द्रों विशेषतया शिक्षा केन्द्रों से साम्प्रदायिकता को मिटाना चाहते हैं तो हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे और इस के लिये हमे कोई न कोई पहल करनी पड़ेगी। कभी कभी प्रतीकात्मक कार्यवाहियां भी बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं और बाद में इन से अच्छे परिणाम निकलते हैं चाहेअभी हमें इसमें कोई महत्वपूर्ण बात दिखाई न दे। इसी आधार पर संयुक्त समिति ने इस संस्था के नाम से "हिन्दु" शब्द को निकालने का सुझाव दिया है और इसी लिये राज्य सभा ने इस सुझाव को बहुमत से स्वीकार कर लिया है ताकि ऐसे प्रतीकात्मक नामों को हटा दिया जाये जिससे साम्प्रदायिकता की बू आती है। जब तक हम इन प्रतीकों तथा अन्य बातों को, जिनसे साम्प्रदायिकता की बू आती है, समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम धर्मनिरपेक्षता के उस वास्तविक तथा सच्चे चित्र को नहीं देख पायेंगे जिसपर हमें वास्तव में गर्व है।

आज हम देखते हैं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विशेषकर बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में साम्प्रदायिक झगड़ होते रहते हैं। अलीगढ़ में हाल ही में जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। इन दिनों बनारस में जो आन्दोलन चल रहे हैं जिनको सम्प्रदायवादी चलाते हैं, तो इन सब बातों को देख कर संसार के लोग क्या कहेंग। हमें इस मामले पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इसी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर काश्मीर जो कि एक मुस्लिम राज्य है, हमारे साथ है और इसका हमें बड़ा गर्व है। परन्तु खेद है कि दूसरी ओर हम साम्प्रदायिकता के प्रतीकों को मिटाने के लिये साहस से काम नहीं ले रहे हैं। जब हमने एक रास्ता जो कि धर्मनिरपेक्षता का रास्ता है अपना लिया है तो उसे अब हमें नहीं छोड़ना चाहिये, उससे हमें विचिलित नहीं होना चाहिये। उसी पर अग्रसर होने में ही हमारा सम्मान और गौरव है। हिन्दू धर्म तो एक बहुत विशाल और व्यापक धर्म है जो हमें सहनशीलता तथा उदारता का पाट सिखाता है तो इसी धर्म की आड़ लेकर कुछ कट्टर हिन्दू, कुछ साम्प्रदायिक हिन्दु आज छोटी छोटी बातों के लिये झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। यह कब तक चलता रहेगा। अलीगढ़ तथा बनारस में यह साम्प्रदायिक लोग कब तक अपना विष फैलाते रहेंगे। हमें इन्हें बन्द करना होगा। सरकार को अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं होना चाहिये तथा पूरे साहस से कार्यवाही करनी चाहिये। संसद में मत देने की स्वतंत्रता के नाम पर हमें भारत के अच्छे नाम पर धब्बा नहीं लगाना चाहिये। यदि सरकार इस बारे में कोई कारगर कार्यवाही करने में असफल रही तो इतिहास इसे क्षमा नहीं करेगा।

Shri Siddheshwar Prasad (Nalanda) : Mr. Deputy Speaker, while I generally support the Bill brought forward by the Minister of Education, but I would, however, like to submit that we should consider the matter very thoroughly, before taking a decision.

In so far as the question of changing the name of the University is concerned though the matter has been considered by the Joint Committee and then by the Rajya Sabha very carefully and they have also made some suggestions in this regard, but as far as I think, I would like to suggest that we should not make

any change in the name of the University which might aggravate the situation. In this connection I would like to draw the attention of the Government to two points. Firstly I may point out that some years back the University Grants Commission had suggested that Universities should not be named after the names of individuals and as far as I think the Government had shared this view. The Ministry of Education should, first of all, set an example by following the advice of the U. G. C. and names should not be associated with the names of the Universities. Secondly I would submit that the central Universities should not be given communal names and the word "Hindu" or "Muslim" should not be there. I do agree that we cannot merely by changing the name of a particular institution make it really and truly non-communal and we will have to take some other effective steps to achieve this end but sometimes symbolic actions too become very important and have very serious repurcussions on the atmosphere of an institution. Moreover Pandit Madan Mohan Malviya, the founder of this University never used the word "Hindu" in respect of this university. Even the name inscribed on the bricks is "Kashi Vishwavidyalaya". I would, therefore, suggest that it should be known as "Kashi Vishwavidyalaya" and not as "Hindu Banaras University" or "Madan Mohan Malviya Kashi Vishwavidyalaya".

Another important thing is that the present Registrar of the University should be removed as suggested by the Joint Committee because he is at the root of all the troubles there. He is wholly and solely responsible for the venomous atmosphere which is now prevailing there. But it is regretted that Rajya Sabha has not accepted this suggestion of the Joint Committee. It is something surprising that the Chairman of that Committee deemed it fit to appeal a note of dissent in regard to this matter along with the Report of the Committee. If he had such strong feelings, he should have resigned from the Chairmanship of the Committee. The Government should remove the registrar so that the University could function in a proper atmosphere.

Since it is not at all proper that some colleges of Kashi city should be affiliated with a University other than Kashi Vishwavidyalaya, the provision regarding affiliation of the local colleges with this University is, therefore, quite justified.

The suggestion to set up students Councils with a view to bring closer association between teachers and students is welcome. I would rather suggest that such councils should be set up in other Central Universities also.

As pointed out by hon. Member Professor Mukerjee, the situation in the Central Universities of Banaras, Aligarh and Visva Bharati is not commendable and as such Government should find out the reasons as to why these Universities have failed to create such a good atmosphere as we find in Delhi University which has also been able to give more facilities to its students in comparison to those provided by the other three Universities referred to above.

While opening new Universities, Government should see that they are opened with a definite objective and each University should provide for higher learning and research in a particular subject. But it is regretted that nothing is being done in a planned way and even there is no coordination among the National Laboratories, Central Universities and Institutions of higher learning. It has been pointed out to me that while considerable incentives are being given to the National Laboratories for carrying on the research work the Central Universities are being neglected and these are not being developed properly. So far as Kashi Vishwavidyalaya is concerned, the Government should see that such a good

[Shri Sidheshwar Prasad]

atmosphere is created there so that it can again become a centre of higher learning. In order to achieve this end it is very necessary that all the four Universities should be developed in various subjects and provided with special facilities for higher learning. In connection with Kashi Vishwavidyalaya I would suggest that it should be developed as a highest Centre for the study of Indian culture and for the harmonious development of education because this was the very purpose of the setting up this University. But it is regretted that this ideal for the achievement of which this University was founded has been forgotten due to the atmosphere now prevailing there. In order to make this University to function in a proper atmosphere, some constructive steps should be taken to give a new shape to this University so that it could help us in achieving the purpose for which it has been founded. Then and only then it would become a true and appropriate memorial of Malviyaji.

With these words I support the Bill and hope that my suggestions would be given due considertion by the Minister concerned.

Shri Vishwa Nath Paudey (Salempur) : Mr. Deputy Speaker, when we are trying to bring about emotional unity in the Country, the hon. Minister has brought forward a controversial issue before the House. The circumstances prevailing to-day in the Country do not warrant us to discuss such issues without aggravating the situation. The provision regarding association of Malviyaji's name with the name of this University is not proper and I oppose it tooth and nail, because by doing so we would be disturbing the soul of Malviyaji. The word "Hindu" does not represent any particular community or sect but it is a symbol of Indian Culture and that is why this word was included in the name of this University by its founder who was a staunched nationalist. There has never been a communal atmosphere in this University where Hindus, Muslims, Jains, Christinas and Sikhs receive education without any discrimination. The existing name of the University *i.e.*, Banaras Hindu University should, therefore, be retained. But so far as the agitation launched by the Students was concerned, it is condemnable and nobody would like to show any sympathy to them as there are other constitutional means to achieve the aim of retaining the existing name. I would, however, like to know as to why no mention has been made about those colleges the names of which also contain so called communal world like "Christian", "Hindu", "Brahman" etc.

I do agree that we should have regard for Malviyaji but a University which has been created by him, should not be made a memorial to that great man. It would have been better if another memorial had been raised as there is a memorial each after the name of Mahatma Gandhi, Jawahar Lal Nehru and Subhash Chandra Bose.

If Central Government is making available some funds to run this University, it does not mean that some fundamental changes should be brought about in the ideal and the principles set fourth by Malviyaji. Morerover we cannot merely by deleting the word "Hindu" or Muslim, make any institution non-communal. This evil of communalism can only be eradicated through proper education and not by changing names.

Ours is a democratic Government, it was therefore necessary that wishes of the people should have been ascertained in the first instance. But if it has not been done, the recommendation made by the Joint Committee should be accepted and the amendment proposed by Rajya Sabha about the change in the name should be rejected.

There should be some check on the unlimited powers being conferred on the Vice-Chancellor under the Bill. His term of office should be reduced from 5 years to 3 years. The old practice relating to Students Union should not re disturbed.

Shri Brij Raj Singh (Bareilly) : I consider Banaras Hindu University Bill most untimely and inopportune. Our communist friends do not realise the importance of spiritualism. Their ideology is like that. As Dr. Govind Das has said Hinduism is not a sect as such. People have different faiths can be taken as Hindus. I feel Hinduism is synonym of secularism. Many people do not know the importance word 'Hindu'. While referring to Shri Butto's outbursts in the Security Council, Shri Chagla has told us about the importance of the word 'Hindu'. I feel that word Hindu should not be removed. It does not denote a communal touch. Hinduism embraces Jainism, Sikhism and many other sects. It would be improper if we call Hinduism a communal sect.

It has been said that by removing word 'Hindu' we are going to make a beginning. I do not agree with this. I do not believe if they are going to remove 'Muslim' from the name of Aligarh Muslim University. Similar view was expressed when Hindu Code Bill was passed. It was said at that time that similar Bills would be brought forward in respect of other religions. No such Bill has been brought forward. I do not understand the way of thinking of our friends in Congress party. They treat 80 per cent population of our country as communal and the rest 20 per cent as secular. It is not good. I can say that it is only Hindus who have a sense of tolerance. Shri Chagla should have understood this.

Shri Lal Bahadur Shastri has said twice—once at Ramlila grounds and then at Gauhati—that he is a Hindu. It does not mean that he is a Communalist. I feel it would not be proper to remove "Hindu" from the name of Banaras Hindu University and attach the name of its founder Pandit Madan Mohan Malviya.

The trouble spot is Aligarh Muslim Univerity—and they want to tackle the problem by changing the name of Banaras Hindu Univeristy. It is not proper.

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : श्रीमन जी, राष्ट्रवाद की परीक्षा उस समय होती है जब अपने ही समुदाय के लोग आप का विरोध कर रहे हों। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में विधेयक विचाराधीन था तो हमारे शिक्षा मंत्री श्री चागला अडिग रहे। मुझे याद है कि जब मुस्लिम लीग आंदोलन चलाया करती थी तो मौलाना आज़ाद जैसे नेता राष्ट्रीयता के सिद्धन्तों का पालन किया करते थे। मेरा विचार है कि परीक्षा की इस घड़ी में मेरे हिन्दू मित्र अपने राष्ट्रवाद का परीचय देंगे।

हमें साम्प्रदायिक तत्वों के समक्ष झुकना नहीं है और जो निर्णय हैं उसे पूरा करना है। श्री बड़े ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तो कहा था कि 'मुस्लिम' शब्द हटा दिया जाये परन्तु अब वह 'हिन्दु' शब्द हटाये जाने के विरुद्ध हैं। इस से जनसंध की मनोवृत्ति का पता चलता है। आप एक शब्द के हटाने से साम्प्रदायिकता को समाप्त नहीं कर सकते। हमारे देश में बहुत सी संस्थाओं के नाम धर्मों

[श्री. अन्सार हरवानी]

पर आधारित हैं। इन संस्थाओं से बहुत महान व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर के सार्वजनिक जीवन में आये हैं। इस देश में बहुत से धार्मिक सम्प्रदाय हैं। उनकी भाषाएं भी अलग हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि सभी भाषाओं को विकास का पर्याप्त अवसर मिले।

हम विश्वविद्यालय के बारे में अन्य बातों पर चर्चा के स्थान पर उसके नाम में उलझ कर रह गये हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बहुत सी त्रुटियां हैं। हमे उनको दूर करने के बारे में सोचना चाहिये। वहां पर शिक्षा के अध्यापन कार्य में सुधार कैसे किया जा सकता है। हमें इन बातों के बारे में भी सोचना है।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : हमें विश्वविद्यालय के नाम को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। विश्वविद्यालय में जो परिवर्तन किये जा रहेहैं उन पर विचार करना चाहिये। धारा 4 ए० के संशोधन से आप विश्वविद्यालय के ढांचे में बहुत परिवर्तन करने जा रहेहैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा के समय मंत्री महोदय ने कहा था कि विश्वविद्यालय में कोई मूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा। धारा 4 ए० से विश्वविद्यालय के मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा रहा है। अब अध्ययन के कार्यक्रम में पारसी तथा ईसाई धर्म दोनों को शामिल किया जा रहा है। अभी तक विश्वविद्यालय उन्हीं उद्दश्यों की पूर्ति के बारे में कार्य कर रहा था जिन के लिय पंडित मदनमोहन मालवीय ने इस की स्थापना की थी। हमें उन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

वर्तमान स्थिति के समय हमें किसी विवादास्पद मामले को नहीं उठाना चाहिये। जब आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में विधेयक लायेंगे तो उस समय भी एक बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये और नीति निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा कि उनका विचार है कि विश्वविद्यालयों से साम्प्रदायिकता दूर करने की कोशिश की जाय। क्या यह उसी दिशा में एक कदम है। मैं तो चाहता हूं कि आप सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये एक ही अधिनियम पारित करें। ऐसा करना ही उचित होगा। हमें यदि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नामों में परिवर्तन करना है तो दोनों के बारे में एक साथ कार्यवाही करनी चाहिये। यदि अलीगढ़ के बारे में भी कोई विरोध होता है तो वह भी अभी हो जाये। एक ही विधेयक द्वारा दोनों के नामों को परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार सुविधा भी रहेगी।

विद्यार्थियों में अनुशासन का प्रश्न बहुत महत्व का प्रश्न है। इस पर पिछले 18 वर्ष से हमने कुछ नहीं किया है। आज के विद्यार्थी कल के नेता हैं। देश का भविष्य उन पर ही निर्भर करता है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। तभी हम विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री महोदय को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। हमें आंदोलनों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिये। हमें देश के हितों को सर्वोपरी स्थान देना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिस से देश की एकता या सुरक्षा को हानि पहुंचे।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय का स्थान हमारे राष्ट्रीय जीवन में बहुत ऊंचा है। जब से यह स्थापित हुआ है इसने महान परम्परायें स्थापित की हैं। इस के स्थापित करने वाले पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने इसे विश्व की एक महान संस्था का स्वरूप दिया था। हमें उस स्वरूप को बनाये रखना है।

जैसा कि मुदलियार समिति ने कहा था इस विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिये कुछ त्रुटियां आ गई थीं। इस समितिने संस्था को नया जीवन प्रदान किया। आजकल भी वहां पर गुट-मनोवृत्ति तथा दलबन्दी जसी अवांछनीय प्रवृत्तियां प्रचलित हैं। इससे वहां पर अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होंगे। और इस समय वहां का वातावरण दूषित और भ्रष्ट है। विद्यार्थियों का वर्तमान आंदोलन इसी का द्योतक है। इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान श्री मुकुट बिहारी लाल के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पर कुछ दोष लगाये हैं। एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे विद्यार्थियों को अनुशासन भंग करने का प्रोत्साहन मिले। हमें विश्वविद्यालयों के नाम व्यक्तियों के नामों पर नहीं रखने चाहियें। प्रस्तावित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के बारे में भी मैंने यही बात कही थी। हां यह बात ठीक है कि वे व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति थे।

किसी विश्वविद्यालय का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखना, चाहे वह कितना ही महान तथा सुविख्यात विभूति क्यों न हो, विश्वविद्यालय की व्यापकता को सीमित करना है। इसी प्रकार किसी समुदाय के नाम पर, चाहे वह समुदाय कितना ही बडा अथवा छोटा क्यों न हो, विश्वविद्यालय का नाम रखना इसकी व्यापकता को सीमित करना है। विश्वविद्यालय तो सर्ववर्गीय होना चाहिये। मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का नाम बदल कर 'मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय' रखने के विरूद्ध हूं। यह नाम बहुत लम्बा है। नाम छोटा होना चाहिये। अभी तक हमारी सरकार ने व्यापक और सर्वमान्य विधेयक प्रस्तुत करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है।

"धर्म-निरपेक्षता" का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। सरकार का रवैया सभी के लिये समान और सर्वमान्य होना चाहिये।

यदि आप इस विश्वविद्यालय का नाम बदलना ही चाहते हैं तो इसका नाम 'काशी विश्वविद्यालय' रख दिया जाये। यह बडा युक्तिसंगत होगा। देश में ऐसी कोई भावना न पैदा की जाये जो लोग यह समझें कि संसद और सरकार प्रदर्शनों को देखते हुए निर्णय करती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में दक्षिण वियतनाम अथवा दक्षिण कोरिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो। मेरा अनुरोध है कि सरकार को एक अधिक व्यापक विधान प्रस्तुत करना चाहिये। मैं साम्प्रदायवादी सभी अधिनियमों के विरूद्ध हूं।

हमारे जवानों ने रण-क्षेत्र में बड़ी वीरता दिखायी है। लेकिन हमारे देश में ऐसी प्रवृत्ति है कि हिन्दू लोगों को हिन्दू जवानों के शौर्य पर गर्व है, मुस्लिम लोगों को मुस्लिम जवानों के शौर्य पर और आंग्ल-भारतीय लोगों को आंग्ल-भारतीय जवानों के शौर्य पर गर्व है। यह प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिये। और ऐसा व्यापक दृष्टिकोण द्वारा ही किया जा सकता है।

महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम्): यह विधेयक पिछले सात वर्षों से लम्बित है और इस ओर कोई रुचि नहीं दिखायी गयी है। अब शिक्षा मंत्री श्री चागला ने यह विधेयक पेश कर अच्छा किया है।

यदि हम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की सभी कठिनाइयों और षडयन्त्रों को समझ लेते तथा इसमें सुधार कर लेते तो अच्छा होता पाकिस्तान के साथ इस वर्तमान संघर्ष के समय जब कि पाकिस्तान ने अपने को इस्लामी देश कहा है, यदि 'हिन्दू' शब्द निकाल दिया गया तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

मालवीयजी ने सभी वर्गों के लोगों को गले लगाया। वह ईसाईयों को भी उतना ही चाहते थे जितना हिन्दुओं को। उनकी एक मूर्ति संसद के आसपास स्थापित की जानी चाहियें। वह बहुत महान व्यक्ति थे। अब हम उन्हें भूल से गये हैं। लेकिन इस समय, पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर किये गये आक्रमण को देखते हुए, हम 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' नाम में से 'हिन्दू' शब्द नहीं निकाल सकते, यह अच्छा होता यदि 'हिन्दू' शब्द हटाने पर विचार करने के स्थान पर हम

6—5 Lok Sabha/66

[महाराजकुमार विजय आनन्द]

इस विश्वविद्यालय की स्थिति सुधारने और वहां षडयंत्रों को दूर करने के बारे में विचार करते। डा० राधाकृष्णन के सभापतित्व में जांच आयोग में भी 'हिन्दू' शब्द को बने रहने की सिफारिश की थी। एक ओर हमारा पाकिस्तान से झगडा है और दूसरी ओर चीन से। इसके रहते हुए इस मामले पर जोर देकर आन्तरिक कठिनाई पैदा नहीं की जानी चाहिये। मेरा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान हमने विश्व में यह बात सिद्ध कर दी है। अयूब के मनसुबे गलत रहे। वह समझते थे कि भारत में हिन्दू मुस्लिम झगडे हो जाएंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन भावना के तौर पर मैं अनुरोध करता हूं कि यह शब्द रहना चाहिये। इसे न हटाया जाय। इससे शान्ति बनी रहेगी।

उपकुलपति की स्थिति रजिस्ट्रार से भिन्न प्रकार की है। रजिस्ट्रार एक वैतनिक पदाधिकारी है। इस विधेयक के अधिनियम बनकर लागू हो जाने के बाद उसे अपने पद से अलग नहीं किया जाना चाहिये परन्तु जहां तक उपकुलपति का सम्बन्ध है, यदि वह पद त्याग दें तो यह उनके लिये शोभायुक्त रहेगा। रजिस्ट्रार को हटाना विश्वविद्यालय की काउंसिल का काम है।

सात वर्ष की प्रतीक्षा के बाद यह विधेयक पेश करने के लिये मैं शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं लेकिन यह विधेयक पास नहीं होगा। यह सब झमेला 'हिन्दू' शब्द के कारण खडा हुआ है लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हमें अब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये। एक दो वर्ष के बाद अन्य विश्वविद्यालयों के साथ इस बारे में भी विचार किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि देश के हित में इस शब्द को बनाये रखा जाय और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम को शाश्वत्व प्रदान किया जाये। यह नाम पंडित मालवीय जी ने ही रखा था। बनारस शब्द भी रहने दिया जाय। राजनीतिज्ञ लोग बनारस शब्द के स्थान पर 'वाराणसी' शब्द रख सकते हैं। कल कोई और राजनीतिज्ञ वाराणसी नाम बदल कर कोई और नाम रख सकता है। यह अलग बात है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हिन्दू विश्वविद्यालय शब्दों के साथ 'बनारस' शब्द भी रहने दिया जाय।

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : मैं यह समझता हूं कि नाम में यह परिवर्तन करना महत्वपूर्ण है और बडा आवश्यक है। इसका नाम बदलने पर काफी आपत्ति उठी है। कुछ व्यक्तियों ने 'हिन्दू' शब्द हटाये जाने पर आपत्ति की है, कुछ ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम जोडे जाने पर आपत्ति की है और कुछ ने 'बनारस' के स्थान पर 'काशी' शब्द रखने पर आपत्ति की है।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
SHRI SONAWANE *in the Chair*]

यह सर्वविदित है कि पंडित मालवीयजी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना अपने प्रयत्नों से की है। यह संस्था संसार में अद्वितीय है। इस विश्वविद्यालय के साथ पंडित मालवीय का नाम जोडने के बजाय इससे अच्छा और कुछ नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इस बात की कभी चिंता नहीं की। कोई भी महान व्यक्ति इस बात को अच्छा नहीं समझेगा कि उसका नाम किसी संस्था से सम्बद्ध किया जाय। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन महान विभूतियों का नाम स्मरणीय करें। इस पर शांति से विचार किया जाये कि हम पंडित मालवीय के प्रति यही श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

हम सभी इस बात से सहमत हैं कि 'हिन्दू' शब्द में राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं है। हिन्दू वह है जो हिन्दुत्व को माने। सो 'काशी' शब्द से अच्छा और कोई नाम नहीं हो सकता। काशी भगवान शिव का नगर है जिनका हिन्दू धर्म के भाग्य पर आधिपत्य है। इस विश्वविद्यालय

का नाम बदल कर 'मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय' नाम रखना बड़ी अच्छी बात है और सभा को यह मान लेना चाहिये।

राज्य सभा में बड़े वरिष्ठ और महान व्यक्ति है और हम नहीं चाहते कि उन्होंने जो नाम रखा है वह बदला जाय। राज्य सभा की बात मानी जानी चाहिये और इसलिये इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाय।

आठ वर्ष पहले जो इस विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता थी वह अब फिर लायी जा रही है और हमें व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और इस संस्था में हो रही अनुशासनहीनता और गडबडी से प्रभावित नहीं होना चाहिये। एक समय था जब इस विश्वविद्यालय में अराजकता चरम सीमा पर थी। किसी भी परिस्थिति में सभा को इस देश के प्रति और इस संस्था के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ना चाहिये। विद्यार्थियों को भी इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि बदलती हुई स्थिति में उपकुलपति को अधिक अधिकार देना अच्छा है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे उचित रूपसे इस पर विचार करें और इस विधेयक से सहमत हों।

श्री जे० भ० कृपलानी (अमरोहा) : सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि हिंदी में इसे 'काशी विश्वविद्यालय' कहा जाता है और 'काशी हिंदू विश्वविद्यालय' नहीं। पता नहीं अंग्रेजी में 'हिंदू' शब्द कैसे और कहां से आ गया। मैं इस अवसर पर इसलिये बोलना चाहता था क्यों कि मेरा इस विश्वविद्यालय से शुरू से ही नाता रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय चाहते थे कि इस विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के अतिरिक्त हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की शिक्षा दी जाये। यह एक ऐतिहासिक बात है। आज वातावरण भिन्न है और हमें पता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या हुआ। उप-कुलपति मौत के मुंह में से निकले। कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। बाद में सभी मुस्लिम सम्प्रदाय ने अपराधियों का समर्थन किया।

हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने रवैये से यह सिद्ध कर दिया है कि वे भी सम्प्रदायवादी हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में सरकार के लिये यह बडा आवश्यक है कि वह सभी साम्प्रदायिक नामों को हटा दे। वह ऐसा इस प्रकार कर सकती है कि हिंदू सम्प्रदाय को कहे कि वह अपनी संस्थाओं को स्वयं चलाए तथा उनमें अपने धर्म की व्यवस्था कर लें और मुस्लिम सम्प्रदाय से कहे कि वह अपनी संस्थाओं को स्वयं चलाए और सरकार साम्प्रदायिक संस्थाओं को कोई अनुदान नहीं देगी। श्री चागला को यह नाम बदलने का गलत परामर्श दिया गया। अच्छा तो यह होता कि एक विधेयक संसद में पेश किया जाता जिसमें सभी साम्प्रदायिक नामों को एक साथ हटाया जाता क्योंकि कई मामलों में जनता का इस सरकार में विश्वास नहीं है। श्री चागला ने एक अच्छा काम तो किया है लेकिन गलत तरीके से। उनको अपने दल की परम्परा का पता नहीं है। सरकार हमेशा बदमाशी में बाहर के अनुचित प्रभाव के सामने झुकी है। इस मामले में भी लोग यह समझ सकते हैं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुए आन्दोलन के सामने सरकार झुक गयी है। लेकिन यह विचार यह वक्तव्य देकर समाप्त किया जा सकता है कि भविष्य में किसी भी स्कूल अथवा विश्वविद्यालय का नाम साम्प्रदायिक नहीं रखा जायगा और यदि ऐसे नाम रखे जाते हैं तो ऐसी संस्थाओं को सरकार कोई अनुदान नहीं देगी।

इस विश्वविद्यालय के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। सारा संसार जानता है कि वह इस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मुझे पता है कि उन्होंने किस प्रकार धन संग्रह किया। किसी भी विश्वविद्यालय के साथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

[श्री जी० भ० कृपलानी]

किसी भी व्यक्ति को चाहे वह हिन्दू हो, या मुस्लिम हो या ईसाई हो, जब तक उसने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन न किया हो, सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। संसार के सभी धर्मग्रन्थ एक निकाय अथवा धर्म के नहीं हैं, वे तो विश्व को बहुमूल्य वस्तु है। हिन्दुओं के लिये यह कहना कि गीता उनकी है, उसके उपदेशों को सीमित करना है। मुसलमानों के लिये यह कहना कि कुरान उनकी है और किसी अन्य को यह नहीं पढ़नी चाहिये, ऐसा करना उनके धर्म का निरादर करना होगा। ईसाईयों के लिये यह कहना कि केवल ईसाईयों को ही बाइबल पढ़नी चाहिये। वे सभी मानव समाज का कोष है। और आज सुसंस्कृत व्यक्ति वही है जो इनका तुलनात्मक अध्ययन करता है। वह अपने धर्म को भी सही ढंग से समझ सकता है। इनको किसी एक सम्प्रदाय को सम्पत्ति बताना इनका महत्व कम करना है। हर विश्वविद्यालय में संसार के सभी धर्मों और दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिये।

सभापति महोदय : श्रीमती कमला चौधरी।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियम संख्या 350 में यह दिया गया है कि जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा हो, तो अध्यक्ष द्वारा उसका नाम पुकारा जाये। श्रीमती कमला चौधरी अपने स्थान पर खड़ी नहीं हुई थी जबकि मैं अपने स्थान पर खड़ा हुआ था। मेरा नाम पुकारा जाना चाहिये था।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मैं सभी सदस्यों से, जो बोलना चाहे, यह निवेदन करूंगा कि वह मेरा ध्यान आकर्षित करें।

Shrimati Kamala Chaudhuri (Hapur) : The subject under discussion is being linked with the Indian Culture. In the olden days, people had been associating their names with the names of the institutions. Now the times are rapidly changing and this practice should be discarded.

It has been stated here that we are suffering from Communalism. We had been striving under the leadership of Mahatma Gandhi to do away with communalism from daily life and this change is totally unfounded.

The use of denominational names for educational institutions must be discouraged ; the practice is bad enough and is inconsistent with our objective of establishing a Secular Democracy in the country. It is wrong to oppose any move which attempted to do away with the denominational name of an institution.

Hindu culture is based on "**Sanyam**" which means discipline. I would like to make it clear that there is hand of reactionaries or some political party behind the student agitation. They are bringing out pamphlets and sending notices. But the Government should not get upset and should not take some wrong steps. The fact is that the denominational names like Rajput College, Jat College and Kanya Kubja College etc. are blots on our culture. We must make all efforts to maintain the national unity and solidarity which we achieved after the recent conflict with Pakistan. Our energies should be directed towards consolidating that unity. It would be unwise for us to get involved in needless controversies like Hindu culture, Muslim culture etc. We all have only one culture and that is Indian culture.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Indian culture is replete with the quality of assimilation. We assimilated every culture and consequently founded the Indian Culture.

In the end I would like to say that the name of the University should be changed to 'Kashi Vishwavidyalaya'; Pandit Madan Mohan Malviya's name should not be added to it.

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक से सम्बन्धित संयुक्त समिति का सदस्य था और जो चर्चा वहां हुई मैंने उसमें भाग लिया।

मैं सत्तारूढ़ दल पर यह आरोप लगाता हूं कि यद्यपि यह दल धर्मनिरपेक्षवाद का बहुत प्रचार करता है परन्तु व्यावहारिक रूप से इसने कभी इसका अनुसरण नहीं किया है। सरकार को एक दृढ़ नीति अपनानी चाहिये कि राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के साम्प्रदायिक नामों को हटा दिया जाना चाहिये।

सत्तारूढ़ दल ने कहा है कि उन्होंने इस विधेयक के बारे में तटस्थता का रवैया अपनाया है। क्या भविष्य में सभी विधानों के प्रति भी यही रवैया अपनाया जायेगा अथवा क्या सत्तारूढ़ दल ने केवल वर्तमान विधेयक के बारे में ही तटस्थता का रवैया अपनाया है? सरकार इस बारे में साहसपूर्ण निर्णय नहीं कर रही है क्योंकि वह इसके परिणामों से भयभीत है। इसे अपनी कमजोर तथा अनिश्चित नीति को छोड़ देना चाहिये।

इसका कोई कारण नहीं है कि इस विधेयक के प्रति कांग्रेस दल तटस्थ रवैया अपनाये। शिक्षा मंत्री में इतना साहस होना चाहिये कि वह यह कह सके कि अब समय आ गया है जब इस विश्वविद्यालय के नाम से हिन्दू शब्द हटा दिया जाना चाहिये।

इस विश्वविद्यालय के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिये। किसी व्यक्ति विशेष का नाम विश्वविद्यालय के नाम से मिला देना एक बुरा पूर्वोदाहरण होगा।

यह खेद का विषय है कि राज्य-सभा ने यह उपबन्ध हटा दिया है कि यह समझा जायेगा कि संक्रमणकालीन अवधि में उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार अपने पदों से हट गये हैं। रजिस्ट्रार तथा उपकुलपति के कृत्यों के कारण विश्वविद्यालय को कई लाख रुपयों की हानि उठानी पड़ी। राज्य सभा द्वारा यह उपबन्ध हटाया ही जाना चाहिये था।

मुझे इस विधेयक के एक अन्य उपबन्ध पर भी आपत्ति है। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नैतिक पतन के लिये दोषसिद्ध किया गया हो और उसे छः महिने का कारावास का दण्ड मिला हो तो वह विश्वविद्यालय के किसी पद पर काम नहीं कर सकता। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा मैं यह उपबन्ध कराना चाहता हूं कि यदि ऐसे व्यक्ति को एक भी दिन का कारावास का दण्ड मिला हो तो भी उसे विश्वविद्यालय के किसी पद पर काम नहीं करना चाहिये।

मेरा भी यह मत है कि आन्दोलन कि निन्दा की जानी चाहिये। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि कई बार सरकार आन्दोलन के दबाव में आई है और इसके परिणामस्वरूप आज देश में यह भावना बनी हुई है कि सरकार केवल दबाव में आकर ही कोई काम करती है अन्यथा नहीं। मैं भी चागला को एक चेतावनी दूंगा और वह यह है कि उन्हें डरना नहीं चाहिये और साहसपूर्वक यह कहना चाहिये कि वह एक धर्मनिरपेक्ष सरकार चला रहे हैं और इसलिये वह विश्वविद्यालय के नाम से "हिन्दू" शब्द निकाल देना चाहते हैं।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

अन्त में मैं यह कहूंगा कि विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन से सभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। परन्तु हमें यह समझना चाहिये कि बनारस में जो कुछ हो रहा है उससे यह तर्कसंगत निष्कर्ष निकलता है कि सरकार एक ऐसी नीति पर चलती रही है जिससे कि वह दबाव में आकर काम करती रही है। मैं एक बार फिर यह अनुरोध करूंगा कि इस विश्वविद्यालय का नाम 'काशी विश्वविद्यालय' रखा जाये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोगों ने इस विधेयक के महत्व को ठीक नहीं समझा है। मेरा निवेदन है कि पण्डित मदन मोहन मालवीय की याद को शाश्वत बनाने के लिये इस विश्वविद्यालय के नये नाम का समर्थन किया जाना चाहिये। विदेशों में भी विश्वविद्यालय के नामों के साथ महान नेताओं के नाम सम्बद्ध किये जाते हैं।

संविधान के अन्तर्गत राज्य सभा को भी प्रभुसत्ता सम्पन्न माना गया है और वहां भारी बहुमत के साथ इस विधेयक का नया नाम रखा गया है। हमें उस सभा द्वारा किये गये निर्णय का सम्मान करना चाहिये। हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिये।

किन्हीं और स्थानों की तुलना में शिक्षा संस्थान साम्प्रदायिकता से दूर होने चाहिये। उनका नाम भारतीय होना चाहिये, उनकी भावना भारतीय होनी चाहिये और उनका स्वरूप भारतीय होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन किया जाना ठीक है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सदैव ही झगड़े तथा विवाद चलते रहते थे। शिक्षा मंत्री ने इन झगड़ों को समाप्त किया और इस विश्वविद्यालय को एक नया जीवन दिया। मेरे विचार में इस विश्वविद्यालय का नाम 'मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय' रख कर शिक्षा मंत्री ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि मदन मोहन मालवीय का नाम उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे ताकि इस विश्वविद्यालय का विकास ठीक प्रकार हो सके।

रजिस्ट्रार तथा उपकुलपति के बारे में कुछ कहा गया है। मेरे विचार में इनके बारे में चर्चा करने के लिये सभा को अपना समय नहीं खोना चाहिये। ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है।

मेरा विश्वास है कि दूसरे विश्वविद्यालयों के लिये यह विधेयक एक आदर्श होगा। मुझे प्रसन्नता है कि सह उप-कुलपति के पद को समाप्त किया गया है। सह-उपकुलपति सदैव उपकुलपति बनने की योजना बनाते रहते हैं तथा कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं।

मेरी समझ में यह नहीं आया कि "विजिटर" की पदावधि केवल तीन वर्ष क्यों रखी गई है तथा उपकुलपति की पदावधि पांच वर्ष क्यों रखी गई है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस अनियमितता को दूर करें।

सम्बद्ध कालेजों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के बारे में जो निर्णय किया गया है, उसका स्वागत है।

मुझे इस बात का भी हर्ष है कि अध्यापकों की शिकायतें सुनने के लिये एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। अब वे न्यायाधिकरण में अपनी शिकायतें पेश कर सकते हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ का सदस्य बनना पहले अनिवार्य था। परन्तु अब छात्र संघ की सदस्यता को एच्छिक आधार पर रखने सम्बन्धी जो उपबन्ध रखा गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरे विचार में इससे अच्छे परिणाम निकलेंगे।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

(2) महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों में कच्चे तेल और तीव्रगति (हाईस्पीड) डीजल तेल की अप्राप्तता

श्री जेधे (बारामती) : श्रीमान, मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य राज्यों में कच्चे तेल और तीव्रगति (हाई स्पीड) डीज़ल तेल की अप्राप्तता ।"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : पिछले कुछ सप्ताहों में इन क्षेत्रों में हल्का डीज़ल तेल (Light Diesel Oil) की उपलब्धि में वृद्धि के लिए महाराष्ट्र गुजराथ और राजस्थान के सदस्यों तथा इन तीन राज्य सरकारों से मुझे कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। सामान्यत: हल्का डीज़ल तेल की, जो कि देश में पूर्णतया पैदा होता है, आसानी से सप्लाई हो सकती है और पहले तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कठिनाई नहीं हुई है। इस साल मौनसून की असफलता के कारण कई राज्यों द्वारा उत्थापक (Lift) सिंचाई के अत्याधिक बड़े कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है तथा एका एक ही हल्के डीज़ल तेल की मांग बढ़ गई है। ज्योंहि यह तथ्य मेरे मंत्रालय को मालूम हुआ त्योंहि सम्बन्धित क्षेत्रों में सप्लाई की व्यवस्था करने तथा शोधनशालाओं से हल्के डीज़ल तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये गये ।

1964 में महाराष्ट्र में औसतन मासिक सप्लाई 12,700 टन हुई। पिछले साल सर्दी के महीनों में सप्लाई लगभग 12,372 टन प्रति मास थी और अक्तूबर एवं नवम्बर, 1964 में क्रमश: 9,217 और 12,287 टन थी। इस के मुकाबले में अक्तूबर, 1965 में वास्तविक सप्लाई 17,133 टन हुई है तथा नवम्बर में 15,404 टन सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है अर्थात इस साल अक्तूबर एवं नवम्बर में 1964 के तदनुरुपी दो महीनों के मुकाबले में सप्लाई लगभग 11,000 टन अधिक होगी। महाराष्ट्र सरकार की विशेष प्रार्थना पर तेल कम्पनियों को सांगली, नासिक, कोल्हापुर, शोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, भीर, परभानी तथा नन्देद जिलों में सप्लाई की वृद्धि करने के लिये कहा गया है।

1964 में गुजरात में हल्के डीजल तेल की औसतन मासिक खपत लगभग 13,000 टन थी। अक्तूबर, 1964 से लेकर मार्च, 1965 के सर्दी काल में खपत लगभग 18,500 टन के उच्चतर दर पर थी। अक्तूबर एवं नवम्बर, 1964 में वास्तविक विक्रय क्रमश: 16,000 तथा 20,400 टन था। इस के मुकाबले में अक्तुबर 1965, में सप्लाई लगभग 20,000 टन है और चालू मास में 29,000 टन की सप्लाई की व्यवस्था की गई है। अत: इस साल के अक्तूबर एवं नवम्बर महीनों में कुल सप्लाई लगभग 49,000 टन होगी जबकि 1964 में तदनुरूपी दो महीनों में लगभग 36,000 टन थी ।

1964 की सर्दियों के महीनों में राजस्थान में औसतन विक्रय करीबन 2,800 टन था। इसके मुकाबले में केवल चालू मास में ही हमने 4,000 टन की सप्लाई की व्यवस्था की है।

दिसम्बर एवं उत्तरोत्तर महीनों में हम इन सारे राज्यों को हल्के डीजल तेल की सप्लाई के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता के लिये सतर्क है। इस समय दिसम्बर में सप्लाई करने की योजना तैयार की जा रही है और उत्पादन को बढ़ाने एवं सप्लाई को सुधारने के भरसक प्रयत्न किये जायेंगे। हम अवधि के शेष काल के लिये ऐसा ही करते रहेंगे।

[श्री हुमायुन कबीर]

हालांकि हल्का डीज़ल तेल की अधिकतर मांग एकाएक बढ़ी फिर भी मेरे मंत्रालय ने उत्पादन को बढ़ा कर और भारत के अन्य भागों से परिवहन कर के, सप्लाई को बढ़ाने की भरसक कोशिश की है। मैं संसद को आश्वासन दिलाता हूं कि स्थिति पर दिन-प्रति दिन ध्यान-पूर्वक निगरानी रखी जायेगी जिससे प्रभावित क्षेत्रों में कृषि कार्य को कोई हानि न पहुंचे। हाई स्पीड़ डीज़ल तेल की सप्लाई जो मुख्यतः स्वः चालित इंजनों के लिये इस्तेमाल होता है सारे देश में संतोषजनक है।

कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। कच्चा तेल किसी इंजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हालांकि इस शब्द का प्रयोग प्रायः हल्का डीज़ल तेल के लिये होता है।

श्री रंगा : आन्ध्र और मद्रास के बारे में क्या स्थिति है?

श्री हुमायून कबिर : वहां से कमी के बारे में कोई समाचार नहीं मिले हैं।

श्री जेधे : महाराष्ट्र में व्याप्त अभाव की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार महाराष्ट्र को डीज़ल तेल का अधिक कोटा देने के बारे में तत्काल कार्यवाही करेगी?

श्री हुमायून कबिर : मैं बता चुका हूं कि हमने पिछले दो महीनों में कोटा बढ़ा कर 11,000 टन कर दिया है।

श्री जेधे क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि वहां तेल की कमी क्यों है?

श्री हुमायून कबिर : मैं वक्तव्य में स्पष्ट कर चुका हूं कि अचानक मांग बढ़ जाने से कमी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने हमें सब से पहले 12 नवम्बर को बताया कि वहां पर हल्के डीज़ल तेल की कमी है और हमने तत्काल महाराष्ट्र को तेल भेज दिया।

श्री हेम राज : क्या यह सच है कि हल्के डीजल तेल की कमी के कारण किसानों को यह चोरबाजार में खरीदना पड़ता है?

श्री हुमायून कबिर : मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित की गई तेल की मात्रा देने का आश्वासन दे सकता हूं। किन्तु राज्य के अन्दर राज्य सरकार को वितरण व्यवस्था करनी होती है।

Shri B. D. Deshmukh (Aurangabad) **:** Is the hon. Minister aware that due to scarcity of light diesel oil thousands of oil engines are lying idle which adversely affected the production programme and there is no hope of good crop in future?

श्री हुमायून कबिर : मैं बता चुका हूं कि कमी की सूचना मिलते ही हमने महाराष्ट्र को तेल भेज दिया था। हल्के डीजल तेल का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन किया जाता है। अतः यदि पहले सूचना न दी जाये तो इस में समय लगना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में डीजल की मांग 1964 में 9,217 टन से बढ़कर अब 17,133 टन हो गई है। यह मात्रा पिछली मांग की तुलना में लगभग दुगुनी हो गई है।

Shri T. A. Patil (Osmanabad) **:** Due to failure of rains in Maharashtra there was a shortfall in food production and the Maharashtra Government gave five thousand oil engines to the farmers and almost the same number of these engines were purchased by the farmers themselves. May I know whether the

Government of India will instruct the oil company to sulpply the Diesel Oil immediately in order to meet the increased demand and the oil will be distributed immediately?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हुमायून कबिर : मैने महाराष्ट्र सरकार को अधिक कोटा दिया है और उसे यह भी कहां है कि वह यह सुनिश्चित करे कि डीजल तेल की चोरबाजारी न हो।

श्री दिगे (कोलाबा) : नवम्बर, 1965 में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की वास्तविक मांग कितनी थी ?

श्री हुमायून कबिर : उन्होंने कुछ तेल मांगा था और उसकी जांच की गई। अन्तत: यह निर्णय किया गया कि नवम्बर, 1965 में 15,500 टन तेल मिलेगा। दिसम्बर के कोटे के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

BANARAS HINDU UNIVERSITY AMENDMENT (BILL)—*Contd.*

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, the Minister in-charge of the Bill, or his representative is not present here......

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्रीमहोदय सभा में आ गये हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, the matter under discussion is not of much importance. The main question before the country is to eradicate the poverty from the country and to defend the country.

The Bill under discussion is a Government Bill and it is Government itself which had brought forward the amendment in Rajya Sabha regarding the change in the name of the University. The hon. Minister of Education Shri Chagla had said in the Rajya Sabha that the amendment is consonance with the Constitution of India and hence it should be accepted. Now, when, in the context of Communal harmony, the Government has taken a bold step, one fails to understand why it is not coming out with a firm declaration of its policy. The Government must clearly state its policy in the House because the prestige of the Government depends on decision taken in the House.

The actions of the Government have always been guided by double standards. We all know how the Government have acted on the question of linguistic States, the language issue and on Kashmir and Nagaland questions. On the one hand the Government talk of national Unity and on the other they encourage separatist tendencies. When the Government is convinced that the continuance of the words "Hindu" and "Muslim" in the names of the Banaras University and Aligarh University respectively are against the principle of secularism, it should be firm in its decision and action.

If the House decides that the name of the University should be Kashi Vishwa Vidyalaya, it becomes the duty of the Members and the Government to make the students understand the position, so that they refrain from indulging in agitation. If the Government succumbs to pressure, it would be strengthing the forces conservation and would be dealing a severe blow to the cause of national unity.

[Shri Madhu Limaye]

The argument that the present name of the University is based on traditions and so it should not be changed, is not convincing. The world "Kashi" too has its great traditions and there is an emotional attachment with this word. The name should be changed to Kashi Vishwa Vidyalaya because even Malviyaji wanted this name of the University.

I would like something about the amended section 5(A). It gives the dictatorial powers to the authorities of the university to withdraw the degrees and diploma from the students. This power should be restricted. The structure of the University should be completely democratic. The principle of nomination should be done away with whether it is in regard to the appointment of Vice-Chancellor of the Members of the Court. A professor should be allowed go to to a court of law against the decision of the tribunal.

I would also like to draw the attention to Statute 60. Under this Statute a provision should be made regarding Students' Union. Students who want to opt out of the Union would be permitted to do so. An amendment to this effect should be made.

While concluding my speech I again urge upon the Government that an individual's name should in no case be asscciated with the name of a University.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : इस विधेयक पर विचार करते समय मैं बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के संस्थापक के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान राष्ट्रवादी थे। वह पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होने 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को अवैध घोषित किये जाने के बावजूद भी दिल्ली में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का निश्चय किया था। अत: आज जब हम उनके नाम पर चर्चा कर रहे हैं हमे यह नहीं भूलना चाहिये कि उन्होंने देश के लिये कितनी कुर्बानियां की थी।

हम विश्वविद्यालय के नाम से 'हिन्दू' शब्द निकाल कर और उसके स्थान पर पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम जोड़ कर उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ा सकते हैं। केवल 'हिन्दू' शब्द को निकालने के लिये ही विश्वविद्यालय के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम जोड़ा जाना उचित नहीं है क्योंकि इससे किसी और बात का आभास मिलता है। हमें विश्वविद्यालय का नाम केवल 'काशी' विश्वविद्यालय ही रखना चाहिये। यह बहुत सुन्दर नाम है और इससे उस संस्कृति के बारे में पता लगता है जिसका कि मालवीय जी प्रचार करना चाहते थ।

किसी धर्म के आधारपर किसी विश्वविद्यालय का नाम रखना धर्म निर्पेक्षता के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। यदि बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय से 'हिन्दू' शब्द निकाला जाये तो अलीगढ़ 'मुस्लिम' विश्वविद्यालय से 'मुस्लिम' शद्ब भी निकाला जाना चाहिये। 'हिन्दू' शद्ब निकालने पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो विरोध प्रकट किया है वह अनुचित है। उन्हें अच्छी तरह समझाया जाना चाहिये।

सरकार के लिये यह अच्छा होता यदि वह सभी साम्प्रदायिक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों, जिनसे साम्प्रदायिकता का आभास होता है, के बारे में एक व्यापक विधेयक लाती ताकि उनके नाम से साम्प्रदायिकता का आभास देने वाले शद्बों को निकाला जा सकता।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को विचार के लिये दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिए ताकि इसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं उन्हें विस्तारपूर्वक विचार करके दूर किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद किसी विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आज प्रातःकाल निर्णय किया जा चुका है।

*कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त

**INDIAN HIGH COMMISSIONER IN KARACHI

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) **:** Mr. Deputy-Speaker, on very few occasions so many Members put a question together. The inhuman treatment meted out to our High Commissioner in Pakistan and his other Collegues has not only roused indignation in Parliament but in the whole of the Country. The Ambassador and the National flag, both, are the symbols of a country. If they are ill-treated it is natural to have agitation in the Parliament and the public. It shows that Pakistan has completely violated international law and the law of the jungle prevails in Pakistan.

Our High Commissioner, Deputy High Commissioner and other diplomatic representatives in Pakistan did not receive any human sympathy from the Pakistan Government. Their houses were searched in a very indecent manner. The wife of a member of the staff of our high Commission did not get any facility at the time of delivery whereas all facilities were provided to the wife of a member of the staff of Pakistan High Commission in similar Situation. The staff of the Pakistan High Commission enjoyed all the facilities of getting daily necessities of life like water, milk and vegetable whereas the staff of our High Commission was put to lot of difficulties in regard to their daily necessities. The children of our staff had to live without milk for several days. The cooks of our staff there were put behind the bars.

Pakistan High Commission's staff was free to move about here but a lot of restrictions were imposed even on our High Commissioner in Karachi. He was escorted by the Pakistani Police whenever he had to go to his office. He was not allowed to send any message by telegram. His telephone connection was cut. Neither he was permitted to establish contact with envoys of other countries nor could they meet him. Even the Pakistan Foreign Office refused to interfere when the excesses of the police were brought to their notice. The personal belonging of our High Commissioner and his staff were searched in a most objectionable manner on 11th September, 1965. Our Chancery was searched very thoroughly on 13th September, 1965, but the police could not lay hand on any of our confidential paper. Our High Commissioner and his staff deserve congratulation for tackling the difficult situation and the foresightedness they showed at that time.

Our Chancery was subjected to acts of Vandalism on the 21st September, 1965. Stones were thrown on the Chancery. Our High Commissioner was not permitted even to see the scene. Attempts were also made to set the building on

* आधे घण्टे की चर्चा।

**Haff an Hour Discussion

[Shri Prakash Vir Shastri]

fire. Representatives of our newspapers were sent to jail and their families were treated very shabbily. Atrocities were committed on the minorities. They were forced to give blood. Several of them died while giving blood. How long would our Government tolerate all this ?

I would like to ask the Government to state why no attention was paid to our staff in Pakistan when the conflict had started on 6th September specially when, according to my information, the High Commissioner had given the advance information about the situation. If our staff there could not communicate with our Government, what arrangements were made by the Government to establish contact with them. The Government did not move in the matter for one month.

I would like to know from the Minister of External Affairs whether he brought to the notice of the United Nations the violations of the International Conventions by Pakistan. A Convention was signed by 28 nations, including Pakistan in Vienna according to which diplomatic representatives are to be treated under international laws. But the Pakistan did not act on it.

I suggest that the Government should ask Pakistan to apologise for their misbehaviour towards our diplomatic representatives, give an assuarnce not to repeat the same thing and make amends for damages done to our property. If Pakistan Government rejects these conditions, there is no point in maintaining diplomatic relations with Pakistan. We should sever our diplomatic relations with China and Pakistan who ill-treated our diplomatic representatives. China had also misbehaved with our Ambassador in Peking. If both Pakistan and China do not apologise for their misbehaviour and give a guarantee not to repeat the same thing, we should sever our diplomatic relations with them.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : पी० टी० आई० के विशेष संवाददाता श्री पी० आर० राय जिन्हें जेल में रखा गया था, कि रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उन भारतीयों के अमानुषिक व्यवहार की ओर ध्यान दिया है जिन्हें कई महीनों से जेलों में रखा गया है और क्या उसने इस बात की ओर भी ध्यान दिया है कि पाकिस्तान सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय तथा ढाकेश्वरी कपड़ा मिल पर कर लिया है ?

Shri Bade (Khargone) : May I know whether Government have received any reply of the Protest Note sent to Pakistan and whether it is not a fact the incidents of West Pakistan were repeated in East Pakistan also and four attempts were made to pull down our national Flag there.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कराची में हमारे उच्चायुक्त तथा उनके परिवार और उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ पाकिस्तान द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के बारे में जो कुछ कहा है, वह सच है। परन्तु इस सम्बन्ध में हमारे पास 11 सितम्बर, 1965 से पहले किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। वास्तव में हमारे उच्चायुक्त को भी इस बात से आश्चर्य हुआ कि जब कि 11 सितम्बर, 1965 को उन्होंने ब्रिटेन के उच्चायोग, अमरीकी दूतावास, यूगोस्लेविया के दूतावास, श्री लंका के उच्चायोग तथा पी० टी० आई०, बी० बी० सी०, 'न्यूयार्क टाइम्स' आदि समाचार पत्रोंके प्रतिनिधियों से टेलिफोनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया तो उनके टेलिफोन के तार काट दिये गये। उस समय कराची के साथ किसी प्रकार का संचार संभव नहीं था। हम आकाशवाणी द्वारा रेडियो पर उनको संदेश

भेज सकते थे किन्तु जब हमें किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं थी तो क्या संदेश भेजा जा सकता था। यही कारण है कि उन्हें सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहानुभूति का संदेश नहीं मिल सका। एक मित्र देश ने कुछ जानकारी लेने और विदेश कार्यालय द्वारा हमें कुछ सूचना भेजने का प्रयत्न किया किन्तु उसके इस कार्य में सभी प्रकार की रुकावटें डाली गई और किसी प्रकार की सूचना लेना संभव नहीं हो सका। 21 सितम्बर, 1965 को स्थानीय समाचारपत्रों में केवल हमारी चान्सरी पर आक्रमण किये जाने का समाचार छपा था। हम ने जानकारी प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु हम किसी प्रकार का समाचार प्राप्त नहीं कर सके।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि हम अपने लोगों को पाकिस्तान में ही छोड़ रहे हैं अथवा उनको वापिस बुला रहे हैं, सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनमें से अधिकांश लोगों को वापिस बुला लिया गया है। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन, बैंको आदि के कर्मचारियों के परिवारों को अदला बदली के आधार पर वापिस बुलाया जा रहा है। हमने यहां पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त पर प्रतिक्रियात्मक प्रतिबन्ध नहीं लगाये क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि पाकिस्तान ने हमारे कर्मचारियों पर ऐसे प्रतिबन्ध लगाये हैं। यदि हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी होती तो हम कड़ी कार्यवाही करते। ढाका के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। हमने इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त होने पर 28 सितम्बर, 4 अक्तूबर तथा बाद में विरोध पत्र भेजे।

यह सच है कि पाकिस्तान ने वियाना अभिसमय पर हस्ताक्षर किये थे। पाकिस्तान ने देश में न केवल विदेशी प्रतिनिधियों के बारे में केवल वियाना अभिसमय का अपितु प्रचलित प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया है। यह पाकिस्तान सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे हमारे मिशनों तथा हमारे कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाये विशेष रूप से उस समय जब कि दोनों देशों में अघोषित युद्ध चल रहा हो। अतः पाकिस्तान ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है उसका भी कोई औचित्य नहीं है। हमने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है। इन विरोध पत्रों को पाकिस्तान ने सदा की भांति उन्हे झूठे तथा निराधार आरोप कह कर अस्वीकार कर दिया है और भारत पर उल्टे झूटे आरोप लगा रहा है। कराची में पाकिस्तान ने हमारी चान्सरी को जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिये हमने पाकिस्तान से 25,000 रुपये का प्रतिकर मांगा है।

हम सदस्यों की चिन्ता को समझते हैं। किन्तु हमें सरकार और जनता में फर्क करना होगा। हम निश्चय ही रोष में अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुला सकते हैं किन्तु इससे पाकिस्तान की जनता के साथ हमारे सम्बन्ध के सभी साधन समाप्त हो जायेंगे। हो सकता है भविष्य में ऐसी सरकार बने जो भारतीय विचारधारा से सहमत हो। राजनयिक सम्बन्ध तोड़ना सरल है किन्तु उचित नहीं है।

यह सच है कि पाकिस्तान में हमारे लोगों का अपमान किया गया है और हमें पाकिस्तान के इस व्यवहार के विरूद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिये। यही कारण है कि हमने पाकिस्तान से अपने उच्चायुक्त के अधिकांश कर्मचारी वापिस बुला लिये हैं। जब तक पाकिस्तान अपने व्यवहार के लिये क्षमा न मांग ले और जब तक वह इस बात की गारंटी न दे कि हमारे प्रतिनिधियों के साथ भी वही व्यवहार किया जायेगा जैसा कि राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ किया जाना चाहिये। तब तक न तो हम उच्चायुक्त को और न ही पूरे कर्मचारियों को वहां भेजेंगे।

हम एक ज्ञापन द्वारा, जिसमें हमारे दूतावास के साथ पाकिस्तान द्वारा किये गये दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है, यह मामला सुरक्षा परिषद् की जानकारी में लाये हैं। हमने दूतावास बन्द करने तथा राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने के अतिरिक वैधानिक, सांविधानिक तथा राजनयिक

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

दृष्टि से जो कुछ भी संभव था किया है। हम इस बात की प्रतीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार का व्यवहार करता है। यदि हम चाहे तो किसी भी समय पाकिस्तान से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने के लिये स्वतंत्र हैं। किन्तु इस समय हम ऐसा करना उचित नहीं समझते।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मंत्री महोदय ने बताया है कि हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। वायरलेस द्वारा सम्पर्क स्थापित करके सम्पर्क स्थापित क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : वास्तव में पाकिस्तानी पुलिस ने हमारी चान्सरी की तलाशी ही इसलिये ली कि उसे शक था कि हमारे पास वहां ट्रांसमिटर है। किन्तु हमारे पास कोई ट्रांसमिटर सेट नहीं था। हमारे उच्चायुक्त ने पाकिस्तानी पुलिस को बताया था कि हमारे पास कोई ट्रांसमिटर सेट नहीं है किन्तु उसने विश्वास नहीं किया और हमारी चान्सरी तथा कर्मचारियों के घरों की तलाशी ली। यदि हमारे पास संचार का कोई साधन होता तो अवश्य ही हम जानकारी प्राप्त करते।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 25 नवम्बर, 1965/4 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday November 25, 1965/Agrahayana 4, 1887 (Saka).

GIPN—S6—5 Lok Sabha/66—15-9-66—600.